


गुरु गंगा



प्रभोक्ता

राष्ट्र-धर्म

~ ~ ~

(सामाजिक और धार्मिक-क्रान्तिकी
आवश्यकता पर एक दृष्टि)

~ ~ ~

श्री महावीर
जैन ग्रन्थालय
लेखक

सत्यदेव विद्यालंकार

~ ~ ~

सितम्बर १९३२

मूल्य ॥ —आठ आना ।

प्रकाशक :—

सत्यदेव विद्यालंकार
ग्रन्थ-पर्म प्रन्थ-माला-फार्मलय
२ सुगलाल जौहरी लेन,
फलकत्ता ।

निम्न स्थानों पर भी यदि पुस्तक मिलेगी :—

?—कलकत्ता-पुस्तक-भण्डार
१७१ प. एग्जिन रोड, फलकत्ता ।

२—नवजीवन भण्डार

१३२ एग्जिन रोड, फलकत्ता ।



यह छाई-सी मैट


भोलो-भालो गरीब जनताको धर्मके जालमें फँसा
कर ऊंच-नोचका भेद-भाव पैदा करने
वाले धर्मजीवो लोगोंकी सेवामें

स्फैरम् रमणित है ।

यदि उन्होंने सर्वसाधारणको धर्मान्ध न
बनाया होता, तो इसके लिखनेके लिये
संभवतः प्रेरणा ही न हुई होती ।

—: और :—


दूसरे इस भैटके अधिकारी वे हैं, जो राजनीतिक-
क्षेत्रमें कार्य करते हुये भो धर्मान्ध बने हुये
हैं । क्योंकि उनका धर्मान्धता-पूर्ण-च्यवहार
लेखकके राष्ट्र-धर्म-सम्बन्धी इन विचारों
को पुष्ट करनेमें विशेष रूपमें
सहायक हुआ है ।





“रात्रुदेवी भक्त”

—भगवान् तिलक



विषय-प्रवेश

भारतमें धर्मजीवी लोगोंकी एक श्रेणी है, जिसने अपने स्वार्थवश जनताको ऐसा धर्मान्ध, विवेक-रहित और मति-मंद बना रखा है कि इस श्रेणीके लोगोंके चंगुलमें सर्वसाधारणका फँसा रहना भी वंश-परम्परागत मर्यादाका एक आवश्यक और प्रधान अंग बन गया है। प्राचीन धारणा और पुरानी लक्षीरकी फकीरीका कोई कितना भी विरोध क्यों न करे, पर उसको भी धर्मजीवी लोगोंकी आजीविकाके लिये लगाया गया टैक्स सरकारी टैक्सके समान चुपके-से अदा करना ही पड़ता है। घरमें कोई 'कारज' हो ब्राह्मणोंको सबसे पहिले भोजन और दक्षिणाके रूपमें टैक्स अदा करना जरूरी है। द्वारपर कोई भिखारी अपनेको ब्राह्मण कहकर आ खड़ा हो अथवा साधुका वेश बनाकर उपस्थित हो जाय तो उसको जमीदारके सिपाहोंकी तरह बिना कुछ दिये टाला नहीं जा सकता। मानो घरवाले उसके कर्जदार हैं और अपना ब्याज बसूल किये बिना वह उनको पीछा नहीं छोड़ सकता। किसी शहर या गांवमें इनकी कोई मंडली जा पहुंचे तो वहांके लोगोंपर प्यूनिटिव-पुलिस ही बैठ जाती है, जिसका धार्मिक-टैक्स वहांके लोगोंको अदा करना ही पड़ता है। मठोंके मालिक और साधु, मन्दिरोंके 'पुजारी'

राष्ट्र-धर्म

और महन्त, तीर्थों के पण्डे और उनके पड़ोन्ट, विभिन्न सम्प्रदायों-के आचार्य और शुद्ध तथा धर धर धूमने वाले पुरोहित और पण्डित—सब इसी श्रेणीके लोग हैं। इनकी करतूतोंको लज्जा-स्पद, भयानक और कूरतापूर्ण कहानी हिन्दू-समाजके प्रतिदिनके अनुभवका विपर्य है। यदि भिवसंगोंकी तरह ये अपने जावकका गुजारा करते रहें, तब भी कदाचित् किसीको कुछ आपत्ति न हो। पर, जब ये जनताको स्वार्थवश धर्माध्य बनाकर उसको ठगते हैं, ठगविद्याको सफल बनानेके लिये नाना प्रकारके जाल बिछाते हैं, स्वार्थान्ध होकर देश-समाज तथा राष्ट्रके हिन्दी धर्महेलना ही नहीं किन्तु जान बूझकर उसकी प्रगति एवं अस्तुदयके मार्गमें रोड़े अटकाते हैं, तब तो इनके छारा फैलाई हुई मोहम्मायाके जालको छिन्न-भिन्न फरजेके लिये धर्मको मिटानेके सिवा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। न रहेगा धांस और न बजेगी धांसुगी। धर्म न रहेगा तो इनके छल, कपड़, प्रपंच और मोहम्मायाके ऊंचे महलकी छत और दिवारोंको पृथिवी पर लोडनेमें अधिक समय नहीं लगेगा। इस छोटो-सी पुस्तिकामें इसी आवश्यक और महान् किन्तु भठोरतम कार्यकी ओर संकेत किया गया है। चर्तमान-शिक्षा ग्राम जिये हुये लोग भी समय आता है तो तुम इचाफ़र रह जाने हो। उनकी भी इन धमजोयों लोगोंके सामने दान नहीं बनता। शादी शादिके समयमें शास्त्राचार और लोकाचारके नामसे श्रवणित अनाचार और मिथ्याचारके अतिकूल-धाचरण फरजेका कितने लोग क्षाद्दस

विषय-प्रवेश

करते हैं^१ कोई बूढ़े माँ-बापकी आड़ लेता है, कोई लियोके नामपर अपनी कमजोरीको छिपाता है, कोई ऊँचे घरकी पुरानी मर्यादा का बहाना करता है, कोई समाज-जाति एवं विरादरीमें नाक कट जानेसे डरता है। शादी आदिके अलावा मुत्यु आदि की गमीके अवसर पर भी ये धर्मजीवी कभी चूकते नहीं। उस समय ये निर्देशताके अवसार बन जाते हैं। इस धर्मान्धताके पापका जो परिमाण और परिणाम देहातोंमें देखनेमें आता है, उससे धर्म द्वारा 'होनेवाली हानिका सहजमें पता लगाया जासकता है। लियोंके लिये तो धर्म मानो एक अभिशाप है। इस सब स्थिति पर कुछ उदार दृष्टिसे विचार करने पर इस पुस्तकाके दृष्टिकोण-को समझना कठिक नहीं रहेगा।

इससे भी अधिक दुःखका विषय यह है कि राजनीतिक क्षेत्रमें कार्य करने वाले युवकों तक ने अभी धर्मान्धताके गढ़मेंसे अपना उद्धार नहीं किया है। वे भी जाने या अन-जाने इस मोहमायाके चक्रमें फँसे हुये हैं। १९२०-२१ में महाराष्ट्र-ग्रान्तमें राजनीतिक परिषदोंमें जाने वाले महानुभावोंके भोजनके लिये दो पंक्तियां लगाई जाता थीं। पहलीमें ब्राह्मण बैठते थे और दूसरोंमें ब्राह्मणेतर। कुछ समय बाद बड़ो कठिनाईसे उस भेदभावको दूर किया जा सका। पर, भीतर हो भीतर जो मनोमालिन्य घर कर चुका था, उसने पीछे ब्राह्मणेतर-अन्दोलनको जन्म दिया। राजनीतिक क्षेत्रमें काम करने वाले राष्ट्रीय चृत्तिके ब्राह्मणेतर ही प्रायः उस आन्दोलनके अगुआ हुये। यह भी मानना होगा कि

राष्ट्रीय-सुखलमानोंको साम्प्रदायिक ज्ञानेमें उन हिन्दू धर्म-भिमानी राष्ट्रीय-हिन्दुओंका भी यहुत बड़ा भाग है, जो कि कंधेसे कंधा गिड़ा कर काम करने वाले सुखलमानोंके प्रति राजनीतिक द्वेषमें भी घृणा, उपेक्षा या तिरस्कारका व्यवहार करते रहे हैं। मुखलमानोंसे तो क्या हिन्दु हिन्दुओं ही से थभी परस्परमें इतना भेदभाव रहते हैं कि न मालूम इस देशमें राजनीतिक एकता किंवा राष्ट्र-धर्मकी स्थापना क्य होगी ? याँ इसी सम्बन्धकी एक घटनाका उल्लेख दरना अप्रासंगिक नहीं होगा ।

१९२६में वंगाल-प्रान्तिक-राजनीतिक-परिपदका धार्पिक अधिवेशन रंगपुरमें था । बड़ाबाजार (कलकत्ता) से मित्रोंकी एक-अच्छी टोलो परियहुमें नमिमलित हांनेके लिये गई थी । इस टोलीमें नर-केतनरो वाचा गुरुदत्तसिंहजी और बड़ाबाजार कांग्रेस कमेटीके प्रायः सभी नरहकं नार्यतां नमिमलित थे । वहाँ सबके ठहरने और स्नाने-पीनेका सब प्रबन्ध एक मारगढ़ी-मज्जनने अपने यहाँ इतना सुन्दर किया था कि प्रायः नरातिर्थीके लिये ही घेसा प्रबन्ध किया जाता दै । भाजनका समय दुआ और मित्रोंने पूछा कि भोजन ज्ञाने वाला नसोइया फौन ब्राह्मण ह ? कुछ एकते कहा कि वे सिवा पुष्करणा ब्राह्मणके ५ सौ दूसरेको दाथका भोजन नहीं कर सकते । एक ना उनमें स्थर्यंपाकी ही थे । एक और सब भाजन नव्यार और दून्ही आंर उसको ग्रहण करनेमें इतनी यड़ी आपत्ति । यही टेढ़ी समस्या उठ गड़ी हुई । पहाँ नसोई और मिष्ठान होता तो चल भी जाता । ५ याँ रसोई कैसे चले ?

विषय-प्रवेश

लगभग घण्टा डे०-घण्टा इस समस्या पर विचार हुआ। भावा-जीने राष्ट्रके नामसे अपील की और अपना उदाहरण उपस्थित किया कि मैं भी ५० वर्षकी आयु तक अपने हाथका ही बनाया हुआ खाना खाता रहा हूँ। पर, राष्ट्रीय क्षेत्रमें काम करने वालोंके लिये यह निभाना कठिन है और उनको यह शोभा भी नहीं देता। अस्तु, विवादके बाद यह निर्णय हुआ कि यदि बावाजी, श्रीमती सुभद्रा देवी और दूसरे कुछ गैर-ब्राह्मण पहली पक्किमें भोजन नहीं करें तो ब्राह्मण-धर्माभिमानी-भाई भोजन कर सकते हैं। दूसरेके घरमें उसके बापका विचार करते हुये ऐसा समझौता मान लिया गया। कुछ लोगोंने रसोईके बाहिर बरामदेमें बैठकर भोजन किया और यह जटिल समस्या किसी प्रकार हल हुई।

दूसरे दिन परिषद्में वर्तमान जातिगत भेदभावका दूर करनेके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव पेशा हुआ। भोजन व.रनेमें आपत्ति करने वाले एक भाई उस प्रस्ताव पर बड़े ही क्रुद्ध हुये। उन्होंने उसके विरोधमें भाषण भी किया और भाषणमें वे यह भी कह गये कि “कांग्रेसके इस मंच पर और कांग्रेसके इस भण्डेके नीचे जाति और धर्मका कोई भेदभाव नहीं माना जा सकता। यहाँ सब एक है।” परिषद्से बाहिर होते ही उनसे पूछा गया कि आप दिनके चौबीस घण्टोंके लिये ही कांग्रेसवादी हैं कि केवल ज्याल्यान देनेके समयके लिये ? वे इसका क्या उत्तर देते ? आवार और विचारमें विद्यमान इतने स्पष्ट अन्तरको केवल वातोंसे कैसे मिटाया जा सकता था ?

रंगपुरकी यह घटना अब भी कलकी ही जान पड़ती है, करोंकि उसके बाद भी अपने राजनीतिक मित्रोंके पारस्परिक व्यवहारमें ऐसा ही भेदभाव देखनेमें प्रायः आता रहता है।

१६३० के सत्याग्रह-दान्दोलनसे पहिले भा. दो घार जेलमें रहनेका अवसर मिला था। १६२३ में तो नागपुर सेण्ट्रल जेल और खण्डवा-गिला-जेलमें प्रायः उभी प्रान्तोंके लोगोंके साथ रहनेका चुयोग प्राप्त हुआ था। उस समय जाति-गत किंवा धर्म-गत भेद-भावको छाया तक जलामें फहीं देखनेमें नहीं आई था। पर, १६२०में दमदम-स्पेशन-जेलमें यान-पानके धर्मका और उस द्वारा पैदा होनेवाले भेद-भावका नंगा रूप दंखकर तो दिल ही एक घार सहम गया। वहाँ नौ पूर्ववर्षे ग्यारह चूल्हे घाली फहारत पूर्णवप्तमें चरितार्थ दुर्द दिखाई दी। इसी ग्रन्थार १६३२ में भी ऐसे ही भेदभावका नंगा रूप दृश्यनेको मिला। १६३०से पहिले जेलोंमें यह भेदभाव इसी लिये देखनेमें नहीं आता था कि उस समय कैदियोंके लिये श्रेणी-चिभागकी व्यवस्था नहीं थी और सबके साथ एक समान ही व्यवहार किया जाता था। यह दुर्द भी संभवतः श्रेणी-चिभागके साथ ही पैदा हुई है।

इस भेद-भावके कारण जेलोंमें धार्मिक विषयों पर चर्चा रुक होती है। उठ मार्द तो इस चर्चाको इतना अक्षण समझते हैं कि इस चर्चाके हाँ कारण फससे ज़ंल आनेको उनका दिल ऊर गया है। यद्यपि देश-संघांके लिये जेलके मार्दका अवलम्बन करना अनिवार्य है तो भी वे इस मार्दको छोट समझते हैं, किन्तु

जिस रुद्धि, परम्परा और मर्यादाको उन्होंने धर्म मान लिया है उसका वे त्याग नहीं कर सकते। धर्मके लिये देशको छाड़ा जा सकता है किन्तु देशके लिये धर्मकी एक मात्रा भी कम नहीं की जा सकती।

ऐसी कितनी हो प्रत्यक्ष घटनाओंसे ब्रेरित होकर 'राष्ट्र-धर्म' के सम्बन्धमें कुछ लिखनेका विचार कई बार पैदा हुआ। इस बार जनघरीके शुरूमें ही एमजेसी आर्डिनेंसमें अलीपुर सेण्ट्रल जेलमें लाये जाने पर इस विचारको पूरा करनेका निश्चय किया। मित्रोंकी पारस्परिक चर्चासे वह विचार और भी अधिक दृढ़ हो गया। इस निबन्धका खाका भी खींच लिया गया था और सोचा गया था कि इस बारके जेल-जीवनमें पहला काम यह ही किया जायगा। पर, खाका खींचनेके बाद ही कुमारी ब्रेस पलिसनकी लिखी हुई 'टर्की टुडे' नामकी पुस्तक हाथ लगी। इस विषयकी पूर्ण-समर्थक वह ऐसी पुस्तक थी कि उसके अनुवाद करनेके लोभका संवरण करना कठिन हो गया। उसको पूरा किया। उसके बाद दूसरे कामोंमें समय निकल गया। दो मासका आर्डिनेंस की और छः मासकी राजद्रोहकी सजाकी अवधि पूरी होनेको सिरपर आ गई, पर इसके लिखनेका संकल्प यों ही रह जाता जान पड़ा। पर, विचार इतना दृढ़ हो चुका था कि उसको पूरा किया ही गया और जेल-जीवनकी इस अवधिके पूरा होनेसे एक ही दिन पहिले आश्री रातको उसको पूरा करनेके बाद भूमिकाकी ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं।

पुस्तिकाको आन-बूझ कर कहु नहीं बनाया गया है और धर्मों-को आलोचना बड़ी संयत भाषामें वहुत सावधानीके साथ की गई है। किसी धर्मविशेष पर आश्रेष्ट करना इस पुस्तिकाका उद्देश्य कदापि नहीं। इससे धर्मोंके नामसे प्रचलित अनेकों वेदु-दण्डियों और वहमोंका बमझ-बूझ कर ही वर्णन नहीं किया गया है। उनकी ओर संकेत कर देना ही काफी समझा गया है। इस पर भी यदि पुस्तिकाको भाषा अथवा किसी विचार विशेषसे किसीके हृदय पर कुछ चोट पहुंचे तो उसके लिये विनोत-भावसे हम क्षमा प्रार्थों हैं। जिस राष्ट्रीय भावनासे प्रेरित होकर इसको पढ़ा गया तो आशा नहीं कि किसीके हृदय पर कुछ भी चोट लगे। जो लोग प्रकाशसे भय खाने वाले चोरके समान इससे भय करेंगे, उन के भयको दूर करना संभव नहीं। यह हम स्वीकार करते हीं कि भिन्न भिन्न धर्मोंके सम्बन्धमें हमारा ज्ञान 'नहीं' के क्षी समान है। पर, जिस हृषिक्षण किंवा विचार-साधणिको इसमें स्पष्ट करनेका यह किया गया है, उसके लिये धर्मोंके तात्त्विक किंवा शास्त्रीय ज्ञानकी थी, जितना कि याहा अनुष्ठानके ज्ञानकी थी। जोकि इस पुस्तिकाके विचारका विषय धर्मोंके तात्त्विक किंवा शास्त्रीय रूपको नहीं बनाया गया। उनके याहा-रूप और उन पर आधित अनुष्ठान पर ही विचार किया गया है। सर्वतांत्रिकामें धर्मोंके शास्त्रीय किंवा तात्त्विक रूपका ज्ञानेवाले कितने हैं! वे तो धर्मकी विद्यमान, आष्टमर और पापण्डके

नामपर कितने समय और धनकी वरयादी की जाती है ? राष्ट्र-धर्मका अनुयायी अपनेको इन सब भंभटोंसे बचा कर अपने सब समय और धनको राष्ट्रसेवाके अर्पण कर सकता है । चास्तवर्में ऐश्वर्यो ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओंकी बड़ी भारी आवश्य नना हैं जिनको दृष्टिको धर्मने संकुचित, वृत्तिज्ञ अनुदार, स्वभावको असहिष्णु, दिमागको स्तनकी पद्मं श्रावार-विचारफो पक्षपात-पूर्ण नहीं बना दिया है, जो न केवल जात-पात किन्तु धर्म-गत भेद-भाव तथा ऊंच नीचकी कुसित भावनासे भी ऊपर उठे हुये हैं, जो धर्मकी विडम्बना, बाढ़म्बर पद्म पाल्पण्डसे सब प्रकार वचे हुये हैं और जिन्होंने धर्मके समान राजनीतिको भी दिलाका न बना कर बिना किसी शर्त तथा बहानेके अपने समस्त जीवन को ही पूर्णस्पृहमें राष्ट्र-सेवाके अपित कर दिया है । यदि इस पुस्तिकाने राजनीतिक-क्षेत्रमें जाम लगने वाले कार्यकर्ताओंमें छढ़ि, परम्परा पद्म त्विजके नामसे प्रबलित लोकाचार तथा शास्त्राचारके निरोधमें बड़े होकर धर्मके विलक्ष विद्रोह करनेकी नीतिरूपकि कुछ थोड़ी सी भी पंदा कर दूँ, तो लेपक अपने प्रयत्नको सफल हुआ समझेगा ।

इसमें सन्देह नहीं कि इस पुस्तिकाकी बहुत कट्टा बालोचना की जायगी । लेपक पर भी कुछ कटाख किये जा सकते हैं । यदि ऐसा हुआ तो वह अपने बहुको सफल हुआ समझेगा । उस सबको वह अपने परिध्रमका पुरस्कार मान कर पराक्षमामें उत्तीर्ण हुये विद्यार्थीको समान सदर्प स्वांगार करेगा । ऐसा पुरस्कार भी जद मिसीके भाग्योंमें नहीं बढ़ा है ।

जिन सहदय मित्रों एवं बन्धुओंने लेखकको इसके पूरा करनेके लिये उत्साह प्रदान किया है और इसकी हस्तलिखित प्रतिको पढ़कर कुछ दाद दी है, उन सबका लेखक अत्यन्त कृतज्ञ है। उनकी ओरसे बढ़ावा मिले चिना कदाचित् पुस्तिकाको यह रूप प्राप्त न हुआ होता। विश्वमित्र-सम्पादक आदरणीय श्री माता-सेवकजी पाठकने इसकी मूलप्रतिज्ञे पढ़नेकी जो सहज कृपा की है, उसको भुक्ताया नहीं जा सकता। उनका भी लेखक अनुगृहीत है।

लेखक अपनेको राष्ट्रका एवं लुच्छ सेवक मानता है। इसीसे वह राष्ट्र-धर्मका हामी और उसके लिये आवश्यक धार्मिक एवं सामाजिक क्रान्तिकार कहर उपासक है। अपने इस विश्वासको अधिक दृढ़ करनेकी दृष्टिसे भी उसने इस पुस्तिकाको लिखनेका साहस किया है। राष्ट्र-धर्मके सम्बन्धमें भी कुछ आशङ्कायें की जा सकती हैं। उन आशङ्काओंपर एवं राष्ट्र-धर्मके विशद्भू-रूप पर इस लिये विचार नहीं किया गया कि उससे इस पुस्तिकाका रूप कुछ ऐसा हो जाता कि वर्तमान आर्द्धनैसके युगमें ग्रेसके मालिक उसको मुद्रित करनेके लिये तययार नहीं होते। अब भी मूल-प्रतिमे इस दृष्टिसे काफी कांट-छांट की गई है, उसकी पूर्ति संभव हुआ तो फिर कभी की जा सकेगी।

सिद्धीघेशन-यार्ड
अलीपुर-सेप्टूल-जेल,
कालान्तरा १-८-३२ } —सत्यदेव विद्यालंकार

???

१— विषय-प्रवेश	५
२— धर्म क्या है ?	११
३— क्या धर्मोंका संशोधन सम्भव है ?	४१
४— तो किया क्या जाय ?	५३
५— कुछ आचेपों पर विचार	८६
६— राष्ट्र-वाद या राष्ट्र-धर्म	११४

धर्म क्या है ?

—“गरीबको बड़ा सन्तोष मानना चाहिये कि वह पाप-पुण्यके इस अंकुरसे इसीलिये अलिप्त है कि वह धर्मजीवी लोगोंकी नियत दक्षिणा चुकानेकी शक्तिसे बचता है।……धर्मने मनुष्यकी दृष्टिको संकुचित, वृत्तिको अनुदार, स्वभावको असहिष्णु, दिमागको सनकी और आचार-विचारको पतित बनाकर मनुष्य-समाजके जीवनमें हठ, दुराग्रह, विरोध, ईर्ष्या और द्वेषकी भावनाको मनुष्यके देहमें रुधिरकी तरह पैदा कर दिया है।”

—“Then as now the public profession and confession of orthodoxy was chiefly met with among people who were dull and cruel and who considered themselves very important . Ability, honesty, reliability, good nature, moral conduct were more often met with among unbelievers.

—Leo Tolstoy.

—“इस समयके समान उस समय भी धर्म मुख्यतः उन लोगोंके व्यवसाय एवं विश्वासका विषय था, जो कि आलसी एवं अत्याचारी थे और अपनेको बहुत अधिक महत्व देते थे। योन्यता, ईमानदारी, नेक-नीयती और सच्चिदाता आदि सद्गुण अधिकांशमें नास्तिक लोगोंमें ही पाये जाते थे।”

—टालस्टाय।

राष्ट्र-धर्म

~ ~ ~ ~ ~

१

धर्म क्या है ?

गुरुकुल-विश्वविद्यालय (कांगड़ी) के महाविद्यालय-विभाग की तीसरी कक्षाकी घटना है। वैदिक-साहित्यकी पढ़ाई का समय था। गुरुजी शतपथ-ब्राह्मणमें से गोमेध-यज्ञका प्रकरण पढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने विचारके अनुसार गोमेध-यज्ञकी व्याख्या करते हुये बताया कि किस प्रकार गायको स्तूपके साथ वांधकर यज्ञमें उसकी बलि और आहुति दी जाय। गोमेध-यज्ञकी यह व्याख्या समाप्त होते न-होते एक विद्यार्थीने गुरुजीसे कुछ शंका करनेकी इच्छा प्रगट की। गुरुजीने प्रसन्नतापूर्वक शंका प्रगट करनेकी आशा दी। विद्यार्थीने विनीत-भावसे पूछा कि यदि गोमेध-यज्ञकी इस व्याख्याको ठीक मान लिया जाय तो मुख्लमानोंकी ईदके दिनकी (गायकी) कुर्वानी और हिन्दुओंके इस गोमेध-यज्ञमें पका मेद है? गुरुजीने लगभग एक घण्टेतक संस्कृतमें व्याख्यान दिया और शंकाका समाधान करनेका यत्न किया।

पर, शंका मिटी नहीं। गुरुजी इसपर इतने आवेशमें आ गये कि उन्होंने विद्यार्थीको नास्तिक और शाख पढ़नेके लिये अमधिकारी इत्यादि फहकर उस शङ्काको दबाना चाहा। परिणाम यह हुआ कि न केवल शङ्का करनेवाले विद्यार्थी, किन्तु सभी विद्यार्थियोंकी शतपथ-ब्राह्मण परसे श्रद्धा उठ गई। विद्यार्थियोंने रुचिके साथ उसको पढ़ना छोड़ दिया।

गुरुजीके स्वभाव, विचार और वृत्तिको स्पष्ट करनेके लिये लगभग उसी समयकी एक और घटनाका उल्लेख करना भी आवश्यक है। उस समयके बायसराय लार्ड चैम्सफोर्ड गुरुकुल देखनेके लिये आने वाले थे। गुरुकुलके इतिहासमें यह एक नयी घात थी। जिस संस्थापर सरकारकी सदा ही टेढ़ी और सन्देहात्मक दृष्टि रही हो, उसको देखनेके लिये सरकारके सबसे धड़ विधिकारीका आना कोई मामूली घात नहीं थी। इस लिये उसके स्वागतके लिये असाधारण तथ्यारियां की गईं। स्वागतके कार्य-क्रमकी सूचना निपाली गई। नियत स्थानपर सब विद्यार्थियों तथा अध्यापकोंको एकत्रित होनेके लिये सूचित किया गया। गुरुजीने सूचना-पत्रपर लिख दिया कि ‘म्लेछके स्वागतमें सम्मिलित होनेमें भी असमर्थ हूँ।’ वे स्वागत समारोहमें सम्मिलित नहीं हुये। बायसराय जब पढ़ाईका निरीक्षण करने आये, तब गुरुजी महाविद्यालयकी दूसरी कक्षाको संस्टून-साहित्य पढ़ा रहे थे। बायसरायने कमरेमें प्रवेश करते ही गुरुजीसे हाथ पिलानेको हाथ बढ़ाया। गुरुजीने हाथ पीछे हटा लिया। बायस-

राय कुछ आगे बढ़े तो गुरुजी पीछे हटे । पर, पीछे ही दोबार थी । अधिक पीछे हटना संभव नहीं था । हाथ मिलाना ही पड़ा । वायसराय बिना उहरे ही तुरन्त अगले कमरेकी ओर चल दिये । गुरुजी संस्कृतमें वायसरायको म्लेछ, पतित, भ्रष्ट इत्यादि गालियाँ देते हुये बाहिर निकले । गंगाके किनारे गये । रास्तेसे गोबर लिया । बहतर बार उस हाथको धोया, कपड़े धोये, गंगामें स्नान किया—इसके अलावा भी न मालूम क्या क्या प्रायश्चित किया ?

धर्मको धंधी-भावना, पुरातन-संस्कार तथा परम्परागत विचारोंको प्रगट करनेके लिये सम्भवतः इससे बढ़िया घटनाका उल्लेख नहीं किया जा सकता ।

वैसे गुरुकुल-विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विचारोंकी क्रीड़ा-भूमि है । सामाजिक विषयोंमें अत्यन्त उदार, धार्मिक मामलोंमें बिलकुल स्वतन्त्र और राजनीतिक विचारोंमें एकदम खरे स्नातक पैदा करनेका गुरुकुलको सच्चा गौरव है । गुरुकुलके आर्यसमाज द्वारा संचालित होनेपर भी वहाँके स्नातक पेसे आर्यसमाजी नहीं हैं, जो भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंके खण्डनात्मक कार्यमें अपने तन-मन-धनको लगा देना ही धर्मकी सबसे बड़ी सेवा समझते हों, जो व्याख्यानों एवं लेखोंमें गुण-कर्म-स्वभावसे वर्णव्यवस्था माननेका निरन्तर समर्थन करते हुये भी व्यवहारमें जन्मके घेरेको लांघनेका साहस नहीं दिखा सकते हों, जो वेदोंका अध्ययन तो क्या दर्शन तक किये बिना उनके अन्यभक्त बने हुये हों, जो

सन्ध्या तथा हवनके मन्त्रोंका अर्थ जाने विना ही तोतेकी तरह उनको पढ़ लेनेमें हो अपने धार्मिक कर्म-काण्डकी इतिहासी माने हुये हों और जो हिन्दीका काला अक्षर भैंस वरायर न जानते हुये भी आर्यभाषाके सबसे चड़े समर्थक एवं आचार-विचार-व्यवहारमें गोरोंके नाक-कान घाटते हुये भी अपनेको आर्य-सम्यताका सदसे बहा पोपक बतानेका दम भरते हों। सारांश यह है कि गुरुकुल-के गातावरणमें पलने वालेके लिये किसी भी तर्कशून्य वातको स्वीकार करना संभव नहीं है, भले ही धर्मशास्त्र, परम्परा तथा रुद्धि द्वारा उसका कितना भी समर्थन यद्यों न होता हो ? इसलिये जहां गोमेध-यज्ञकी ग्राहणोंमें चर्चा होनेपर भी उस विधानको मानना संभव नहीं था, वहां गुरुजीका धायसरायको म्लेच्छ कहना भी ठीक नहीं माना जा सकता था ।

ऐसी ही कुछ घटनायें थीं जिनसे इन पंक्तियोंके लेखकके मनमें विद्यार्थी-जीवनमें ही धर्मके सम्बन्धमें नाना प्रकारके शंकागुरु विवाह पैदा होने शुरू हो गये थे । फिर इतिहासका धर्ययन विशेष रूपमें करनेसे उससे यह छिपा नहीं था कि धर्मके नामपर भारत में कितना अनर्थ हुआ है ? धर्मघोषी बाड़में ही वाममार्ग सरीखे समग्रदाय चल पढ़े, जिनमें पंच-मकारों (भू, मांस, मीन, मुद्रा और मंशुन) को ही यम-नियम मान लिया गया और इन्द्रियोंके चुस्तोंके लिये किसी भी शातफो उठा नहीं रखा गया ।

मांस-मयिराके भक्तोंने दैवताधोरोंके नाम पर उनका व्यवहार शुल्क किया । मन्दिरोंमें चकरों और भैंसोंफो बलि दैवल इसलिये

शुरु हुई कि धर्मजीवी लोगोंके लिये अपनी जिहाको लिप्सा पूरी करनेके लिये दूसरा कोई सहज मार्ग नहीं था । देवदासी-प्रथा ऐसे लोगोंकी व्यभिचार-लीलाका नग्न-रूप है । इस व्यभिचारका श्रीगणेश भी देवताओंके ही नाम पर हुआ और इस युगमें भी यह बेशर्मीकी प्रथा अव्याहत रूपमें चालू है । कौनसा ऐसा पाप है जिसका श्रीगणेश धर्मके नामसे नहीं हुआ है और धर्मके नामसे ही उसका समर्थन नहीं किया जा रहा है ? पारस्परिक प्रेम, सद्व्यवहार और एकताकी हत्या भी धर्मके नामसे ही की गई है । जात-पात, छूत-छात और खान-पानके भेद-भावकी दीवारें धर्मकी नींवपर खड़ी की गई हैं । पुरुषोंकी स्त्रियोंके प्रति समलौकिक मनमानीका समर्थन केवल 'धर्म' के नाम पर किया जाता है । पति 'देवता' है, अंधा, लंगड़ा-लूला एवं अपाहज होनेपर भी स्त्रीके लिये वह आराध्य-देव है और स्त्री है मिठ्ठीकी हाँड़ी, पैर की जूती, काम-कलाके साधनकी मशीन एवं चौबीसों घण्टेके लिये अवैतनिक सेवा करने वाली दासी । इन सब विचारोंका जन्म कहांसे हुआ, कैसे ये सब विचार वर्तमान समाजमें दृढ़-पालोंकी तरह समा गये और क्यों आज भी उनको दूर नहीं किया जा सकता ? इन और ऐसे सब प्रश्नोंका उत्तर स्पष्ट है । धर्मके गर्भसे ये सब विचार पैदा हुये हैं, धर्मने ही उनको वर्तमान-समाजके रग-रगमें समा किया है और धर्म ही उनको दूर करनेमें सबसे बड़ी बाधा है । स्त्री और पुरुषमें किंवा पुरुष और पुरुषमें जितना भी पारस्परिक कंचनीजाका भेद-भाव किंवा

असमानता पाई जाती है, उस सबको धर्मने पैदा किया है और अब तक भी वह धर्मके ही आश्रय पर समाजमें टिकी हुई है।

व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टिके अलावा राजनीतिक दृष्टिसे धर्मने देश अथवा समाजकी जो हानि की है, उसको फिरी भुलाया नहीं जा सकता। उस हानिकी याद आते ही धर्म के प्रति विद्रोहकी भावना फुकार मारती हुई सर्पिणीकी तरह जाग उठती है। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्मने ही देश, समाज किंवा राष्ट्रका सर्वनाश किया है। मुसलमानी समयके इतिहास से कितनी ही घटनायें इस सर्वनाशकी साक्षीके रूपमें उपस्थित की जा सकती हैं। और राजपूत क्षत्रियोंकी सेनायें शस्त्रास्त्रसे मुसलिमोंके द्वारा उपस्थित होकर उपस्थित होनेपर भी सोमनाथके सुप्रसिद्ध विशाल मन्दिरका अटूट खजाना। केवल इसलिये लुट गया कि धर्मके लोकोंने यह व्यवस्था दे दी कि “क्षत्रियोंको तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं। मन्दिरमेंसे भगवान् उठेंगे और वे स्थर्यं सब म्लेच्छोंका नाश कर डालेंगे।” क्षत्रिय मिट गये, उनके भगवान् लुट गये और उनका खजाना भी यही वेदमीके साथ लूटा गया। शशुभेना किलेके द्वार पर यही हुई एक पर एक खोट कर रही है। धर्मके व्यवस्थापक यह शुक्र करनेकी व्यवस्था देते हुये कहते हैं कि उसमें गोल-मिच्चे ढालते जाओ। जितनी गोल-मिच्चे उसमें ढाली जायेंगी, उतने ही शशु बाहिर भरते चले जायेंगे। किला शशुओंके दृस्तगत हो जाता है। यह करनेकी व्यवस्था बैने वाले और करने वाले सभके सब गुलाम हो जाते

हैं। मुसलमान लोग कुछ गायें लाकर सामने खड़ी कर देते हैं। राजपूतोंकी उठी हुई तलवारें नीचे झुक जाती हैं। गोमाता पर तलवार कैसे चलाई जाय। भले ही पश्चीम-पवास गायोंके पीछे सारा देश गुलाम हो जाय और अपना भी सब जीवन गुलामीमें बिताना पड़े। एक राजपूत-राणा दूसरेको पत्र लिखते हैं कि क्यों न सब एक होकर शत्रुका सामना करें और अपने देशकी स्वाधीनताके यत्नमें सफल हों। उत्तर मिलता है कि छोटी जातके राणाकी आधीनतामें लड़ाईके मैदानमें खड़ा होना बड़े राजपूतोंकी कुल-मर्यादाके विपरीत है। मानो गुलामीका तौक गलेमें डाल कर अपनी स्वाधीनतासे हाथ धो बैठना कुल मर्यादाके अनुकूल था। ऐसी जितनी घटनाये चाहें उतनी इतिहासमेंसे उद्भृत की जा सकती हैं।

कहा जाता है कि धर्मकी रक्षाके लिये राजपूतोंने खून पसीना एक कर दिया, मुसलमानोंको यहां पछाड़ा वहा पछाड़ा, अकबरके दांत खट्टे किये, औरंगजेबकी नाकमें दम कर दिया और अपने सर्वस्वकी बाजी लगा दी। बीर सिखोंने भी ऐसा ही किया। शूरवोर मराठोंने उनको भी मात कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविन्दसिंह और महाराणा प्रतापसिंहको गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक, धर्म-सरक्षक आदि कहते हुये हम कभी थकते नहीं। सिख-मराठों-राजपूतोंको बहादुरीके हम कायल हैं और बीर पुरुषोंकी बीरता, त्याग एवं तपस्या का हमें यथेष्ट अभिमान है। पर, इसका यह अर्थ नहीं कि एक स्पष्ट ऐतिहासिक सचाई की

ओरसे जान बूझकर आंखें फेर ली जाय। परिणाम पर कुछ विचार ही न किया जाय। मुसलमानी कालका इतिहास वता रहा है कि न तो हम अपनी स्वाधीनता की रक्खा कर सके, न देशकी, न धर्मकी और न सम्मता की ही। मुसलमानोंकी संख्या इतनी प्याँचढ़ गई? क्यों इतने अधिक प्रदेशमेंसे हिन्दुत्वकी छाया ही मिट गई?

इन प्रश्नोंके उत्तरमे मुसलमानी अत्याचारोंकी दुष्टाई दी जाती है, उनके हिन्दु द्वेषको अतिरंजित करके वताया जाता है और उनकी बुत-शिकनीका अत्युक्ति पूर्ण शब्दोंमें वर्णन किया जाता है। मानो अपना तो इसमें कोई दोष है ही नहीं। पर, घस्तुस्थिति कुछ ऐसी है कि उसमें अपना भी कुछ कम दोष नहीं है। मुसलमानको छाया पड़ने पर जिस समाजमें खोका सतीत्व भ्रष्ट होता हो और घट स्याज्य समझी जानी हो, मुसलमानके हाथके पानी जा छींटा मुंछमें पड़ जाने पर जिस समाजमें मनुष्य धर्म-भ्रष्ट एवं जाति-भ्रष्ट माना जाता हो और जिस समाजमें धर्मका सान हृदय नहीं किन्तु पेट मान लिया गया हो, उसका इस प्रकार पतन और हास न होता, तो क्या होता?

भारतमें अंगरेजी-राजका ग्रामस्थिक इतिहास इस कथनको और भी अधिक स्पष्ट कर देता है। माना, मुसलमानोंने तलवारके जोरपर अपना मजहब बढ़ाया था, किन्तु ईसाइयोंने जो मजहब बढ़ाया है, उसका कारण तलवार नहीं है। उसका स्पष्ट कारण है हमारी घट कमजोरी जिसका कि मूल कारण हमारी धर्मिक-भावना है। कहते हैं कि दक्षिणमें द्वंद्व रोटीके जूदे

टुकड़े जिन कुंओंमें डाल दिये गये, उनका पानी पीलेवाले जाति-च्युत कर दिये गये और वे परधर्मी बननेके लिये वाधित हुये। इतना ही नहीं कितने ही लोगोंको समुद्र यात्राके लिये भी—भले ही उसका उद्देश्य उच्चशिक्षा प्राप्त करना थयों न था—जातिच्युत और धर्मच्युत होना पड़ा है। जिस धर्मका हमको इतना अभिमान है, वह चास्तधर्ममें इतना कमज़ोर है कि उसका भ्रष्ट होना बद्धोंका खेल है, जिसके बिगड़नेमें तनिक भी समय नहीं लगता। जब कि मनुष्यके अभिमानका ही कुछ भरोसा नहीं, तब भला उसका क्या भरोसा हो सकता है, जिसका कि उसको सबसे अधिक अभिमान है? जाति और कुलकी मर्यादाके समान ही धर्मकी मर्यादा भी इसीलिये क्षणभंगुर हो गई है कि मनुष्यको उसका बहुत अधिक अभिमान हो गया है। जो दूसरोंको नीच किंवा पतित समझता है, उसके नीच किंवा पतित होनेमें सन्देह ही क्या है? अस्तु, हिन्दु-समाजका इसीलिये मुख्लमानी कालमें इतना अधिक पतन हुआ। अंगरेजी-राजमें तो उसके पतनका चक्र और भी अधिक वैगसे घूमने लगा। इसाई अपने क्रूस और बाईबिलके साथ इस देशमें इसी विश्वासके साथ घुसे थे कि वे बीस या तीस वर्षमें ही सारे देशको इसाई बना लंगे। लार्ड मैकालेको अपने ऊपर इतना विश्वास था कि उसने अपने पिताको १८३८ में लिखा था कि अबसे तीस वर्ष बाद बंगालमें एक भी व्यक्ति हिन्दु-धर्माभिमानी नहीं रहेगा। मद्रासमें इसाइयोंका जो पहिला गिरोह धर्म-प्रचारके लिये आया था, उसकी यह आयोजना

थी कि एक तिहाई शतांश्विंशे समस्त भारतको ईसाई-धर्मकी दीक्षा में दीक्षित कर लिया जायगा। निश्चय ही ईसाइयोंका यह लालसा पूरी नहीं हुई किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दु-समाज-की धर्म-सम्बन्धी कमजोरियोंसे ईसाइयोंने लाभ उठानेमें कुछ भी फोर-कसर नहीं रखी। वे अब तक भी उनसे लाभ उठा रहे हैं। इस प्रकार हमारा धर्म और हमारी धार्मिक-भावना ही हमारे पतन, हास और क्षयका कारण हो रही है।

‘दीती ताहि विसार दे’से भी काम नहीं चलता। क्योंकि धर्मसे होनेवाली इस हानिका क्रम अब भी जारी है। समाजमें फैले हुये पाखण्ड और पाप, छल और फपटका एकमात्र कारण धर्म है। जिन शास्त्रोंने बार बार ‘न लिङ्गः धर्मकारणम्’ की व्यवस्था दी है, उन शास्त्रोंके नामसे ही जनेऊ, चोटी आदिको इतनी प्रधानता दे दी गई है कि मानो उनके बिना मनुष्य धर्मसे ही व्युत हो जाता है और वैसे ये चिन्ह सब प्रकारके पापकी गारणी या परवाना हैं। जितना चाहो जनेऊ पकड़ कर झूठ योल लो और दुनियाको ठग लो। घटी से बढ़ी झूठी घातके लिये भी जनेऊ क्षयमें लेफर सहजमें प्रतिज्ञा की जा सकती है। चोरी, झूठ, व्यभिचार आदि कोई भी पाप जनेऊ और चोटाके लिये निपिद्ध नहीं है। जप-तप और पूजा-पाठ भी मानो सब इसीलिये रखा गया है। घर, उपवास और तोर्ध्याश्राकी व्यवस्था भी संभवतः इसीलिये की गई है। पुनर्जन्मकी सद्गति किंवा मोक्षकी घात-तो चहुन दूर की है, किन्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि इस

जन्मके समस्त पापोंके प्रक्षालनका प्रबन्ध उस मनुष्यने बड़ी शुद्धिभानीके साथ कर लिया है, जिसने धर्मको कल्पना, धर्म-चिन्होंकी रचना और धार्मिक अनुष्ठानोंका यह सब विधान इस संसारमें किया है। इस आविष्कारकी समाप्ति यदि पापोंके प्रक्षालन तक ही रहती तो भी बहुत था, किन्तु मनुष्य उससे भी आगे बढ़ गया है और उसने इन सब व्यवस्थाओं द्वारा पापका मार्ग बिलकुल खुला कर लिया है। पापकी सामग्री किंवा साधन रहनेपर रोक-टोक क्या रह जाती है ? यह स्पष्ट है कि जो जितना अधिक पाप करता है, वह उतना ही अधिक धार्मिक चिन्होंसे लदा रहता है या जो जितना अधिक धार्मिक चिन्होंसे लदा रहता है वह उतना ही अधिक पापके गर्तमें गिरा रहता है। समभवतः इसीलिये धार्मिक तीर्थस्थान इस समय पापके गढ़ बने हुये हैं। कौन-सा ऐसा पाप है जो इन तीर्थस्थानों पर नहीं होता ? धर्माभिमानी हिन्दुओंकी व्यभिचार-लीलाका कलङ्क धोनेके लिये तीर्थस्थानोंका जल मानो अमृत है। देवर, ससुर या ऐसे ही किसी दूसरे घर वालेकी पाशविक इच्छाकी शिकार बनी हुई अबोध एवं निरपराध विधवाको तीर्थ-यात्राके जालमें फँसा कर ही तीर्थ-स्थानपर ले जाकर निराश्रित बना कर छोड़ दिया जाता है। भ्रूण-हत्या किंवा गर्भ-पात तथा शिशु-हत्याका पाप तो इन तीर्थोंके मस्तकपर ऐसा लग चुका है कि वह शतब्दियों-के निरन्तर यत्के बाद भी धुल नहीं सकेगा। अपने इस और ऐसे ही सब पापोंको तीर्थोंके माथे मढ़कर स्वयं निश्चिन्त हो

जानेके लिवा तीर्थोंका उपयोग ही और क्या है ? घैसे भी तीर्थ-यात्राका प्रयोजन क्या है ? केवल यह ही कि किये गुये पापोंसे कुट्टकारा मिल जाय तथा धर्मकी आमदनीमें दो-चार बेसे और जमा हो जाय । जिसके पास जितना ही अधिक तीर्थयात्राका रिकार्ड है, वह उतना ही अधिक धार्मिक समझा जाता है, भले ही उसका व्यक्तिगत जीवन किनना भी पतित क्यों न हो ।

इस प्रकार व्यक्तिगत, सामाजिक किंवा राजनीतिक आदि सभी दृष्टियोंसे धर्मने हिन्दु-समाजको जिस दीन-हीन अवस्थामें पहुंचा दिया है, उससे अधिक पतित अवस्थाकी कल्पना नहीं की जा सकती । हिन्दु-मुसलमानोंके पारस्परिक-संघर्षसे भारतीय राष्ट्रके मुख्य पर जो कालिमा लगी है, उसका प्रधान कारण भी धर्म किंवा धार्मिक-भावना ही है । पीपलकी दृढ़गी, ताजियोंकी ऊँचाई, ईदकी कुर्यानी, मसजिदके लिये धारेकी आवाज आदि ये हृदगियोंका तब तक मिटना संभव नहीं है, जब तक कि भारतीय-समाजके रण-रणमें 'धर्म' का घातक विष फैला दुआ है । इस पारस्परिक-संघर्षसे लगी गुर्दे फालिएको भी इस विषको बुझाये विना दूर करना संभव नहीं है । दक्षिण-भारत-की ग्राहण-ग्राहणेतर-समस्याका आधार भी धर्म ही है ।

धार्मिक वृत्तिके समाजसुधारक तुम्हते कह उठते हैं कि यह धर्म नहीं, धर्म का पतित-रूप और पतित-धार्मिक-भावना है जिस से देश, समाज अथवा राष्ट्रकी इतनी हानि गुर्दे है । वे धर्मकी प्रशंसामें संस्कृतके वाक्य बोलते गुये फज्जी थकते नहीं । मनु आदि

के वाक्योंको उद्धृत करते हुये कहने लगते हैं कि “धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।” अर्थात् धर्मकी हमने हत्या की है इसी लिये हमारा सर्वनाश हुआ है । यदि हम धर्मकी रक्षा करें तो धर्म भी हमारी रक्षा करे । धर्मपर अन्ध-विश्वास रखने वाली भोली-भाली जनताको इस प्रकार ठगना सहज है, किन्तु विवेकसे काम लेने वालोंको संस्कृत-वाक्योंके भ्रमजालमें नहीं फ़ंसाया जा सकता । माना कि जिस धर्मसे हुई हानिका ऊपर उल्लेख किया गया है, वह सत्य-धर्म नहीं है । पर प्रश्न यह है कि सत्य-धर्म क्या है ? कोई भी धर्मावलम्बी अपने धर्मेको असत्य और दूसरे के धर्मेको सत्य माननेके लिये तथ्याद नहीं है । सभी एक दूसरेको मिथ्या बताते हैं और परस्पर एक दूसरेकी निन्दा करते हैं । हिन्दू धर्मकी अवस्था तो मदारीके पिटारेके समान हो रही है । देवी देवताओं और प्रचलित सम्प्रदायोंकी गणना करना असम्भव

‘तो यह है कि इनकी संख्या बड़ी लेजीके साथ बढ़ रही है और इनके द्वारा पैदा होनेवाला हठ, दुराग्रह, विरोध, द्वेष, ईर्ष्या तथा स्पर्धा भी प्रति दिन बढ़ रही है । जैनियोंके सम्बन्ध में दूसरे लोग यह कहते हैं कि “हस्तिना ताङ्गमानोऽपि न गच्छे-ज्ञैनमन्दिरम् ।” हाथीके पैर तले कुचले जानेका संकट सामने उपस्थित हो जानेपर भी आत्मरक्षा तकके लिये जैनीके मन्दिरमें नहीं जाना चाहिये । जैनियोंने दूसरोंके सम्बन्धमें यह कहना शुरू किया कि “गंगादि तीर्थों तथा काशी आदि क्षेत्रोंके सेवनसे कुछ भी परमार्थ सिद्ध नहीं होता और गिरनार, पालीटाना तथा आबू

आदि तीर्थ या क्षेत्र मुक्ति-पर्यन्त देने वाले हैं।” “शिव, विष्णु आदिकी मूर्तियोंकी पूजा करना नरकका साधन है।” अठारह पुराणोंमें परस्पर जो मिन्नता एवं विरोध पाया जाता है, वह भी कुछ कम आश्रयेन्नक नहीं है। शिवपुराणमें शैवोंने शिवको परमेश्वर मान फर विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश और सूर्य आदिको उनका दास बताया है। वैष्णवोंने विष्णुपुराणमें विष्णुको परमात्मा माना और शिव, आदिको विष्णुका दास। देवी भागवतमें देवों परमेश्वरी और शिव, विष्णु आदि उसके किंफर यताये गये हैं। गणेशपुराण (खण्ड) में गणेशको ईश्वर और शेष सब उसके दास कहे गये हैं। ऐसी स्थितिमें इन धर्मों द्वारा परस्पर घृणा, द्वेष और विरोध न कीले तो क्या हो ? हिन्दू-समाजके सम्प्रदायोंकी जब यह स्थिति है, तब हिन्दु-मुसलमान तथा ईसाइयोंमें जो पारस्परिक द्वेष, विरोध, घृणा एवं तिरस्कार की भावना है, उसको स्पष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं।

इन सब धर्मों किंवा सम्प्रदायोंकी अवस्था इस समय ठोक बैसी ही है जैसी कि बाजारमें दुकानोंकी होती है। जैसे कि हर-एक दुकानदार अपने मालको बढ़िया और दूसरेकी दुकानफे भालको घटिया बताता है वैसे ही हरएक धर्मको मानने धाला अपने धर्मको सर्वथेष्ठ एवं मुक्तिका एकमात्र साधन और दूसरों के धर्मको अधम, पतित एवं निष्टुष्ट कहता है। मन्दिर, मसजिद, और गिर्जा सरीखे धर्मस्थानों एवं तीर्थस्थानोंमें मुक्तिका सौदा होता है, धर्मका भोल-तोल किया जाता है और इन स्थानों पर

होने वाला धर्मजुष्टाज वास्तवमें भैंट पूजा किंवा दक्षिणा पर ही एकमात्र निर्भर है। कितने ही तीर्थोंमें कितने ही मन्दिर हैं जिनमें चार आना, आठ आना, सवा रूपया या पाँच रूपया आदिकी दक्षिणा देने पर नियत स्थान तक जाकर धर्मकी नियमित आमदनी करनेकी बेहूदी व्यवस्था की गई है। पापके समान धर्मकी आमदनी भी मानो केवल पैसे वालोंके लिये ही सुरक्षित रख ली गई है। गरीबको वास्तवमें बड़ा सन्तोष मानना चाहिये कि वह पाप-पुण्यके इस भंभट्टसे इसीलिये अलिप्त है कि वह धर्मजीवी लोगोंकी नियत दक्षिणा चुकानेकी शक्तिसे वंचित है। इस प्रकार धर्मने मनुष्यकी दूषिट्को संकुचित, वृत्तिको अनुदार, स्वभावको असहिष्णु, दिमागको सतको और आचार-विचारको पतित बना कर मनुष्य-समाजके जीवनमें हठ, दुराग्रह, विरोध, ईर्ष्या, और द्वेषकी भावनाको मनुष्यके देहमें रुधिरकी तरह पैदा कर दिया है। यही कारण है कि मौलाना मुहम्मद अली सरीखा विद्वान् व्यक्ति भी यह कहनेकी मूर्खता कर सकता है कि “मैं अदनेसे अदने मुसलमानको भी, क्योंकि वह मुसलमान है; महात्मा गान्धीसे कहीं अधिक श्रेष्ठ मानता हूँ।” मौलाना मुहम्मद अली की दूषिके समान ही प्रायः सभी लोगोंकी दूषिट्को धर्मने ऐसा मंद बना दिया है कि वे मौलानाको उसकी मूर्खताके लिये कोसते हुये भी स्वयं उसीके अनुसार रात-दिन आचरण करते हैं। हमारे दैनिक जीवनकी छोटासे छोटी घटना भी इस मूर्खतासे खाली नहीं है। ग्राहण कितना भी पतित, गंदा, मैला, भ्रष्ट,

गंजेड़ी और भंगेड़ी आदि करों न हो, उसके हाथका पानी पीने और खाना खानेमें घटेसे घडे धर्मामिमानीको भी कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु किसी छोटी जातिका व्यक्ति कितना भी पवित्र, सदाचारी, साफ-सुथरा और व्यसनोंसे रहित क्यों न हो, उसके हाथका पानी पीना और खाना खाना खाना खाना धर्मकी दूषित्से पक्कदम नियिद्ध है। गलेमें जनेऊ होना चाहिये, भले ही उसपर मखियां भिनभिनती हों और चाहे धोतो पर इतना मैल लदा हो कि मानो तारकोलमें भिगो दी गई है। घदनका पसीना अहकर भलेही रसोईके नमकके स्वादको कुछ तेज फरदे और तमाखूकी बिल-मके हाथोंसे ही करों न आटा साना गया हो। पर, रसोइया यदि 'भहाराज' है तो यह सब धर्मकी दूषित्से 'जा' है। प्यास लगी हो, धोड़ीका नशा दिमागमें खलल पैदा करे या तमाखू खानेकी सत्रफ समा जाय तो तुरन्त पासमें बैठे हुये की जात पूछो जायगी। जहां एक जात हुई कि भाईचारा शुद्ध हो जायगा। जातके बाद कुछ और मालूम करनेकी आवश्यकता नहीं समझी जाती। दैनिक जीवनका समस्त व्यवहार इस प्रकार रहते हुये क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि मौलाना मुहम्मद अलीकी मूर्खता हमारे आचार-विचारका एक ऐसा हिस्सा बन गई है, जिसको कि हम उससे अलग नहीं कर सकते ? अपनी जात किंवा धर्मके व्यक्तिके साथ जो भाईचारा सहजमें हो जाता है, वह दूसरी जात किंवा धर्म वालोंके साथ क्यों नहीं होता ? जैसा प्रेम, विश्वास और व्यवहार हम अपनी

जात या धर्म वाले के साथ कर सकते हैं, वैसा दूसरों के साथ क्यों नहीं करते ? इसलिये कि हम अपनी जात और धर्म वाले अदनेसे अदने व्यक्तिको भी दूसरी जात् किंवा धर्म वाले श्रेष्ठसे श्रेष्ठ व्यक्तिसे भी अधिक श्रेष्ठ, पवित्र और उच्च समझते हैं। धर्मकी दुकानदारी करने वाले पण्डे-यण्डित-पुरोहित और पुजारी तो यहां तक कहनेकी हिमाकत करते हैं कि उनके रजिस्टरमें नाम दर्ज कराना ही इस संसारके समस्त पापोंसे मुक्ति पानेके लिये बस है। हम लोग ईसाइयोंकी गिर्जाधरकी प्रार्थना का मजाक करते हैं और उनकी इस भावनाको खिलबाड़ समझते हैं कि प्रभु ईसा संसारके समस्त पापोंके लिये शूली पर बढ़ चुके हैं, पर हमारी अपनी प्रार्थना और भावना क्या है ? धर्मोंके बाह्य रूपमें और उनके बाह्य अनुष्ठानमें भेद अवश्य है, किन्तु उन सबका अन्तरात्मा एक ही है। इसलिये धर्मके किस विकृत रूपको कोसा जाय, दैश-समाज अथवा राष्ट्रकी वर्तमान हानिका दोष किसके माथे मढ़ा जाय और किसको हेय बताया जाय ? जड़ तो सबकी एक ही है, शाकायं जलर अलग अलग हैं। इसीसे किसीने खिलकुल ठीक कहा है कि :—

“श्रुतयोऽपि भिन्नाः स्मृतयोऽपि भिन्नाः
जैको सुनि र्थस्य वचः प्रमाणये ।

धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां,

महाजनो येन नृतः स पन्था ॥”

अर्थात् “श्रुति-स्मृति सरीसे सभी धर्मशास्त्रोंमें घरस्पर भिन्नता

है। इससे धर्मशास्त्र लिखनेवाले किसी भी मुनिका वचन प्रमाण नहीं माना जा सकता। धर्मका तत्व बड़ा गहन है। साधारण मनुष्यको उसी मार्गका अवलम्बन करना चाहिये जिसका अवलम्बन महापुरुषोंने अपने जीवनमें किया है। इस कथनमें जिस सचाईकी ओर संकेत किया गया है, उसको थोड़ा खोलकर स्पष्ट करनेकी आवश्यकता है।

उक्त सचाईका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि शास्त्रोंके आधार पर धर्मका निर्णय नहीं किया जा सकता। जितने धर्म हैं, उनसे कहीं अधिक शास्त्र हैं। फिर इन शास्त्रों पर भी पण्डितोंने आजकल एकाधिकार किया हुआ है। अब इस एकाधिकारकी दीवार बहुत कुछ गिर चुकी है। फिर भी उसका आडम्बर काफी मात्रामें बना हुआ है। यद्यपि इन शास्त्रोंके धर्य और व्याख्या करनेका अधिकार भी पण्डितोंको ही है, तो भी इस सम्बन्धमें जितने मुंह उननी यातें सुन पढ़ती है। एककी की तुर्द व्याख्या दूसरेके साथ नहीं मिलती। सर्वसाधारणके पास इतनी शिक्षा भी कहाँ है कि वे शास्त्रोंको या शास्त्रोंकी व्याख्याको ही पढ़ सकें? इन शास्त्रोंके सम्बन्धमें दूसरी एक बात भी बड़ी ही दृस्यमय है। वह यह है कि धर्मग्रन्थ जिनके नामसे प्रचलित हैं वे उनके रचयिता नहीं हैं। सिखोंके ग्रन्थ-साहित्यमें गुरुओंकी व पीका संग्रह किया गया है। वाणी गुरुओंको है त्रीर संग्रह करने वाले दूसरे हैं। वेदोंके लिएने शाले झुग्गि हैं, किन्तु उनके अन्तरात्मामें उनको प्रेरणा करने वाले स्वयं परमात्मा हैं। इसाई

तो स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि बाईचिल ईसाके थाद लिखी गई है। सारांश यह है कि इन धर्मग्रन्थोंकी रचना ही कुछ ऐसी रहस्यपूर्ण है कि सीधे सादे व्यक्तिको ठगनेमें कुछ अधिक कठिनाई नहीं उठानी पड़ती। इसीलिये ये धर्मग्रन्थ भोली-भाली जनताको ठगनेके काममें अवश्य आ सकते हैं, किन्तु इनके द्वारा सत्य-धर्मका निर्णय करना सर्वसाधारणके लिये संभव नहीं है। सर्वसाधारणका उन तक पहुंचना ही अशक्य है। सर्वसाधारणमें कूट-कूट कर यह विचार भर दिया गया है कि धर्म बड़ा गहन है। उसके मर्मको समझनेका यत्न करना ही वृथा है। सम्भवतः इसीलिये मन्दिर और तीर्थ ऐसे अगम्य पहाड़ोंमें बनाये गये हैं कि वहाँ जाना और आना सर्वसाधारणके लिये अत्यन्त कष्टसाध्य है। जो मन्दिर या तीर्थ सर्वसाधारणकी पहुंचसे जितना ही दूर है उसका उतना ही अधिक माहात्म्य है। रामेश्वर, गया, जगन्नाथ (पुरी), हरिद्वार, द्वारिका, अयोध्या, काशी आदि धामोंकी रचना इसी दृष्टिसे की गई थी। उनकी रचना करने वालोंको क्या मालूम था कि रेल और मोटरका युग भी कभी आ पहुंचेगा और तीर्थ अथवा धाम मनुष्यकी पहुंचसे इतना परे नहीं रहेंगे। बद्रीनारायण और केदारेश्वर आदि तीर्थ अब भी कुछ ऐसे हैं जिनके द्वारा तीर्थोंके माहात्म्यके भ्रमजालमें जनता को अब भी फँसाये रखा जा सकता है और उसके दिमागमेंसे इस विचारको दूर नहीं होने दिया जाता कि धर्म बड़ा ही गहन है और उसका मर्म समझना मनुष्यकी शक्तिसे बाहिरका काम

है। सचमुच, धर्म एक हौवा है जिसके द्वारा कुछ लोग सर्व-साधारणको अपने हाथकी फटपुतली बनाये रख कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। माता बच्चेको अपने काश्मीर में रखने के लिये चिल्हीका भय दिखाया करती है। जब देखती है कि वहाँ चिल्हीसे नहीं ढरता तब उसको किसी दूसरी चीजका भय दिखलाती है। भूतका भय बड़ा भय है, क्योंकि भूत नामकी किसी भी वस्तुका अस्तित्व इस संसारमें नहीं है। अस्तित्व-शून्य वस्तुकी छाप मूर्खों पर घटूत जल्दी लग सकती है। फिर यदि उसको धगम्य, गहन, पहुंचसे परे बता दिया जाय तो उसके नामसे लोगोंको ठगना इतना सहज हो जाता है कि उसके लिये कुछ अधिक धर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। भूतोंको लीलाके समान धर्मकी और जन्म-मन्त्र करनेवालों की लीलाके समान पण्डे-पण्डित-पुरोहित एवं पुजारियोंकी लीला है। ये सभी सांसारिक संकटसे छुटकारा पानेकी स्वाभाविक इच्छासे एक-सा लाभ उठाते हैं। दुःख दूर करके सुख प्राप्त करनेकी इच्छा प्रत्येक मनुष्यमें है। उसीके लिये वह अहोरात्र यहने करता रहता है। सुख मिले चाहे न मिले, पर सुखकी आशा की मृगत्रुणामें वह वराधर भटकता रहता है। इसीसे सुख प्राप्तिकी आशा दिलाकर धर्म के नामसे मनुष्यको इतना ठगा गया है कि उससे अधिक उसको ठग सकना संभव नहीं है। धर्मके साथ सुखका इतना अधिक नाता जोड़ दिया गया है कि यदि सुख और धर्म का सम्बन्ध विच्छेद

कर दिया जाय तो फिर धर्मके नामसे किसीको भ्रमजालमें फँसाना शायद ही संभव रहे । सभी धर्मोंमें मोक्षकी कल्पना कितनी सुन्दर, आकर्षक और मोहक की गई है ? संसारको मिथ्या और माया समझने वालोंने मोक्षकी कल्पना भी बैसी ही की है । उन्होंने अपने भक्तोंको बताया है कि न वहां सुख-दुःखका द्वन्द्व है, न जन्म-मरणका बंधन और न किसी प्रकारका कुछ भंडट है । संसारको भोग-विलासका क्षेत्र मानने वालोंकी इन्द्रपुरीकी कल्पना कितनी बढ़िया है ? अप्सरायें वहां हैं, सुरापानका वहां उपयुक्त प्रबन्ध है और बाग-बगीचोंकी हस्तियाँ घलका तो कहना ही क्या है ? मुसलमानोंका बहिष्ट हिन्दुओंकी इन्द्रपुरीसे भी अधिक भरपूर है । ह्वरों, गुलमों और शराबके चश्मों आदिकी कल्पनामें कुछ भी कोर-कसर नहीं रखी गई है । हिन्दू अवतारोंकी कल्पना और पुराणोंमें उनका वर्णन भी इस कथनका समर्थक है । भागवतमें श्रीकृष्णकी गोपियोंके साथकी रास-लीला, जलक्रीड़ा और माखन-चोरीके वर्णनका प्रयोजनही और क्या है ? बिना उनके भागवतमें क्या आकर्षण रह जाता ? प्रायः ऐसी ही दूसरी सब कल्पनायें हैं । इन कल्पनाओंसे धर्म-सम्बन्धी सभी कल्पनाओंकी सचाईका अनुमान कर लेना चाहिये और उनकी वास्तविकताको जान लेना चाहिये । सारांश यह है कि धर्म एक कोरी कल्पना है, जिसके चक्रमें पहुँचर मनुष्यने अपने जीवनको नितान्त दुःखी बना लिया है । छुरु तो मिला नहीं पर दःखोंका सिलसिला इतना बह गया है कि साधारण

मनुष्यको सौसारमें दुःखोंके सिवा कुछ और दीखता ही नहीं है। इससे अधिक और घ्या आश्चर्य हो सकता है कि इतना दुःख, संकट और भंकट उठानेके बाद भी मनुष्यके दिमागमें से धर्मका भूत दूर नहीं होता।



क्या धर्मोंका संशोधन

संभव है ?

धर्मकी वास्तविकता पर इतना विचार करनेके बाद अब थोड़ा विचार इस सम्बन्धमें भी करना चाहिये कि इन धर्मोंका संशोधन हो सकता है कि नहीं ? धर्म-सुधारका आन्दोलन भी प्रायः उतना ही पुराना है, जितनी पुरानी कि धर्मकी कल्पना है और उस आन्दोलनपर दृष्टिपात करनेसे यह सहज ही समझमें आ जाता है कि धर्मोंका संशोधन एक ऐसा काम है, जिसमें सफ़लता मिलना बिलकुल असम्भव है। सच पूछो तो धर्मके संशोधन करनेके यत्नसे ही धर्मोंकी संख्या बरसाती कोड़ोंके समान बढ़ती चली गई है। संसारके सब धर्मोंको मिटाकर एक सत्य धर्मके प्रचार करनेकी कल्पनासे ही इस समयके धर्मोंका यह सब जंजाल पैदा हुआ है। बहुत दूर जानेकी आवश्यकता नहीं। स्थाली-पुलाक-न्यायसे धर्म-सुधारके आन्दोलनकी परख कर लेनी चाहिये। उन समग्रदायोंकी यहां चर्चा नहीं करनी है, जिनका जन्म मनुष्यकी विवेकारहित स्वार्थ-बुद्धिसे वैसे ही हुआ है जैसे कि कोई साधु भगवान्की सुष्ठि-

करता है। वह धूनी स्माकर किसी भी पत्थरपर सिंदूर लगा कर बैठ जाता है और भक्त लोग उस पत्थरको ही भगवान् मानकर उसपर चढ़ाया चढ़ाने लग जाते हैं। साधु यदि ठग-विद्यामें निपुण हुआ तो वहाँ मन्दिर तक खड़ा होनेमें कुछ देर नहीं लगती। यिना किसी परिश्रमके साधुकी पेट-पूजाका सबाल हल हो जाता है। ऐसे ही देवी, देवताओं किंवा भगवान् तथा उनके मन्दिरोंके समान कितने ही धर्म, सम्प्रदाय अथवा पन्थ संसारमें विशेषतः भारतमें प्रचलित हो चुके हैं। इस प्रसंगमें उनके सम्बन्धमें विचार नहीं करना है। यहाँ ही उनके ही सम्बन्धमें विचार करना है जिनका उद्गम-स्थान धर्मके सुधार अथवा संशोधनका आन्दोलन है।

मुस्लामी कालमें दादू, फत्तीर, नानक और रामदास आदि अनेकों सन्त और महात्मा हुये हैं, जिनका उद्देश्य अपने समय की घेहदगियोंको मिटाकर सत्य-धर्मका प्रचार करना था। पर, हुआ क्या? उन सभीके नामसे एक एक धर्म अथवा सम्प्रदाय चल पड़ा। शुद्ध और महावीर स्वामीके जीवनका लक्ष्य क्या था? बेदिक-कालीन हिंसाको दूर करके अहिंसाकी स्थापना करनेका थीड़ा उन्होंने अपने जीवनमें उठाया था। पर, कालान्तर में उनके नामसे बौद्ध और जैन धर्मों किंवा सम्बद्धायोंकी स्थापना हो गई। स्वामी शङ्कराचार्यने नास्तिकताको दूर करके निरसं बैदिक मतको पुष्ट करनेका यज्ञ किया और देशमें बैदान्तके नामसे एक नया ही पन्थ चल पड़ा। मुहम्मद-साहब और ईसा

मसीहके यत्कां परिणाम भी यहाँ हुआ कि संसारमें नये सम्प्रदायोंको उत्पत्ति हो गयी। इसी कालमें स्वामी दयानन्द और राजा राममोहन राय सरीखे महापुरुषोंके यत्कां यहीं फल हुआ कि आर्यसमाज और ब्राह्मसमाजके रूपमें धर्मोंकी संख्यामें वृद्धि ही हुई। फिर इन सभी धर्मों, सम्प्रदायों किंवा पन्थोंके भी इतने भेद तथा 'इतनी शाखा-प्रशाखायें' हो गई हैं कि 'एकोऽहं बहुस्याम्' का कथन इनपर सोलह आना पूरा उत्तरता है। एक प्रकृति संसारकी रचनाके रूपमें जिस प्रकार नाना रूपोंमें देख पड़ती है, उसी प्रकार एक धर्मके भी इतने रूप हो गये हैं कि उनका समझना तो बहुत दूरकी घात है, उनकी पूरी-पूरी गिनती भी नहीं हो सकती। उनकी संख्यासे हमको कुछ विशेष प्रयोजन नहीं, हमारा उहेश्य तो यह ही स्पष्ट करना है कि धर्मोंके सुधार या संशोधनके यत्क अथवा आन्दोलनसे धर्मोंका सुधार या संशोधन न होकर धर्मोंकी संख्यामें वेहिसाव वृद्धि हुई है। इसलिये ऐसे आन्दोलन अथवा यत्कसे अभीष्ट-सिद्धि नहीं हो सकती।

धर्म-सुधारके आन्दोलनका पूरा इतिहास यहाँ देनेकी आवश्यकता नहीं। फिर भी इतना अवश्य लिखना है कि बुद्ध तथा महाचीर स्वामीका सर्वसत्याग, शंकराचार्यका प्रकाण्ड-पाण्डित्य दादू-कबीर-नानक तथा रामदासका सात्विक जीवन, गुह गोविन्द एवं छत्रपति शिंदाजीकी क्षात्र-वृत्ति, राजा राममोहन रायका अटूट धैर्य, स्वामी विवेकानन्द तथा स्वामी रामतीर्थका महान्-व्यक्तित्व और स्वामी दयानन्दकी प्रतिभा-सम्पन्न तार्किक-शक्ति

भी जिस कार्यको नहीं कर सकी, उसके पूरा होनेकी अब भी आशा रखना बाल्फुसे तेल निकालनेके समान है। इस असाध्य रोगके उपचारकी आशा रखना आकाश-कुसुमके सदृश है।

यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि धर्मके आधार पर देशमें एकता पैदा नहीं हो सकती और न कुछ राष्ट्रीय-भक्ति ही पैदा की जा सकती है। राष्ट्रीयतासे धर्म विलकुल विपरीत है। इतिहास तो यह सिद्ध करता है कि धर्मको जिस राष्ट्रकी रखनाका आधार बनाया गया, उसका अस्तित्व चिरकाल तक स्थिर नहीं रह सका। भारतमें राष्ट्रीयताके पैदा होनेमें धर्म एक बहुत घड़ी वाधा है। गुरु गोविन्द, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजीको हम केवल गो-ग्राहण-प्रतिपालक एवं हिन्दुधर्म-संरक्षक ही नहीं मानते, अपितु उनको राष्ट्रीयताके महान् देवदूत मानकर उनके प्रति श्रद्धा और भक्तिसे धार धार मस्तक नवाते हैं। गुरु गोविन्दसिंहजी महाराज स्थयं तो किसी राष्ट्रकी स्थापना करनेमें सफल नहीं हुये, किन्तु उनकी भावनासे ग्रेरित होकर महाराज रणनीतसिंहने पंजाबमें खतन्त्र राज्यकी स्थापना अवश्य की। यह घह उनके धार विद्यर नहीं रह सका, क्योंकि भले ही वे खण्ड राष्ट्रीय चृतिके थे, किन्तु उनके चारों ओरका वातावरण तो निरा धीर्मिक था। एक प्रकारसे उस खतन्त्र राज्यका आधार धर्म ही था। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा संस्थापित राष्ट्रके विनाश के सम्बन्धमें श्रीयदुनाथ सरकार सरीखे इतिहासब्लॉनि भी उक्त सचाईको स्वीकार किया है। मुसलमान बैसे तो इस देशमें सात

आठ सौ वर्ष तक बने रहे, पर उनकी राजसत्ता निर्विघ्न रूपमें कितने वर्षोंके लिये स्थिर रह सकी ? इस सब 'स्थिति' पर इन पंक्तियोंके पाठकोंको स्वयं ही थोड़ा विचार करना चाहिये ।

धर्मके आधार पर राष्ट्रीयता पैदा करने का यह करने वालोंमें आर्य-समाजके संस्थापक स्वामी दयानन्दका स्थान सबसे प्रमुख है । उनके धर्मसुधार, धर्मप्रचार एवं आर्य-समाजकी स्थापनामें राष्ट्रीय-भावनाकी छाया स्पष्ट देख पड़ती है । वेदोंकी राष्ट्रीय दृष्टिसे व्याख्या करने वाले पहिले व्यक्ति स्वामी दयानन्द हैं । दूसरे धर्मों किंवा सम्प्रदायोंकी छानबीन एवं खण्डन करनेमें उन्होंने जिस निर्भय, निर्बाध और समझौता-रहित नीति एवं वृत्तिसे काम लिया, वह दूसरोंके लिये अब भी असहा है और उसीके कारण उनपर असहिष्णु होनेका दोष भी लगाया जाता है । पर, इसमें सन्देह नहीं कि उनके खण्डनात्मक कार्यमें भी राष्ट्रीयता छाई हुई है । दूसरे धर्मों एवं सम्प्रदायोंकी परख उन्होंने केवल शास्त्रीय दृष्टिसे ही नहीं की, किन्तु राष्ट्रीय दृष्टिको भी इस परखमें प्रमुख स्थान दिया है । अपने जीवनका एक अच्छा बड़ा भाग देशी राज्योंमें बिताने एवं एक देशी राज्यके सुधारके यत्नमें ही अपने जीवनकी बाजी लगा देनेसे उनकी राष्ट्रीयताका स्पष्ट परिचय मिलता है । उनका सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सत्यार्थ-प्रकाश' राष्ट्रीयताके रंगमें आदिसे अन्त तक रहेंगा हुआ है । उक्त ग्रन्थके छठे समुल्लास (हिस्से) में विशेषरूपमें राष्ट्र-धर्मको ही व्याख्या की गई है । भारतको न केवल स्वराज्य

फिल्म साम्राज्य, चक्रवर्ती-राज्य और सार्वभौम-चक्रवर्ती-राज्यका भी एकाधिकारी उन्होंने स्थान स्थानपर उद्घोषित किया है। स्वामी दयानन्दको राष्ट्रीय-महापुरुष सिद्ध करना इस लेखका उद्देश्य नहीं है। # इतना भी उनके लिये ही लिखा गया है, जो उनकी राष्ट्रीयतासे सर्वथा अनभिध है और उनको केवल एक पादरीके समान धर्म-प्रचारकके रूपमें देखते हैं। स्वामी दयानन्द धर्म और राजनीतिके दीर्घमें खड़े हुये उस व्यक्तिके समान है, जो दोनोंको एक करके भारतीय राष्ट्रका संगठन धर्मके आधार पर करना चाहते थे अथवा भारतमें धर्मके गर्भमें से ही राष्ट्रीयताको पैदा करना चाहते थे। उनके शुभ-यत्नोंके सफल किंवा विफल होनेकी परीक्षा आर्य-समाजकी धर्तमान-स्थितिसे करनी चाहिये। इस समयका आर्द्ध-समाज राष्ट्रीयताको प्रायः भूल गया है। सामू-हिक रूपमें आर्य-समाजने राजनीतिसे अपना नाता ऐसा तोड़ लिया है, जैसे कि राजनीतिसे उसका कभी कोई समर्पक था ही नहीं और स्वामी दयानन्द भी राजनीतिसे एकदम रहित थे अथवा स्वामी दयानन्दने आर्य-समाज को अपने जिस मिशनको पूरा करनेका काम सौंपा है, उसमें राजनीतिके लिये कुछ स्थान है ही नहीं। राजनीतिक दृष्टिसे आर्यसमाजका भी दैसा ही नैतिक-

७ इस विषयमें अधिक जाननेके लिये लेखककी लिंगरी हुई 'दयानन्द-दृष्टन' पुस्तक देखनी चाहिये। उसमें स्वामी दयानन्दके राष्ट्रीय स्वपका दर्शन क्षाया गया है और उनके लेखोंसे यह सिद्ध किया गया है कि वे राष्ट्रीय-महापुरुष थे।

पतन हो चुका है, जैसा कि दूसरे अनेक धर्मों किंवा सम्प्रदायोंका हुआ है। गुरु गोविन्दसिंहजीने अपने शिष्योंके हाथमें कृपाण देकर उनको सिंह (शेर) और अकाली (काल जिनको खा नहीं सकता) बनाया था, पर आज उनकी क्या स्थिति है ? आज न वे शेर हैं और न कालके भयसे ही ऊपर उठे हुये हैं। गुरुने अकालियोंको जात-पात, छूत-छात और ऊंच-नीचके भेद-भावसे निखालिस ‘खालसा’ बनाया था, पर आज उनमें वे ‘विवेकी’ कहे जाते हैं, जो कि इस भेद-भावके कीचमें पूरी तरह धंसे हुये हैं। इससे अधिक नैतिक-पतन और क्या हो सकता है ? इसी प्रकार आर्य-समाजका भी नैतिक-पतन हुआ है। जिस समाजमें स्वराज्यके लिये अहोरात्र यत्न होना चाहिये, उसमें धर्म-सुधार एवं धर्म-प्रचारकी कोरी ढाँगे हाँकी जाती हैं, स्वराज्यका बहाँ नाम भी नहीं लिया जाता। आर्य-समाज आज केवल एक धार्मिक और सामाजिक सम्प्रदाय रह गया है। हिन्दू जातिके बहुतसे बहमों और बेहूदगियोंको उसने ज़बर दूर किया है। समाज-सुधारके क्षेत्रमें उसकी सेवा बहुत बड़ी है। शिक्षा प्रचारका भी उसने बहुत सराहनीय कार्य किया है। किन्तु राजनीतिक क्षेत्रसे आर्य-समाज दुम दबाकर ऐसा भागा है कि उससे कोसों दूर जा खड़ा हुआ है। आर्य-समाजी घरमें ही पैदा होने, आर्य-समाजी संस्था (गुरुकुल-कांगड़ी) में लगातार चौदह वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने एवं आर्य-समाजी (वैदिक) साहित्यका यथा-सम्प्रव अधिकसे अधिक अध्ययन

करनेसे इन पंक्तियोंका लेखक दावेके साथ यह लिखनेका साहस करता है कि आर्य-समाजने स्वामी दयानन्दके राष्ट्रीय-मार्गका सर्वथा स्थाग कर दिया है। उनके मिशनमें अन्तर्हित राष्ट्रीयता-को भुलाकर उनके मिशनको विलकुल निर्जीव बनाकर अधिकांशमें अपनेको भी महत्वहीन बना लिया है। कुछ वर्ष पहले आर्य-समाजके प्रति लोगोंका जो आकर्षण था, आज घह 'नहीं' के समान है। धर्मकी कोरी गर्पें हाँकनेका और व्यापारिमाण हो सकता था ? वस्तुस्थिति तो यह है कि धर्मके आधार पर राष्ट्रीयता पैदा करनेके यज्ञका कुछ और परिणाम हो ही नहीं सकता था। इतने स्पष्ट उदाहरणके बाद भी यदि कोई धर्मके आधार पर देशमें एकता, राष्ट्रीयता किंवा राष्ट्रीय-शक्ति पैदा होनेमें विश्वास या भरोसा रखता है तो यलिहारी है उसकी धुँदि की।

इसी प्रसंगमें यह भी नहीं भुलाना चाहिये कि धर्मके आधार पर जो लोग एकता, राष्ट्रीयता किंवा राष्ट्रीय-शक्ति देशमें पैदा करना चाहते हैं, उनका मार्ग हो इतना अमात्मक है कि उसमें सफलता पाना रेगिस्तानमें पानीका चश्मा ढूँढ़ निकालनेके समान है। यह स्पष्ट है कि न तो २१-२२ करोड़ हिन्दू मुसलमान बनाये जा सकते हैं और न ६-७ करोड़ मुसलमान ही सबके सब्य हिन्दू बन सकते हैं। जब कि कोई भी पेसा धर्म नहीं है, जिसके सामने सबके सब्यके सब देशवासी सिर झुकानेको तत्प्यार हों, तब यह कैसे माना जा सकता है कि धर्मके आधार पर देशमें एकता, राष्ट्रीयता किंवा राष्ट्रीय-शक्ति पैदा की जा सकती है।

३-तो किया क्या जाय ?

—“The church, the temple, the mosque I detest them all.
Break them down, O, Thou Beautiful Spirit of Truth, these
narrow barriers that divide men and men.”


—“मैं इन सब गिरजाघरों, मन्दिरों और मस्जिदोंसे सख्त नफरत
करता हूँ। ऐ सत्यकी पवित्र-भावना ! मनुष्यको मनुष्यसे पृथक करने
वाली इन संकुचित दिवारोंको तू गिरा दे ।”

—“I have no religion and times I wish all religions at the
bottom of the sea.”

—Ghazi Mustapha Kemal Pasha.

—“मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता और कभी तो मैं यह चाहता
हूँ कि सभी धर्मोंको समुद्रकी तहमें डुबो दिया जाय ।”

—गाजी सुस्तफा कमाल पाशा।



३

तो किया क्या जाय ?

यदि धर्मोंका संशोधन वा सुधार नहीं हो सकता तो फिर धर्मोंसे होने वाली हानिसे देश, समाज अथवा राष्ट्रको बचानेके लिये किया क्या जाय ? इस प्रश्नका सीधा और स्पष्ट उत्तर तो यह है कि धर्मका पूरा बहिष्कार किया जाय । उत्तरके सीधा और स्पष्ट होते हुये भी उसको समझानेके लिये कुछ लिखना आवश्यक है । धर्मके सम्बन्धमें आज जो समस्या हम भारतीयोंके सामने उपस्थित है, वही समस्या कहीं अधिक विकट रूपमें दूसरे देशवासियोंके सामने भी उपस्थित हो चुको है । आइये ! देखें, वे लोग उस समस्याको हल खरनेमें किस प्रकार सफल हुये हैं ।

भारतमें धर्मका जो प्रपञ्च, पाखण्ड किंवा आडम्बर इस समय फैला हुआ है, उससे कहीं अधिक कभी युरोपमें फैला हुआ था । रोमके पोपकी गद्दी भारतके शाहूनाचार्यके मठों तथा अन्य धर्माधिकारियों, महन्तों और पुजारियोंकी गद्दियोंसे भी कहीं अधिक ज्ञानिसम्पन्न थी । युरोपके सभी देशोंके राजाओंपर रोमके पोपका दबदबा था और ज्ञनता तो उसके हाथकी पूरी तरह कँठपुतली बनी हुई थी । बाईबिलके सामने न खूचाई ठिक सक्ती थी, न विज्ञान उहर सकता था और न खिचेक-बुद्धिसे

ही कुछ काम लिया जा सकता था। यदि किसीने अपनी विवेक-नुदिसे काम लेकर कभी कुछ कहनेका साहस किया भी, तो उसकी इतनी दुर्गति को गई कि मानो उसने कोई बहुत बड़ा नैतिक पाप किया है। मैलेलियोने जब पृथ्वीके गोल होने और सूर्यके चारों ओर पृथ्वीके धूमनेकी घात कही थी तब दाईविलके ठेकेदार विज्ञानकी इस सचाईको सहन नहीं कर सके थे। उसको पोषके सामने लाया गया था और उससे कहा गया था कि वह उस सचाईको वापिस ले। वह उसके लिये कश्यार भी हुआ, किन्तु हृदयकी सबाई और विज्ञान द्वारा अपने परों तले अनुभव होने वाली स्पष्ट घातको दर्शाना अशक्य था। उसके लिये उसको तीन घर्षकी सजा भोगनी पड़ी। फोलम्बसने अमेरिकाके अस्तित्वके सम्बन्धमें जब कहना शुरू किया था, तब उसकी घातपर केवल इसलिये विश्वास नहीं किया गया था कि दाईविल द्वारा उसकी घातका समर्थन नहीं होता था। विज्ञान और धर्मकी यह लड़ाई युरोपमें बहुत समय तक होती रही, किन्तु अन्तमें विज्ञानने धर्म पर विजय प्राप्त की। आज युरोपमें विज्ञानका साम्राज्य है और धर्म केवल अजाय घरफी वस्तु रह गया है। धर्मके विरुद्ध विज्ञानका विद्रोह इतना सफल हुआ है कि ये दोनों पोष इंगलैण्टके बादशाहके समान नाममात्रका रह गया है, उसका अब न बहुत दबद्धा है और न बोलबाला ही। धर्म-विद्रोही लूटरने पोषकी सत्तापर जो चोट की है, उससे धर्मकी सत्ता एक प्रकारसे युरोपमेंसे बिलकुल उठ ही गई है। देखा

प्रतीत होता है कि युरोपके ईसाई लोगोंने बाईबिल और धर्मको सदाके लिये तलाक देकर केवल विज्ञानको अपना लिया है। मानो उन्होंने धर्मको अपने यहांसे बहिष्कृत करके एशिया, अफ्रीका आदिके अशिक्षित, असभ्य एवं मूढ़ लोगोंको शिक्षित, सभ्य एवं विज बनानेके नामसे पादस्थियोंके साथ उसको इन देशोंमें भेज दिया है।

न केवल विज्ञान एवं सचाईकी ही धर्मके साथ यह लड़ाई हुई है, किन्तु धर्मकी धर्मके साथ जो लड़ाई हुई है, उसका इतिहास भी अन्याय, अत्याचार और रुधिरमें सना हुआ है। इहुलैण्डमें प्रोटस्टेप्ट राजाओंके समयमें रोमन कैथोलिक लोगोंके प्रति जो उत्यादितियां की गईं थीं उन्होंने धर्मको सदाके लिये कलङ्कित कर दिया है। अंगुलियोंमें तेलके भींगे कपड़े बांध कर उनको जिंदा जलाया गया था। जौन आँफ आर्क सरोखी वीर मारी भी धर्मान्धताकी बलि बढ़ा दी गई थी। स्वदेशको रक्षाके लिये तलबार हाथमें लेना उसका अपराध था। पर, वह बाईबिल द्वारा निषिद्ध था। इस निषिद्ध कर्मके लिये उसको भी आगमें जिंदा जला दिया गया था। कितने ही लोग इन अत्याचारोंसे तंग आकर अपनी मातृभूमिको सदाके लिये छोड़कर दूसरे देशोंका चले गये। युरोपके क्रूसेड (धर्मयुद्ध) क्या थे? धर्मके नामसे रुधिरकी पिपासा पूरी करनेके साधन-मात्र थे। धर्मके नामसे सब पाप, अन्याय, अत्याचार, खून-खराबी और युद्ध करने वालोंको क्या मालूम था कि वे अपने ही हाथोंसे सब धर्मका गला घोट रहे

थे ? आज इससे कौन इनकार कर सकता है कि धर्मके नामसे किया गया अनाचार ही युरोपमें धर्मके सर्वनाशका कारण हुआ है ? युरोपकी पन्द्रहवीं, सोलहवीं और सत्तरहवीं शताब्दीकी धर्मान्धताकी कहानी भारतकी धर्मान्धताकी कहानीसे भी फहों अधिक गहिर और पतित है। हिन्दू-धर्मके समान ईसाई-धर्मने भी हित्रयोंको ही समस्त पापकी जड माना है, फर्मोंकि आदमको हौवाने ही निषिद्ध वृक्षका फल तोड़कर उसको खानेके लिये विवश किया था। इसीलिये स्त्रियोंके प्रति उपेक्षा अन्याय, अनाचार और पापाचारसे ईसाई-धर्मका इतिहास भरा हुआ है। संभवतः यही कारण है कि ईसाई-धर्म-प्रधान देशोंमें अपने अधिकारोंके लिये स्त्रियोंको बहुत गहरी लड़ाई लड़नी पड़ी है। इन्हें स्त्रियोंके मताधिकारके लिये हुआ आन्दोलन इसकी स्पष्ट साक्षी है।

युरोपके महायुद्धसे युरोपियन राष्ट्रोंकी बहुत अधिक द्वानि हुई है, किन्तु लाभ भी कुछ कम नहीं हुआ। एकतन्त्र-शासन-पद्धतिको इस युद्धसे ऐसी घातक चाट लगाकि कितने ही राष्ट्रोंसे 'राजा' पतझड़का मौसममें वृक्षोंसे पत्तोंके समान झड़ गये। जर्मनीके कैसरके राजगढ़ी छोड़नेके समयसे घट कम थायतक भी जारी है। जर्मनीके प्रायः साथ साथ हो रस, टक्कों, इदाली, पोर्टुगाल, आस्ट्रिया, लिथोनिया, अलबेनिया, जुगोस्लेविया, चेकास्लेविया आदि राष्ट्रोंमें प्रजातन्त्र-यादफे लिये जो राज-कान्तियां हुईं हैं, उन सभीका जन्म महासमरपे गर्मसे हुआ है।

इन राजक्रान्तियोंके आलावा जो दूसरा लाभ युरोपज्ञो इस महासमरसे मिला है वह है धार्मिक-क्रान्तिका । इस कालमें हुई धार्मिक क्रान्तिसे युरोपमें धर्मका तो ऐसा सर्वनाश हुआ है कि अब धर्म के नामपर लोगोंको लड़नेके लिये उभाड़ना या भड़काना एकदम असम्भव है । बाईबिलके नाम पर लोगोंको पशु नहीं बनाया जा सकता । ईसाइयोंने ईसाइयोंके ही विष्वद्व हथियार उठाकर गिर्जाघरोंपर भी गोलाबारी करनेमें संकोच नहीं किया । रोमके पोपकी अपीलें, प्रार्थनायें और फतवे परास्त होते हुये व्यक्तिकी अन्तिम शक्तिके समान निर्जीव एवं निस्तेज साक्षित हुये । राजाओंकी सत्ताके समान ही धर्मकी सत्तापर भी महासमरने वड़ी भयंकर घातक चोट की है । रूस और टर्कीकी धर्म-क्रान्तिके सम्बन्धमें कुछ खोलकर लिखना अप्रासङ्गिक नहीं होगा ।

रूस, टर्की और फ्रांस ऐसे राष्ट्र हैं, जिनकी राष्ट्रीयताका धर्मके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । रूस और -टर्कीने तो कानून द्वारा धर्मकी सब व्यवस्थाको ही एकदम पलट दिया है । अन्य ईसाई राष्ट्रोंके समान रूस भी महायुद्धसे पहिले ईसाई-राष्ट्र था । युद्धके बाद जैसे ही वहां जारशाहीकी समाप्ति हुई वैसे ही ईसाईयतका भी अन्त कर दिया गया । बाईबिल और उसकी सब व्यवस्थाका रूसमें ऐसा अन्त हुआ है, मानो वहां धर्मका यह सब आडम्बर कभी था ही नहीं । गिर्जाघरोंका अस्तित्व भी उठा दिया गया

है। ईसाई-पादस्तियोंकी हुक्मतको छाया तक अब वहां देखनेको नहीं मिल सकती। ईसाईयतका इतना अन्त हो चुका है कि ईसाईयों द्वारा होने वाले शिक्षा-प्रचार सरीखे भले फार्य भी कानून द्वारा रोक दिये गये हैं। रोमके पोपके चंगुलसे रूसने पूर्णतया मुक्ति प्राप्तकर ली है। इस बहुमुखी-धार्मिक-कानून किंवा धर्मके इस सर्वव्यापी बहिष्कारसे एक बार तो युरोपके सभी ईसाई-राष्ट्र वैसे ही कांप उठे थे जैसे कि देवकीके पुत्र होनेकी बात खुनकर कंस कांप उठा था। केवल इसीलिये नहीं कि रूसमें साम्यवाद (बोल्शेविज्म किंवा कौम्यूनिज्म) के रूपमें एक महान् और प्रचण्ड शक्तिका जन्म हो रहा था, फिन्लू इस-लिये कि सदियोंसे वंशपरम्परागत धार्मिक विचारों पर रूसने दृढ़ताल फेर दी थी। संसारकी आंखोंमें रूसको गिरानेकी चेष्टा करनेका भयानक पड़यन्त्र रचा गया। उसके विरुद्ध मनमाना साहित्य लिखा गया। उसके सम्बन्धमें वेसिर-पैटकी अनाप-शानाप गप्पे उड़ाई गईं। उसके नैतिक-जीवनके गर्हितसे गर्हित वित्र खोंचे गये। उसकी नवीन विवाह-व्यवस्थाका भजाक किया गया। जनताकी गरीबीकी बेहदासे बेहदा काल्पनिक कथाय गढ़ी गईं। पर, सचाई सब विद्व-वाधा एवं विरोधकी उन धनघोर घटाओंको बीर कर शरतकी पूर्णिमाके चन्द्रके समान अपने पूरे तेजके साथ प्रगट हुई। संसारकी कोई भी शक्ति सचाईको ढांप नहीं सकती। घद तो पृथ्वीका पेट फाढ़ कर, पहाड़की चोटी लांघ कर और तूफानकी धनी घटासे भी पार होकर प्रगट

होती है। रूसमें भी ऐसा ही हुआ। संसारने आश्रयके साथ देखा कि जिस धर्मको सब प्रकारकी सद्गतिका साधन माना जाता था और जिसका त्याग करने पर पतनके गहरे गढ़में गिरना निश्चित समझा जाता था, उसका सम्पूर्ण बहिष्कार करनेके बाद भी रूसका अधःपतन नहीं हुआ, अपितु वह एक शक्ति-सम्पन्न राष्ट्र बन गया और सामाजिक, आर्थिक आदि सभी हृषियोंसे वह उन्नतिके शिखर पर बड़ी तेजीके साथ चढ़ता चला गया। रूसका यह परीक्षण धर्म परसे लोगोंकी श्रद्धा दूर करनेमें बहुत सफल हुआ है। इसीसे धर्मजीवी लोगोंकी आंखोंमें रूस कांटेकी तरह चुम्ने लगा है। धनियों तथा पूंजि-पतियोंकी सचासे अपनेको बचानेके लिये गरीबोंमें जिस आशा, उत्साह एवं आकांक्षाका संचार धर्तमान रूसने किया है, उसी आशा, उत्साह एवं आकांक्षाका संचार धर्मध्वजी लोगों द्वारा सत्रहत जनतामें भी रूस द्वारा हुआ है। साम्राज्यवादियोंके समान ही धर्मजीवी लोग भी रूसकी बढ़ती हुई शक्तिको फूटी आंखोंसे भी नहीं देख सकते। रूसके इस सफल परीक्षण द्वारा यह भी साबित हो चुका है कि धर्मराष्ट्रकी उन्नतिमें एक ऐसी रुकावट है कि उसको दूर किये बिना उसका प्रगतिके मार्गपर अग्रसर होना समझ नहीं है। इस धार्मिक क्रान्तिसे पहिले रूसकी क्या दीन-हीन दशा थी? निस्सन्देह, राजनीतिक क्रान्ति भी उस दशाको बदलनेमें विशेष रूपसे कारण हुई है, किन्तु राजनीतिक क्रान्ति इस रूपमें कदापि सफल नहीं हो सकती थी, यदि उसके साथ ही

साथ रूसमें धार्मिक क्रान्ति न हुई होती। धर्मके पूर्ण अहिन्द्कार से रूसकी काया सहजमें पलट गई है।

हम भारतीयोंके लिये रूसकी अपेक्षा टर्कींकी क्रान्तिका इतिहास अधिक विचारणीय एवं अनुकरणीय है। एक तो टर्कींमें धर्मका भारतके समान ही आडम्बर फैला हुआ था। धर्मान्धताजी दृष्टिसे वह वैसा ही पिछड़ा हुआ था। दूसरे टर्कीपर जिस मुसलमानी धर्म (ईस्लाम) की छाप लगी हुई थी, वह उन धर्मोंमेंसे है जो प्रायः समस्त पूर्वीय देशोंकी प्रगतिमें वाधक बने हुये हैं। उस समयका टर्की तो ईस्लामकी गहरी बना हुआ था। टर्कींका बादशाह ईस्लाम धर्मका गुरु पर्व व्यवस्थापक (खलीफा) माना जाता था। इस धर्म-गुरुके युगमें टर्कींकी क्या अवस्था थी? राजनीतिक, सामाजिक आदि सभी दृष्टियोंसे टर्कींकी दशा दीन-हीन बनी हुई थी। युरोपके राष्ट्र उसको युरोपके लिये कलंक समझते थे और उस कलंफको मिटानेके लिये भीतर ही भीतर पड़यन्त्र रखा करते थे। युरोपकी इस कालिमाको दूर करनेके लिये युरोपियन राष्ट्रोंने कई शार टर्कींको निगल जानेके मनसूबे बांधे थे। यदि युरोपका महासमर इस रूपमें न हुआ होता तो निश्चय ही टर्कींका अस्तित्व युरोपमेंसे मिट गया होता। युरोपकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमें टर्कींके लिये कुछ भी स्थान नहीं था। अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तोंमें टर्कींके प्रतिनिधि दूसरे राष्ट्रोंके प्रतिनिधियोंकी धारावरीमें नहीं बैठ सकते थे। यद्येशोंमें उसके बाज़ूत तक प्रायः दूसरे राष्ट्रोंके लोग होते

थे। जैसे कि टक्कीमें योग्य व्यक्तियोंका सर्वथा अभाव ही था। यूनान सरीखा छोटा-सा राष्ट्र भी सदा ही उसकी गर्दन पर दुश्मनोंके समान बना रहता था। उसने कितनी ही बार उसको हजाम करना चाहा। इटली भी उसकी ओर दौँत निकाल कर ताकता रहता था। इसी छीना-झपटीमें ट्रिपोली आदि कितने ही प्रदेश सदाके लिये उससे छिन गये। इस प्रकार राजनीतिक दूष्ट से टक्की एक अत्यन्त निर्वल, निस्तेज और पददलित राष्ट्र बना हुआ था। स्वाधीन होने पर भी किसी पराधीन राष्ट्रसे कम हीन अवस्था उसकी नहीं थी। आम जनता तो एक प्रकारसे गुलामी-का ही जीवन बिता रही थी।

उस समयकी सामाजिक अवस्था पर विचार करनेसे उस गुलामीके जीवनका स्पष्ट परिचय मिलता है। जनताके भाग्योंकी पोटली मुला-मौलवी और फकीर अपने हाथोंमें लिये धूमते थे। उनका एक-तन्त्र राज्य टक्कीमें छाया हुआ था। परदा, तलाक, बहुविवाहके साथ साथ हरम (अन्तःपुर) की जघन्य प्रथाके कारण टक्कीके स्त्रियोंको भारतकी समाज ही यावज्जीवन नारकीय जीवन बिताना पड़ता था। पुरुषोंकी दासीसे अधिक उनका कुछ भी हैसियत नहीं थी। गृहस्थका नाम-मात्र सुख भी एकमात्र पुरुषोंकी स्वेच्छा पर निर्भर करता था। पुरुषोंके भोग-विलास की वे साधनमात्र समझी जाती थीं। कामकलाके साधनकी मशीनसे अधिक उनकी कुछ भी कीमत नहीं थी। पुरुष चाहे जितने विवाह करे, उसके लिये न कोई धर्मिक रुकावट थी और न कोई

कानूनी प्रतिवन्ध ही था । फिर जिस दिन भी उसकी इच्छा जिस किसी स्त्रीको भी तलाक देनेकी होती, उसी दिन उसको वह तलाक दे सकता था । राजघरानोंके अन्तःपुर (हरम) तो व्यभिचार-लीलाके खुले क्रीड़ाक्षेत्र बने हुये थे । वैसे भी देशका समस्त वातावरण ही व्यभिचारको उत्तेजना देकर मनुष्यको पशु बनाने वाला था, किन्तु झुलतानका हरम (अन्तःपुर) तो नैतिक पापका सबसे बड़ा गढ़ था । उसके लिये व्यभिचार-योग्य लड़-कियोंको जहां तहांसे खरीद कर लाया जाता था । यह नैतिक-पतन इस चरमसीमाको पहुंच चुका था कि इस कारबाहके लिये माता-पिता अपनी सन्तानको बचपनसे ही तय्यार किया करते थे । टर्कीमें धर्मके पतनकी इससे अधिक बढ़िया दूसरी साक्षी क्या मिल सकती है कि जो व्यक्ति धर्म-गुरु माना जाता हो अथवा धर्मकी दृष्टिसे जिसका न कैवल टर्कीमें किन्तु समस्त इस्लाम-जगत्में सबसे अधिक ऊंचा पद हो, उसके लिये स्त्रियोंके क्रय-विक्रयका वह व्यापार हो, जिसको संसारमें सबसे अधिक नीच समझा जाता है । झुलतानके अन्तःपुरको उससे भी अधिक जगन्य प्रथा थी, वशोंकी निर्मम-हत्या । धर्मके नाम पर यह सब होता था और धर्मके आधार पर बना हुआ कानून उस सबको सहन करता था । भारतके मन्दिरोंकी देवदासियोंके समान ही खलीफाके अन्तःपुरमें राजदासियोंकी सेनाकी सेना सदा ही बनी रहती थी । अबद्वल हमीदके हरममें आठ सौ तो रसोइये हीं थे । इससे स्त्रियों तथा दासियोंको संख्या और उनपर होने वाले

खर्चका अनुमान किया जा सकता है। राजघरानेकी इस नियमित, व्यवस्थित और धर्मानुमोदित व्यभिचार-लीला पर राष्ट्रकी आमदनीका एक बड़ा हिस्सा प्रतिवर्ष व्यय किया जाता था। जनताकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदिके खर्चकी अपेक्षा भी यह खर्च कहीं अधिक था। जब राजाकी यह अवस्था थी, तब ग्रनाकी अवस्थाका अनुमान करना कुछ कठिन नहीं है।

इस धर्मान्धताके ही कारण स्त्रियोंका बीमार होना उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। किस्मतसे कोई बल गई तो बष गई, नहीं तो बीमारीके विस्तरपर एक बार लेटनेके बाद उससे छुटकारा पाना संभव नहीं था। डाकूर, वैद्य या हकीम उसको देख नहीं सकते थे। जन्त्र-मन्त्र या भाड़-फूंक करने वाली बूढ़ी स्त्रियां ही उनके भाग्यका निपटारा किया करती थीं। स्त्रीकी अपनी कोई स्वतन्त्र इच्छा, पृथक् व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य था ही नहीं।

आमोद-प्रमोद, खेल-कूद, साहित्य, चित्रकला आदि सभीको धर्मरूपी राहने ग्रसा हुआ था। वैसे तो व्यभिचार-लीला पर कुछ भी प्रतिबन्ध नहीं था, किन्तु आमोद-प्रमोदके प्रधान साधन नाटक, सिनेमा, नाच आदि सार्वजनिक-रूपमें निषिद्ध थे। तुर्की महिलायें तो नाटकोंमें हिस्सा बटा नहीं सकतीं थीं, इसलिये आर्मीनियन स्त्रियां नाटकोंमें उनके अभावकी पूर्ति किया करती थीं। इससे नाटकोंकी स्वाभाविकता बिलकुल नष्ट हो जाती थी। खेल-कूदमें फुटवालफा खेल तक इसलिये धर्म द्वारा निषिद्ध

था कि उसकी आकृति मनुष्यके सिरके समान होती है। टक्कीमें ऐसे सभी खेल वर्जित थे, जिसमें मनुष्यकी आकृति किंवा चित्रका उपयोग किया जाता था। दूसरी भाषाओंसे तुर्की भाषामें पुल्लकोंका अनुवाद नहीं किया जा सकता था। चित्रकला तो इसी लिये निपिढ़ थी कि मनुष्य आदिका चित्र बनानेसे खुदके एकाधिकार पर हमला होता था। कुरान-शरीफका अनुवाद तक तुर्की-भाषामें नहीं होने दिया गया, जिससे कि उसके धर्मकी असलियत वा लागोंको पता न लग जाय। ऐसी अवस्थामें विवार-शील लोग उक्कीमें घैसे रह सकते थे? कुछ लोगोंको तो राज्यकी ओरसे ही देश-निकालेकी सज्जा दी गई थी और कुछ लोग स्वयं ही उक्कीको छोड़ कर दूसरे देशोंमें भाग गये थे। कितने ही स्त्री-पुरुषोंने ग्रास् वहाते हुये अपनी प्रिय जन्म-भूमिको उस सन्तानपको अनुभव करते हुये छोड़ा था, जिसको कि गरीब किसान साहूकारका फर्ज न चुका सकने पर अपने वापदादाओंसे बपौतीके रूपमें मिले हुये जीवनके एकमात्र-साधन जमीनके टुकड़ेका छाड़ने पर अनुभव किया करता है।

युगपन अनेक राष्ट्रोंको महासमरसे जो लाभ मिला है उसको उक्कीने पूर्ण रूपमें प्राप्त किया है। गाजी मुस्तका फमाल पाशाके रूपमें उक्कीमें जो चहुंमुखी धार्मिक और सामाजिक कानित हुई है उसने उक्कीकी समस्त रूपको ही एकदम बदल दिया है। उक्कीके सुलतान या वादशाहको खलीफाका जो पद प्राप्त था, उभसे उक्कीकी एक साम्राज्यके समान ही प्रतिष्ठा

समझा है। राष्ट्रीय सेवाके मैदानमें उसने अपने उपयुक्त सेवाका कार्य ही अपने जिसमें लिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिशु-संगोष्ठन और चरित्र-निर्माणके क्षेत्रोंमें उसने आदर्श कार्य कर दिखाया है। स्त्रियोंकी स्वाधीनता पर किये जानेवाले आक्षेपोंका तुकीं महिलाओंने सक्रिय उत्तर दिया है और यह सिद्ध कर दिया है कि धर्मके बंधनसे पूर्ण मुक्ति पा लेनेपर ही स्त्री अपने शील, मर्यादा और सतीत्वकी रक्षा कर सकती है। स्त्रियोंकी इस स्वाधीनता का टुकींको सबसे बड़ा लाभ तो यह मिला है कि उसके सार्वजनिक चरित्रका दर्जा बहुत ऊँचा हो गया है। व्यभिचार-लीलाका टुकींमें एक प्रकारसे अन्त ही हो गया है। नाना प्रकारकी बीमारियोंसे भी टुकींका शरीर प्रायः नीरोग हो चुका है। आमोद-प्रमोद, खेल-कूद आदि परसे धर्मकी कैद बिलकुल उठ चुकी है। फुटबालके खेलके मैदानोंमें टुकीं दूसरे देशोंका मुकाबला करने लगा है। तुकीं-भाषाका साहित्य भी अब उन्नति पर है। गाजी मुस्तफा कमाल पाशाकी मूर्तियां कई शहरोंमें केवल इस लिये बिठाई गई हैं कि चित्रकलाको उत्तेजन मिले और यह स्पष्ट हो जाय कि राष्ट्रीय प्रगतिमें धर्मकी बाधा सहन नहीं की जा सकती। स्कूलोंमें लड़के-लड़की एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। सर्वसाधारणका वेशभूषा तक बदल गया है। 'फैज' (तुकीं टोपी) जिसको भारतके मुसलमान हिन्दुओंके जनेऊ तथा चोटी-की तरह अपनाये हुये हैं, टुकींमेंसे बिलकुल उठा दी गई है। मौजिदोंमें नमाज न पढ़ी जाकर शिक्षा-प्रकारका कार्य होता है।

और अंगोराकी सत्तनश्वताकी कहानी पर व्याख्यान होते हैं। यह सब धर्मके बहिष्कारकी महिमा है। राष्ट्रीय दृष्टिसे टर्कोंका अब कोई भी धर्म नहीं है। इस्लामका टर्कोंने इतना बहिष्कार किया है कि मुला-मौलवी और फकीरोंकी भी रजिस्ट्री की जाती है। राज्य द्वारा नियत प्रदारके अलावा वे कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। राज्यकी ओरसे इस बातकी उनपर पूरी निगरानी रखो जाती है। जुम्मा या शुक्रवारको छुट्टी भी उठा दी गई है। मुसलमानी कलेण्डरका भी त्याग कर दिया गया है। न थेवल इस्लामके प्रति ही नवीन टर्कोंका ऐसा रुख है कि न्तु ईसाइयतके प्रति भी बड़ी कड़ी नजर है। ईसाई किसी भी रूपमें टर्कोंमें ईसाइयतका प्रचार नहीं कर सकते। उनकी शिक्षामें यदि कही इसकी गन्ध भी आ जाय तो तुरन्त उन द्वारा संचालित विद्यालय घन्द कर दिये जाते हैं। धर्मके सम्बन्धमें वर्तमान टर्कोंके विधाता नाजी मुस्लिम फमाल पाशाका यह कहना है कि “मैं किसी भी धर्मको नहीं मानता और कभी तो मैं यह चाहता हूँ कि सभी धर्मोंको समुद्रको तहमें डुबो दिया जाय।” उनका यह भी कहना है कि “जो शासक धर्मके आधारपर अपना शासन कायम रखना चाहता है, वह निर्वल शासक है। यह ऐसा ही है जैसे कोई लोगोंको किसी जालमें फँसाये रखना चाहता है।” वस्तुतः फमाल पाशाने जनताको धर्मके उस जालसे पूर्णतया मुक कर दिया है जिसमें सुलतानने उसको फँसाया हुआ था और टर्कोंने सभी धर्मोंको समुद्रकी तहमें उनको फिर कभी

न अपनानेके लिये ही डुबो दिया है। वर्तमान टक्कीने भी उस सचाईको पुष्ट कर दिया है, जिसकी स्थापना रुसने की है। वह सचाई यह है कि राष्ट्रकी प्रगतिके लिये धर्मका पूर्ण बहिष्कार पहली शर्त है।*

इसमें सन्देह नहीं कि गाजी द्वारा किये गये धर्मके पूर्ण बहिष्कारसे सभी ईस्लामी देशोंमें एक बार तो भयानक कंपकंपी पेंदा हो गयी थी। वे बड़े विस्मयके साथ टक्कीकी प्रगतिकी गतिको देख रहे थे। उनके लिये यह समझना और जानना कठिन था कि धर्म-विरोधी इस प्रगतिका अन्त कहाँ होगा? सबसे अधिक आश्चर्यकी बात तो यह है टक्कीमें धीर्घ-बहिष्कारकी इस क्रान्तिका विरोध 'नहीं' के ही समान हुआ है। मुल्ला-मौलवी और फ़कीर भीगी बिल्लीकी तरह दुष्क कर बैठे रहे और गाजी किंवा राष्ट्र-सभा द्वारा निकाले जानेवाले धर्म-विरोधी फरमानोंके सामने कैदीके समान सिर झुकाते चले गये। जनताने धर्मके बहिष्कारका वैसा ही स्वागत किया, जैसे कि चहचहाते हुये पक्षी उषा कालका स्वागत करते हैं। मानो जनता धर्मकी गुलामीसे छुटकारा पानेके लिये एक कदम पर बिलकुल तथ्यार खड़ी थी। जनताकी मूढ़ धार्मिक भावनाके विरोधसे किसी

* इसी जेल-प्रवासमें टक्कीके सम्बन्धमें भी लेखकने एक पुस्तक लिखी है। वह भी शीघ्र ही प्रकाशित की जायगी। टक्कीकी इस चहुंसुखी क्रान्ति के सम्बन्धमें अधिक जाननेको इच्छा रखने वालोंको 'वह पुस्तक' अवश्य ख़दानी चाहिये।

भयानक विद्रोहके खड़े होनेकी आशंका करने वाले टर्कीकी इस क्रान्तिका इतिहास विलक्षुल भूल जाते हैं। भारतमें मुसलमानी जनता कितनी भी कट्टर, धर्मान्य और हठी क्यों न देख पड़ती हो, किन्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि टर्कीकी इस क्रान्तिने उसके दिमागमें भी कुछ खलल परं द्विविधा पैदा कर दी है। अन्य ईस्लामी देशोंमें तो आशाका इतना संचार हुआ है कि वे भी अपने देशमें किसी कमाल पाशाके प्रगट होनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अफगानिस्तानमें धीरवर अमानुल्लाह शाहके प्रयत्नोंका असफल होना पूर्वीय देशोंका एक बड़ा दुर्भाग्य ही समझना चाहिये। यदि कहीं उनका प्रयत्न सफल हो जाता तो इसमें शङ्खाके लिये तनिक भी गुंजाइश नहीं कि टर्कीसे लेकर अफगानिस्तान तकका सब चित्र ही एकदम बदल गया होता। चित्रपटके इस महान् परिवर्तनसे भारतमें भी आशाकी ऐसी वेगवती लहर का संचार हो जाता कि उसके सामने सिर उठाने वाली धर्मकी समस्त शक्तियां काफूर हो जातीं। किर भी निराशाका कोई कारण नहीं। धीरवर अमानुल्लाह शाह द्वारा बखरे गये क्रान्तिके दीजों पर कितनी भी मिट्ठो क्यों न डाल दी गई हो, पर उनके अनुर फूटे थिना नहीं रहेंगे। ये क्रान्तिके बे बीज हैं, जो कि बरसातका अनुकूल मौसम पाते ही ज्वालामुखीकी लपटके समान कड़ीसे कड़ी भूमिका भी पेट फाढ़ फरं प्रगट होते हैं। उनको नष्ट करनेकी आशा रखना चैसा ही है, जैसे कोई आगकी धर्घकती चिनगारियोंको रईके देरमें दबाफार,

बुझानेकी आशा रखता हो । इसलिये यह विश्वास रखना चाहिये कि टर्कीको काया पलटने वाली क्रान्तिकी भयंकर अग्नि अफगानिस्तानमें भी अवश्य प्रगट होगी और टर्कीसे अफगानिस्तान तकके समस्त प्रदेशका चिन्ह ही एकदम पलट जायगा । यह प्रायः निश्चित है कि ईस्लामकी कट्टरता, धर्मान्धता और हठवाद अब संसारमें चिरस्थायी नहीं रह सकता । उस पर वह धातक चोट हो चुकी है जिसका परिणाम आंखोंके सामने आनेमें अधिक समय नहीं लगेगा । फिर भारतमेंसे भी धर्मान्धता, साम्प्रदायिक-कट्टरता एवं मजहबीपाशलपनके मिटनेमें अधिक समय नहीं लगेगा । देखें, सुवर्णाक्षरोंमें लिखा जाने योग्य वह दिन कब प्रगट होता है ? अस्तु ।

उस और टर्कीके समान ही जापान और चीनने भी धर्मके अस्तित्वको पिटा कर राष्ट्रीय शक्ति ग्रास करनेका महान् यशस्वी कार्य किया है । जापान कितना छोटा राष्ट्र है, पर जारके उसको पछाड़कर वह अपनी अजेय शक्तिकी धाक दुनियामें बिटा चुका है । उसकी इस शक्तिका रहस्य क्या है ? उस रहस्यको प्रगट करनेके लिये जापानके सम्बन्धकी दो दन्त-कथायें नीचे दी जाती हैं । ये दन्त-कथायें भले ही इतिहासानुमोदित न हों, पर जापानकी धर्मके प्रति जो भावना है उसका परिचय इन से अवश्य मिल जाता है । एक बारकी घटना है कि कोई अमेरिकन प्रोफेसर जापानके एक विद्यालयमें गया ; वहाँ उसने एक बालकसे पूछा कि तुम्हारा धर्मगुरु कौन है ? बालकने गौतम बुद्धका नाम

लिया। फिर उससे पूछा गया कि तुम किसको सबसे बड़ा देवता मानते हो? उसने कानफूशसका नाम लिया। प्रोफेतरने कहा कि यदि कोई इन दोनोंको निंदा करे तो तुम क्या करोगे? उसने कहा कि निंदा करने वालेका गला उतार दिया जायगा। प्रोफेतरने फिर पूछा कि यदि किसी ऐसे देशकी सेना जापान पर आक्रमण करे जिसका वादशाह गौतम बुद्ध हो और उस सेनाका सेनापति कानफूशस हो तो तुम क्या करोगे? बालकने यिना ज्ञेंपे हुये तुरन्त उत्तर दिया कि ऐसा होने पर उन दोनोंके सिर घड़से अलग कर दिये जायंगे, किन्तु देशको किसी भी अवस्थामें पराधीन या गुलाम नहीं होने दिया जायगा। इस कथाका यह स्पष्ट आशय है कि धर्म प्रेमने जापानके लोगोंको इतना मर्तिमंद नहीं यना दिया कि उन्होंने देश-प्रेम किंवा राष्ट्र-प्रेमको सर्वथा तिलांजलि ही दे डाली हो। धर्मकी तुलनामें देश अथवा राष्ट्रका स्थान ऊंचा है। धर्मकी अवहेलना सहन की जा सकतो है, किन्तु राष्ट्रका अपमान सहन नहीं किया जासकता। जापानके स्त्री-पुरुषोंके लिये राष्ट्र-प्रेम सर्वतोपरि है। राष्ट्रवाद किंवा राष्ट्रधर्मके लिये वे अपने सर्वस्वकी धाजी लगा सकते हैं। तभी तो इस सरीखे राष्ट्रको परास्त करनेमें जापान सफल हो सका था। इसी प्रकारकी दूसरी घटना यह है कि जापानके सामने लड़ाईका सामान तथ्यार परनेको एक बार बड़ी विकट समस्या उपस्थित हुई। दूसरे देशोंसे उसको प्राप्त करना कठिन था। धर्म-मन्दिरों सरीखे स्थानोंमें रखी हुई बुद्धकी ताम्रा पीतल आदि धातुओंकी बनी हुई

बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियोंको पिघला कर लड़ाईका सामान तथ्यार करनेके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं था । राजनीतिज्ञों और धर्माधिकारियोंकी एक परिषद् हुई । सोचा गया कि यदि देशकी स्वाधीनता बनी रही तो बुद्धकी मूर्तियाँ कितनी ही बन जायेगी और उनकी रक्षा भी हो सकेगी । यदि कहीं देशकी स्वाधीनतासे ही हाथ धोना पड़ा तो इन मूर्तियोंका क्या होगा ? हो सकता है कि देशको पराधीन बनाने वाले मूर्तियोंसे भी अपना मतलब पूरा करें । बस, निर्णय हो गया कि मूर्तियाँ पिघला कर लड़ाईका सामान तथ्यार किया जाय । वैसा ही किया भी गया । इस प्रकार जापानवासियोंने धर्मके लिये कभी भी देशकी उपेक्षा नहीं की । जापानका धर्म राष्ट्रके लिये है, राष्ट्र धर्मके लिये नहीं । धर्मको सदा ही देश-रक्षाका साधन बनाया गया है । राष्ट्र और धर्ममें विरोध होनेपर धर्मकी भले ही हानि हो गई हो, किन्तु राष्ट्रकी हानि नहीं होने दी गई । जापानसे यदि हम इतनी भी शिक्षा ग्रहण कर सकें तो बहुत है ।

चीन एक उठता हुआ राष्ट्र है । उसमें राष्ट्रीयताका विकास अभी पूर्णरूपमें नहीं हुआ है । फिर भी उसमें राष्ट्रीयताका प्रभात प्रगट हो चुका है । उसके प्रगट होनेमें धर्मके नामसे कभी कोई बाधा पैदा नहीं हुई । चीनमें धर्मका विचार या भावना सम्बन्धितः इतनी दृढ़थी ही नहीं, जितनी टक्कीमें थी या भारतमें अब भी हैं । फिर भी धर्मके नाम पर देशमें कुछ बेहूदा और वाह्यात रिवाज अवश्य प्रचलित थे । भारतके हिन्दू तो फिर भी कुछ छोटी

ही चोटी रखते हैं, किन्तु चीनी लोगोंकी चोटियां सिरके पीछे एड़ी तक पहुंचती थीं। खियोंके पैरोंको बचपनसे ही लोटेकी जूतियोंमें जकड़ कर यथासम्भव छोटेसे छोटा घनाकर रखा जाता था। उनकी खूबसूरती और सौमान्यका यह प्रधान-चिन्ह माना जाता था। मनुष्यकी स्वार्थ-बुद्धि और स्त्रियोंको पराधीन बना रखनेको पुरुषशी कृपण, जघाय पर्वं कुत्सित वृत्तिका वहाँ अन्त हो गया, जहाँ उसने स्त्रीके स्वाभाविक सौन्दर्य-प्रेमकी कमजोरीसे लाभ उठाते हुये उसके पैरोंकी शक्तिको ही खिलकुल क्षीण कर दिया। मानो उसको स्त्रीके अपने हाथसे निकल जानेका इतना भय था कि उसने उसको लंगड़ा और लूला बना कर सदाके लिये ही पराश्रित बना दिया था। भारतमें स्त्रीको परदेकी कैदमें ढालकर घरमें ऐसी नजरबन्द रखनेको व्यवस्था की गई। थों कि उसको 'असूर्यमपश्या' फह कर उसकी प्रतिष्ठापका वर्णन रामायण सरोकृ ग्रन्थोंमें भी किया गया है। चीनमें परदेकी प्रथा न चल सकी, तो स्त्रीके पैरोंकी ही शक्तिको नष्ट कर दिया गया और वह भी उसके सौन्दर्यके नाम पर। इस ब्रह्माण्डकी अनन्त दृष्टिमें स्वच्छन्द विहार करने वाले कितने ही पशु-पक्षी और कीट-पतंग केवल अपने सौन्दर्यके कारण पकड़ जाते हैं। कोई तो पिंजरोंमें ढाले जाकर मनुष्यके मकानोंकी शोभा बढ़ाते हैं और कोई चिह्नियालानोंमें बंद किये जाकर उसके कौतुहलको पूरा करते हैं। स्त्रीकी सौन्दर्यके लिये स्वाभाविक इच्छा उसकी पराधीनताका प्रधान कारण गुरु है। चोनके स्वार्थी पुरुषोंने स्त्रियोंको

इस इच्छासे बजा लाभ उठानेमें कुछ भी कसर बाकी नहीं रखी। इन बेहृदगियोंको तरह ही चीनमें छाता लगाना भी वर्जित था। कहते हैं कि जिसने पहिले पहल छातेका उपयोग किया था, उस पर ईंट-पत्थरोंकी वर्षा करके उसका छाता ही तो तोड़ दिया गया था और उसकी प्राण-रक्षा बहुत कठिनतासे हो सकी थी। पर, इन और ऐसे सब बहमों तथा बेहृदगियोंको दूर करनेमें अधिक समय और श्रम नहीं लगा। उषाकालमें सूर्यकी किरणोंके प्रगट होते ही जैसे मोतियोंके समान प्रतीत होने वाले ओस-बिन्दु तुरन्त मिट जाते हैं, वैसे ही राष्ट्रीयताका प्रभात चीनमें क्या प्रगट हुआ। वे और वैसी सब बेहृदगियाँ तथा बहम तुरन्त मिट गये। चीनके लोगोंने जब जाना कि उनकी चोटियाँ धर्मका चिन्ह नहीं किन्तु किसी हिन्दू-राजा द्वारा परास्त किये जानेकी निशानी हैं तो एक ही दिनमें उनको सिरोंसे ऐसा अलग कर दिया गया जैसे टक्कीने फैज़को अपने सिर परसे उतार कर फेंक दिया है और स्त्रियोंको बचपनमें लोहेकी जूती पहनानेकी प्रथा भी वैसे ही उठ गई जैसे टक्कीमेंसे स्त्रियोंका बुर्का उठ गया है।

चीनमें राष्ट्रीयताके विकसित होनेमें धर्मको अपेक्षा परिवार और परिवार-संघ कहीं अधिक बाधक सिद्ध हुये हैं। चीनमें परिवार-विशेष या संघ-विशेषके नाम पर ही लोगोंसे संगठित होनेके लिये सदा अपील की गई और उनको ही सब संगठनका आधार बनाया गया। हजारोंकी संख्यामें बिना विचारे ही लोगोंने परिवार-विशेषके लिये अपने जीवनको आहुति दे दी और संघ-

विशेषके लिये सैकड़ों परिवारोंने भविष्यका विचार किये थिना ही अपना बलिदान कर दिया। जब कि संघ-विशेषोंमें परस्पर जोई भगड़ा उड़ खड़ा हुआ तो वे जीवन तथा जायदादकी हानिका कुछ भी विचार न करते हुये आपसमें लड़ते चले गये और उस भगड़ेके लिये सर्वस्व तक न्यौछावर करनेमें भी तनिक संकोच नहीं किया। परन्तु राष्ट्रके लिये वैसे बलिदान या न्यौछावर करनेका उदाहरण चीनके इतिहासमें मिलना संभव नहीं है। वर्तमान चीनके निर्माता डा० सनयात सेनने सन-मिन सिद्धान्तका प्रचार करके स्वदेशमें राष्ट्रीयताकी नींव डाली और चीनके पारिशास्त्रिक-प्रेमको राष्ट्र-प्रेममें परिणत कर दिया। उनका सन-मिन-सिद्धान्त राष्ट्रवादका ही दूसरा नाम है। इस सिद्धान्त किंवा राष्ट्रवादको ही वे चीनको मुकिका एकमात्र साधन मानते थे। अपने एक व्याख्यानमें उन्होंने कहा था कि “इस राष्ट्रवादके द्वारा ही अपना राष्ट्र दूसरे राष्ट्रोंकी घरायटीमें खड़ा हो सकेगा। अन्तर्राष्ट्रीय, स्वशासन-सम्बन्धों परं आर्थिक आदि सभी दृष्टियोंसे हमारे राष्ट्रकी शक्ति घड़ेगी, जिससे वह संसारमें चिरकाल तक जीवित रह सकेगा। यह राष्ट्रवाद हमारे राष्ट्रको मुकिका मूलमन्त्र है। हमको राष्ट्रवादके सिद्धान्तमें विश्वास पैदा करना चाहिये। इस विश्वाससे हमारे राष्ट्रमें उस प्रचुर-शक्तिका आविर्माव होगा, जिससे हमारा राष्ट्र निश्चय ही मुकिलाभ करेगा।” सचमुच, चीन उस मुकिके प्राप्त करनेमें लीन है, जिसका सफल ढा० सनयात सेनने कमी अपने

जीवनमें देखा था। चीनमें राष्ट्रीयताके जिस बाल-भास्करका उदय हुआ है, उसकी किरणोंसे समस्त राष्ट्र चमक उठा है। नवीन शक्तिका उसमें ऐसा संचार हुआ है कि चीनको जो राष्ट्र अफीमची समझ कर निर्विर्य एवं निस्तेज समझे हुये थे, वे उसकी इस नवीन शक्तिको देखकर आश्र्य चकित रह गये हैं। टर्कीके समान चीनपर भी दूसरे राष्ट्रोंकी आंखें लगी हुई थीं। पर अब कौन चीनके साथ लोहा ले सकता है ? राष्ट्र धर्मके पूर्णरूपमें विकसित होजानेके बाद चीन जितना शक्ति-सम्पन्न हो जायगा, उसकी कल्पना करना कुछ कठिन नहीं है। इस प्रकार चीनमें जिस नवयुगका प्रादुर्भाव हुआ है, उससे भी राष्ट्रवाद किंवा राष्ट्रधर्मकी महिमाको सहजमें समझा जा सकता है।

इतने प्रत्यक्ष और स्पष्ट इतिहासके बाद भी हम अपने कर्तव्यका निर्णय न कर सकें तो फिर हमारी मूर्खताकी पराकाष्ठा ही समझनी चाहिये। हम लोगोंको धर्म-प्राण, धर्म-भीरु, धर्मात्मा इत्यादि कहा जाता है और समझा जाता है कि हमारे आचार-विचार, रहन-सहन आदिमें धर्म मनुष्यके देहमें रुधिरकी तरह समाया हुआ है। इसलिये हम भारतीयोंके सम्बन्धमें धर्मके त्यागकी कल्पना तक करना कुछ कठिन-सी प्रतीत होती है। जिस प्रकार प्राणी शृङ्खल-जलके बिना नहीं रह सकता, इसी प्रकार भारतीयोंके लिये धर्मके बिना रह सकना असम्भव जान पड़ता है। धर्मजीवी लोगोंने भारतीय-समाज विशेषतः हिन्दू-समाजको धर्मके ज्ञालमें कुछ ऐसा उलझाया है कि इस

युत्थोक्ता चुलभाना ही अशक्य देख पड़ता है। पैदा होनेके पहिले हीसे अर्थात् गर्भाधानसे लेकर मृत्यु तक हो नहीं किन्तु उसके बाद भी मनुष्यके लिये जो व्यवस्था की गई है, उस सबपर धर्मका मुगादावादी छुलमा (कलई) ऐसा बढ़ा दिया गया है कि दिमागसे काम लिये दिना ही मनुष्य उसमें अनायास फँसता चला जाता है, मानो यह उसके स्वभावका ही एक हिस्सा बन गया है। मनुष्यके खाने-पीने, सोने-वैठने, चलने-फिरने और हृगने-मृतने तकके लिये जो व्यवस्था नियत की गई है, उसको भी 'धार्मिक' कहा जाता है। कहाँ तक कहा जाय, वेश-भूषा भी धर्मका अङ्ग बन गया है। मुसलमानोंकी 'फौज' (टोपी) के समान हिन्दुओंमें भी इतनी ही वेश-भूषाकी ऐ नी बातें मिलती हीं जिनका समर्थन धर्मके नामपर किया जाता है। हरिहारका प्रपिकुल सनातनी-हिन्दुओंकी एक सुप्रतिष्ठित संस्था है, जिसमें विद्याधियों तकके वेश-भूषामें धर्मके नाम पर भेद-भाव रखा गया है। वहाँ ब्राह्मण-वालकके लिये पीली, क्षत्रिय-वालकके लिये लाल और वैश्य-वालकके लिये सफेद धोती पहिनेकी व्यवस्था है। इसी प्रकार उनके ज्ञान-पानमें भी भेद-भावका व्यवहार किया जाता है। व्यवपनसे ही उनके दिल और दिमागमें, आचार-और विचारमें धर्मका धातक विष फैला कर उनकी समस्त वृत्तियों और समस्त व्यवहारको धर्मके नाम पर कलुपित बना दिया जाता है। पहाड़ोंमें, जो मन्दिरों एवं धर्म-स्थानोंकी दृष्टिसे हिन्दू-धर्मके गढ़ हैं, धर्मने नामपर उच्च और नीच घर्णके ढोगोंके

वेश-भूषामें इतना स्थिर अन्तर पैदा कर दिया गया है कि दो पहाड़ी टीलोंके समान दोनों वर्णोंके लोगोंको सदाके लिये ही अलग अलग कर दिया गया है। सारांश, भारतवासियोंके दिल और दिमाग पर धर्मकी बड़ी गहरी छाप लगी हुई है और धर्मकी चैसी ही पक्की छाप उनके आचार-विचार पर भी लगी हुई है। इसीलिये धर्मको मिटानेकी बात सुनते ही भारतके लोग चैसे ही कान फड़कड़ा कर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि हिरण्योंका झुण्ड किसी आपत्तिकी कल्पना करते ही सावधान होकर खड़ा हो जाता है। धर्मका मिटना उनको प्राणोंके जानेके समान जान पड़ता है। सदियोंके परम्परागत विचार, कल्पना और भावनाका एकाएक बदलना संभव नहीं है। धर्मको मिटानेके नाम पर कहाँ विरोध नहीं हुआ और उस सब विरोधके रहते हुये भी कहाँ धर्मका नाश नहीं हुआ ? एक ओर यदि केवल विरोधको देखा जाय तो महाप्रलयका-सा चित्र आंखोंके सामने आ जाता है और दूसरी ओर यदि केवल धर्म नाशको देखा जाय तो ऐसा मालूम होता है जैसे कि किसी नटखट घालकने अपनी स्लेटपर लिखे हुये सब पाठको ही एकदम मिटा दिया हो। कहनेका तात्पर्य यह है कि धर्मका मिटाना जितना कष्ट-साध्य प्रतीत होता है, उतना ही वह सहज है। जब कि मनुष्य-समाजके परम्परागत विचार, कल्पना और हृषि भावना तकको बदलना कठिन है, तब धर्मको मिटानेका कार्य तो उससे भी अधिक कठिन और अधिकांशमें असम्भव ही प्रतीत होना चाहिये।

पर, क्या मनुष्यने किसी भी कार्यको असम्भव जानकर उसको पूरा करनेकी ओरसे मुँह फेर लिया है ? नैपोलियनने अपने शब्द कोपमें से 'असम्भव' शब्दको ही निकाल दिया था और उसके बाद तो पेसा जान पड़ता है कि मनुष्य-समाजने फोई अन्तर्ज्ञानीय परिपद करके इस शब्द पर सदाके लिये हड़ताल फेर दी है। विज्ञानके आविष्कारके क्षेत्रमें कौनसी वात असम्भव रह गई है ? पहिले तो मनुष्यने पृथ्वी पर हिरणकी तरह दौड़ना ही शुरू किया था, अब तो उसने मछलियोंके समान समुद्रके गहरे पेटको चौरना भी शुरू कर दिया है और पक्षियोंके समान ऊंचे आकाशमें विचरना भी सीख लिया है। मनुष्यके देहमें प्राण डालना और मृत्युके साथ लड़ाई लड़ना, उसकी शक्तिके बाहिरका काम जरूर है, किन्तु उसका दिमाग उसको भी शक्य बनानेकी निरन्तर चेष्टामें लगा रुआ है। मृत्युको मनुष्य परास्त भले ही न फर सका हो, किन्तु नाशकी दृष्टिसे उसने उसके भी दाँत यट्टे कर दिये हैं। युरोपके संसारवशापी महात्मामरके लिये हत्याकी जिस धातक सामग्रीका आविष्कार किया गया था, उसको देखकर एक बार तो मृत्युको भी जरूर दाँतों तले अंगुली दबा लेनी पड़ी होगी। संहारकी कलामें मनुष्य मृत्युको परास्त फर चुपा है। आविष्कारोंके इस कार्यको उसने कभी भी असम्भव नहीं माना।

देशकी स्वतन्त्रता किंवा राष्ट्रकी आजादीका प्रथम सबसे अधिक जटिल और असाध्य है। कई बार तो उसका दल

ता किया, क्या जाय

करना असम्भव हो प्रतीत होने लगता है, जिसे भी करने की हल करने की चेष्टा करने से मनुष्य कभी भी विमुख नहीं हुआ। सदियों तक उसके लिये निरन्तर चेष्टा की जाती है। पीढ़ी दूर-पीढ़ी मनुष्यने उस चेष्टामें रुत रह कर अनन्त सीमा तक कष्ट सहन किया है और महान् से महान् बलिदान करनेमें भी कभी संकोच नहीं किया। जब स्वाधीनताके लिये मनुष्य इतना कष्ट सहन और बलिदान करता हुआ भी कभी थकता नहीं, तब वह उस स्वाधीनता प्राप्तिमें सूबसे बड़े बाधक धर्मको दूर करनेमें संकोच एवं निर्बलता कैसे दिखा सकता है?

धर्मको मिटाने थथवा उसका बहिष्कार करनेकी दृष्टिसे भारत और पश्चिमके सम्बन्धमें एक बात बहुत ही विस्मयजनक है। वह यह कि भारतके लोगोंने धर्मको ऐसा अपनाया है कि धर्मकी दृष्टिसे ही भारतमें हरणक व्यवहारकी भलाई या खुराईका निर्णय किया जाता है। इसी दृष्टिसे हिन्दू-समाजमें समुद्रयात्राको बैसे ही धर्म द्वारा बर्जित ठहराया गया था, जैसे भूठ बोलना, घोरी करना तथा व्यभिचार करना निषिद्ध है। इसका परिणाम क्या हुआ? यही कि भारतवासी कूपमण्डूप बन गये। वेदिक-कालीन साम्राज्य किंवा सार्वमौम-चक्रवर्ती-राज्यकी बातें उनके लिये हवा हो रहीं। महाभारत-कालीन भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेवकी चतुर्दिविजय एवं युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञका अनुष्ठान भी उनके लिये केवल एक कहानी रह गया। बौद्धकालीन भारतीय-सम्प्रताका विकास केवल इतिहासका विषय रह गया।

मुसलमानी-फालीन फला, शिल्प, वाणिज्य एवं व्यवसाय सब के बल आंसू बढ़ानेको रह गया। सारांश, धर्मके उकेदार कृपमण्डूप बन गये और अपने धर्मके भी मातिक न रहे। दूसरी ओर पश्चिम व लोंके धर्म-पुस्तक बाईचिलमें संसारका विस्तार इतना नहीं था, जितना उनके साम्राज्यका इस समय विस्तार है। उनके धर्म-पुस्तक द्वारा नियत भी हुई संसारकी सीमा उनकी महत्वाकाश ओबो सीमित नहीं रख सकी। उन्होंने उस सीमाको पार किया और जहां तक वहां तक और जैसे वहा वेसे अपने साम्राज्यका विस्तार किया। आज यह स्पष्ट देख पड़ता है कि धर्म-धर्म चिह्नाने वाले उनके गुलाम हैं, जिन्हाने धर्मका पूर्ण धर्मिकार करके विज्ञानको अपनाया है। दूसरे शब्दोंमें यह कहा जा सकता है कि पूर्व पर पश्चिमकी हुक्मत क्या है, धर्म पर विज्ञानका शासन है। इस रपट सचाई और प्रत्यक्ष उदाहरणके बाद भी यदि हम चेत न सक और धर्मके भूतसे अपना पिंड न छुड़ा सकें, तो समझना चाहिये कि अपने सर्व-नाशका समय आ पहुंचा।

हम निराशावादी नहीं हैं। अपने विश्वाल देशके महान् भविष्य पर हमारा अटल विश्वास और अपार श्रद्धा है। सभ्यताकी दृष्टिसे भाप्त संसारका जगद्गुरु है। उसको सभ्यता इतने तुकानोंके बाद भी नए नदों हुई। आज भी सभ्य संसार उसकी प्राचीनता और महानताको स्वीकार करता है। इतनी प्राचीन और महान् सभ्यता वाला देश यों ही सर्वनाशको प्राप्त नहीं हो सकता।

जब देशका सर्वनाश नहीं हो सकता, तब धर्मके सर्वनाश होनेमें तो कोई शंका ही नहीं है। जहाँ कहीं भी लोगोंने देशकी रक्षाके लिये कमर कसी है, वहाँ ही धर्मकी या तो उपेक्षा की गई है अथवा उसकी सत्ताको ही बिलकुल मिटा दिया गया है। इतिहासज्ञोंका यह सिद्धान्त है कि इतिहासकी पुनरावृत्ति होती है। अब उनका यह सिद्धान्त भारतके प्रति सत्य सिद्ध होने वाला है और धर्मके सर्वनाशकी पुनरावृत्ति इस देशमें होने वाली है।

धर्मनाशके सम्बन्धमें जनताकी मनोवृत्ति उस स्त्री की सी है जो स्वयं परदेकी कुत्सित और जघन्य प्रथासे तंग आई हुई भी परदा दूर करनेवालों स्त्रियोंको ऊपरी मनसे तो कोसती रहती है और भीतरी मनसे सदा यह मनाया करती है कि इस कैदसे उनको भी कब छुटकाए मिले। देखादेखी धर्मपरायण बना रहने वाला हिन्दू विधवा-विवाहका विरोध करता है, किन्तु जब अपने ही घरमें अपनी किसी लड़की या बहिनको बाल-वैधव्यकी चिता पर अहर्निश जलते हुये देखता है, तब अनायास हो उसका अन्तः करण विधवा-विवाहका समर्थन करने लगता है। उस स्त्रीमें इतना नैतिक-बल नहीं कि वह स्वयं परदेकी कैदके बंधनोंको काट डाले और इस पुरुषमें इतना आत्मिक-साहस नहीं कि वह लोक-लाज किंवा लोक-निन्दाको ताक पर धरकर अपनी लड़की या बहिनका उस सन्तापसे उद्धार कर सके। ठीक यही स्थिरत धर्मके सम्बन्धमें हैं। किसका हृदय इस धर्मसे छलनी नहीं बना हुआ है ? कौन उसकी बेहूदगियों और बहमोंसे तंग आया हुआ नहीं है ?

किसको उसके पागलपनसे घृणा नहीं है ? किसने उसकी कट्टरताके कष्टको अनुभव नहीं किया है ? यह स्थिति होते हुये भी प्रश्न यह है कि स्थाऊंका ठौर कौन पकड़े ? कौन उसके गलेमें घण्टों बांधे ? कौन नैपोलियनके समान खण्डा हाथमें लेकर अग्निशर्षमें कूदे ? कौन घर-विरादरी-जात वालोंसे छड़ाई मोल लें ? कौन सामाजिक वहिष्कारकी वहिकी धधकती चिनगारियोंके साथ खेल खेले ? कौन अपने माता-पिता, भाई-बन्धु, सगे-समर्थनी आदिसे अलग होकर अकेला रहतेके भंभट्टमें पड़े ? कौन लोहेके बनोंको चवानेका साहस-पूर्ण परीक्षण करते हुये अपनी जान मुसीचतमें फँसावे ? सारांश, यह है कि धर्मका पूर्ण वहिष्कार सत्यकी कसौटी पर पूरा उत्तरनेके बाद भी मनुष्यके साहसकी कसौटी पर पूरा नहीं उत्तरता है। अर्थात् यह ऐसी सचाई है, जिसका पांलन करना तलवारकी तेज धार पर चलनके समान है। सचाईकी केवल इस लिये उपेक्षां नहीं की जा सकती कि मनुष्यके लिये वह कष्ट-साध्य है। अपि तु सचाईके कष्ट-साध्य होनेसे ही उसका कुछ महत्व जान पड़ता है। साल सचाईको अपेक्षा कष्ट-साध्य सचाईके प्रति मनुष्यकी श्रद्धा-भक्ति कुछ अधिक ही रहती है। इसीसे साहसी पुरुषका अपने पुरुषार्थपर अधिक भरोसा रहता है। शिरारोको बाजारसे खरीदे हुये मांसके खानेमें इतना आमन्द अनुभव नहीं होता, जितना कि घह स्वयं शिकार खेल फर उपाजित किये हुये मांसके खानेमें अनुभव फरता है। पैतृक-सम्पत्तिकी अपेक्षा मन्त्रयं पैदाकी हुई सम्पत्तिके लिये मनुष्यको कहीं अधिक

अभिमान रहता है। कहनेका तात्पर्य यह है कि स्वभावसे ही मनुष्य साहसी, उद्यमी और पुरुषार्थी है। यदि वह साहस, उद्यम अथवा पुरुषार्थसे चिमुख होता है तो वह अपने स्वभावकी स्वयं ही हत्या करता है और यह ऐसी हत्या है जिससे कि मनुष्यका मनुष्यत्व ही खटाईमें पड़ जानेका भारी भय है। इसोसे अपने मनुष्यत्वकी रक्षाके लिये ही मनुष्यको इस सचाईको व्यावहारिक जीवनमें पूरा उतारनेकी चेष्टा अवश्य करनी चाहिये। रूस, टक्की, चीन, जापान आदि देशोंके अभ्युदयके स्पष्ट उदाहरणको सामने रखते हुये अपने देशके अभ्युदयके यज्ञमें भी पूरी सचाईके साथ लग जाना चाहिये। देशके भविष्यमें ढूढ़ विश्वास होनेसे ही हमारा यह भी ढूढ़ विश्वास है कि धर्मका यह सब जंजाल देशसे अवश्य ही उठ जायगा। भारतके लोग न केवल अपने व्यक्तिगत जीवनके सुधारके लिये किन्तु देश एवं राष्ट्रके अभ्युदयके लिये भी धर्मका पूर्ण बहिष्कार निश्चय ही करेंगे। इस बहिष्कारके सम्बन्धमें कियं जाने वाले आक्षेपोंपर अगले पृष्ठोंमें कुछ विचार किया जायगा और यह मी बताया जायगा कि हमारा यह विश्वास निराधार नहीं है।





४-कुछ आक्षेपों पर विचार ।

—“जिस देशमें दुधमुदी बच्चियोंके विवाहका समर्थन धर्मके नाम पर होता है और ऐसे विवाहोंको रोकनेके लिये बनाये गये कानूनका विरोध भी धर्मके नाम पर किया जाता है, जिस देशमें पतिका नाम सक व जानने वाली तथा उसका मुँह तक न देखो हुई बाल-विधवाओंके विवाहका धर्मके नाम पर निषेध किया जाता है और उनको बलात् वैधव्यके सन्तापमें जलनेके लिये विवश किया जाता है, जिसमें विधवा-ओंके साथ ही कुंवारोंकी इतनी अधिक संख्या रहते हुये आग तथा कपासको पास पास रखकर भी कपासके न जलनेको मूर्खता-पूर्ण आशा की जाती है और जिस देशमें धर्मके अनेकों वेहूदा बन्धनोंके कारण ही स्त्रियोंको इतनी अधिक संख्यामें वेश्या-वृत्तिको अपने जीवन-निर्वाहका साधन बनाना पड़ता है, उस देशके निवासी धर्मकी आङ्में सदाचारी होनेका भी ढोंग रखें, इससे अधिक विद्म्बना एवं आत्म-वंचना और क्षा हो सकती है ?”

४

कुछ आक्षेपों पर विचार

धर्मके बहिष्कार या सर्वनाशके सम्बन्धमें किये जाने वाले आक्षेपोंपर विचार करनेसे पहिले धर्मके अस्तित्वके सम्बन्धमें कुछ विचार करना आवश्यक है। वह इस लिये कि जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि धर्म कोई ऐसी पत्थरकी लकीर नहीं, जिसको मिटाया नहीं जा सकता या जिसमें रहोबदल (परिवर्तन) नहीं किया जा सकता। जिस धर्मनाश के लिये इन पृष्ठोंमें अपील की जा रही है वह सदा ही हुआ है, अब भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा। धर्म कोई ऐसा शाश्वत, नित्य, स्थिर या भ्रुघः नहीं है। इस परिवर्तनशील संसारमें अपरिवर्तनशील कुछ भी नहीं। फिर धर्म तो ऐसा परिवर्तनशील है कि सदा ही उसमें कुछनन कुछ परिवर्तन घरांवर होता ही रहा है और एक धर्म के स्थान पर दूसरों धर्म पैदा होता रहा है।

हिन्दू-समाजेकी दृष्टि से कभी एक ही धर्म था; जिसको वैदिक-धर्म कहा जाता है। वेदोंके बाद ब्राह्मणोंका युग आया, जिसमें कर्मकाण्डका श्रीगणेश हुआ। उसके बाद पौराणिक काल आया, जिसमें पूजा-पाठ को भी धर्ममें शामिल किया

गया। कभी यह सब कर्म-काण्ड और पूजा-पाठ हिंसासे एकदम रहित था। पर, समय अथवा जब कि 'वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति' को सिद्धान्तके रूपमें माना जाने लगा। अर्थात् वेदिक कर्म-काण्डके लिये को जाने वालों हिंसाको हिंसा तरु माननेसे इनकार किया गया। धर्मके नाम पर किये जाने वाले पापको भी पुण्यमें गिनती होने लगी। इस उलटो वइतो हुई गंगाके विशेषमें भगवान् बुद्ध और महात्मा स्वामी खड़े हुये। धर्मका रूप बदला। अहिंसाको फिर से धर्म माना जाने लगा। बदले हुए इन धर्मों का नाम बौद्ध और जैन रखा गया। इन धर्मोंमें बैद्योंकी प्रतिष्ठा नहीं थी और वैदिक कर्मकाण्डको तो हिं-नामय होनेसे ही एकदम मिटा दिया गया था। परमात्माके सम्बन्ध ये दोनों खुप थे। वेदिक दृष्टिसे यह सब नास्तिकता थी। इसलिये भी शङ्कुराचार्यने इस नास्तिकताका विशेष किया। परिणाम यह हुआ कि धर्मके परिवर्तित रूपको 'वेदान्त' नाम दिया गया। इसके बाद तो जो भी महात्मा, सन्त या महापुरुष प्रगट हुये और जिन्होंने अपने समयकी वेहृदगियों और वहमों से दूर करने की कोशिशकी, उनके ही नामसे धर्म-परिवर्तन होकर नये धर्म, नये सम्प्रदाय, नये पन्थ बनने लगे। इतने ही से स्यालीपुलाक-स्यायसे धर्म-परिवर्तनकी चास्तविकताको समझा जा सकता है और यह जाना जा सकता है कि किस प्रकार धर्म, धर्मके सिद्धान्त और उद्धान्तों पर आश्रित रहने वाला कर्मकाण्ड बदलता रहता है? इसलिये किसी भी धर्मको या धर्मोंके

किसी भी रूपको सदा ही एक-सा हितर मान लेना भारी भूल है।

विकासवादकी दृष्टिसे विचार करने पर भी उक्त कथनकी सचाई स्पष्ट हो जाती है। समाज-शास्त्र और अर्थ-शास्त्रके विद्वान् वर्तमान-सामाजिक-जीवनके विकासकी इकाई मनुष्यको मानते हैं। इस विकाससे पहिले मनुष्यकी दृष्टि अपने ही तक सीमित थी। केवल अपना निर्वाह करना उसके जीवनका लक्ष्य था। जंगलमें जाकर अपने लिये खाने-पीनेके सामानकी उपलब्धि कर लेना उसके पुरुषार्थकी चरमसीमा थी। जब कि गृहस्थ, परिवार, वर्ग एवं जाति आदिकी रचना हुई, तब उसके लक्ष्यकी परिधि कुछ फैली और पुरुषार्थका दायरा भी कुछ विस्तृत हुआ। भरण-पोषण एवं जीवन-निर्वाहके दायरेके समान ही आध्यात्मिक जीवनके दायरेका भी विकास हुआ है। कभी समय था जब मनुष्य अपनी ही आत्मिक किंवा आध्यात्मिक उन्नतिमें मस्त रहता था। उसके लिये वह पर्वतकी कांदराघामें तपस्या करने अथवा भगवद्भक्तिमें लीन रहता था। इसीमें उसके जीवनकी साथेकता थी। पर, आज ऐसी भगवद्भक्ति और तपस्याकी क्या कीमत है? आज उस व्यक्तिगत साधना का स्थान कितने ही प्रकारकी आराधनाने ले लिया है। साधना एवं आराधनाकी दृष्टिसे धर्मका रूप रातके थाद दिनके समान बदल गया है। अकेले मनुष्यके लिये इन सब धार्मिक व्यवस्थाओंको कुछ भी आवश्यकता नहीं थी। गृहस्थ, वर्ग, एवं जातिको रचनाके बाद ही इन-

सब धार्मिक-व्यवस्थाओंकी भी रचना हुई है और निश्चय ही उनमें देश तथा कालके अनुसार सदा ही परिवर्तन होता रहा है। इनमेंसे अधिकांश व्यवस्थाओंका उद्गम स्थान तो, मनुष्य की सार्थ बुद्धि है। जब ग्राहणोंके हाथमें धर्मकी व्यवस्था का फार आया और धर्मपर उनका पूर्ण प्रकाशिकार हो गया, तब उन्होंने धर्मको अपनी आज्ञाविकाका प्रधान साधन बना लिया। मेंट, पूजा, दक्षिणा को धर्म-कर्ममें इनी प्रधानता की गयी कि 'साधारण स्थितिके लोगोंके लिये उसका अनुष्ठान फरना कठिन हो गया। इस प्रकार धर्मका यह अनुष्ठान भी राजाओंकी राज-व्यवस्थाके समान सदा ही बदलता रहता है। सारांश, धर्मज्ञा, वाह्य-अनुष्ठान तो परिवर्तनशील हैं ही, किन्तु उसका रूप भी समय समयपर बदलता रहता है। उसको स्थिर, भ्रुव या नित्य मान लेना भारी भूल और भारी भ्रम है।

जब कि धर्म-परिवर्तन-शोल है और एक धर्मने दूसरे धर्मको मिटानेको सदा ही कोशिश की है, तब यह तो स्पष्ट हो गया कि धर्मके सर्वनाशकी बात ऐसी नहीं है, जिसको सुनकर धर्मरात्या, जाय और यह समझा जाय कि यह कोई बहुत बड़ा नैतिक-पाप है। यदि यह कोई ऐसा नैतिक-पाप होता, तो, श्रीकृष्ण-महाभारत, लक्ष्मीके मैदानमें महारथी अर्जुनको 'सर्वधर्मपरित्याग' का, रादेश कभी भूलकर भी नहीं देते। जिन बन्धु-बान्धव, गुरु, आचार्य और कृष्ण-जनोंकी सेवा, फरना सर्वोत्कृष्ट धर्म कहा गया है, उनको श्रीलक्ष्मीके लिये सामने उपस्थित देखकर अर्जुन,

‘का मोह यत्’ भ्रममें पड़ जाना साधारण बात थी। वह उनपर कैसे दृथियार चलाता? ‘कौसे उनको हत्या करता? राज्यके लिये कौसे उस सर्वोत्कृष्ट धर्मकी अवहेलना करता? पहिले तो ‘श्रीकृष्णने अर्जुनको जन्म-मरणका कम बताते हुये यह समझाने का यह किया कि :—

“देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।

‘तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुद्यति ॥”

अर्थात् ‘जिस प्रकार मनुष्यको वचपन, युवावस्था और बुढ़ापा प्राप्त होता है, उसी प्रकार उससे दूसरा जन्म किंवा दूसरा देह प्राप्त होता है। बुद्धिमान् लोग इस देहके पीछे मोहमें ‘नहीं पड़ते।’ जब अर्जुनको इससे सन्तोष नहीं हुआ, तब उसधोरे आत्माकी नित्यता पर उपदेश देते हुये कहा गया कि :—

“अविनाशी तु उद्दिद्धि चेन सर्वमिदं ततम् ॥

य एन वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।

‘उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्दते ॥

न जायते प्रियते वा कदाचिन्

नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते दन्यमाने शरीरे ॥

यासांसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विद्याय जीर्णा-

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥”

अर्थात् ‘इस संसारमें सर्वत्र व्यापक आत्मा है अर्जुन ! कभी भी नष्ट नहीं होता । जो यह समझता है कि वह किसीकी हत्या करता है या किसीसे मारा जाता है, वे दोनों ही यह नहीं जानते कि वह न तो किसीकी हत्या करता है और न कई दूसरा उसका हत्या कर सकता है, वह आत्मा जन्म-मरणके बन्धनसे परे है । वह न कभी पेदा हुआ, न होता है और न होगा हो । वह जन्मके बन्धनसे रहित है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है । नश्वर शरीरके नष्ट हो जाने पर भी वह कभी नाशको प्राप्त नहीं होता । जैसे कि मनुष्य पुगाने, मैले या फटे हुये कपड़ोंको उतार कर नये कपड़े पहित लेता है, वैसे ही दुर्बल, क्षीण एवं शक्तिहीन शरीरको छोड़कर वह न रोन शरीरको धारण कर ले गा है ।” फिर आत्मा-को अच्छेय, ग्रदाहा, धक्केदार और अशोष्य आदि वताकर अर्जुनको युद्धके लिये तथ्यार कानेका यज्ञ किया गया । जब इस पर भी उसको समाधान नहीं हुआ और वह युद्धके लिते तथ्यार नहीं हुआ तर उसको “स्वधर्म”के नामसे समझानेका उद्याग किया गया । उससे कहा गया कि:—

“स्वधर्मेमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि ।

धर्माद्वयं युद्धाच्छ्रुयोऽन्यत्थश्चिद्यस्थ न विद्यते ॥

यदृच्छ्या चोपपत्नं स्वर्गद्वारमपावृत्तम् ।

सुखिनः क्षत्रियाः पार्य लभन्ते युद्धमीढशम् ॥

अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्त्यसि ॥”

अर्थात्—‘अपने क्षात्र धर्मको देखते हुये भी तुमको मोह या भ्रममें पड़ना शोभा नहीं देता । धर्मकी दूषिणसे क्षत्रयके लिये युद्धसे अधिक श्रेष्ठ कर्म और क्या है ? तुम्हारे लिये तो यह स्वर्गका द्वार खुल गया है । जिन क्षत्रियोंके भाग्योंमें सुख बदा है, उनको ही ऐसे युद्धका अवसर प्राप्त हुआ करता है । यदि तुम इस धर्म-संग्रामसे सुख मोड़ोगे तो स्वधर्म और यशको खोकर पापके भागी बनोगे ।’ इस प्रकार धर्म, स्वर्ग, पाप एवं पुण्य आदि की दृष्टिसे भी अर्जुनको बहुत समझाया गया और उसको बताया गया कि ‘भले व्यक्तिका अपमान मृत्युसे भी अधिक गर्हित है’ और धर्मकी महिमामें तो उससे यहा तक कहा गया कि—

“स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ।”

अर्थात् ‘धर्मका थोड़ा सा भी पालन करें भारी भयसे मनु-व्यकी रक्षा करता है ।’ और—

“स्वधर्मं निधः श्रेयः परधर्मो भयावहः ।”

अर्थात् ‘अपने धर्मको पालन करते हुये मृत्युका होना भी भला है और उसको छोड़कर दूसरे धर्मका अनुष्ठान करना बड़ा ही भयानक है ।’ धर्म-कर्म, पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक, सुख-दुख, तथा मान-अपमान आदि सभी दूषिणोंसे अर्जुनको युद्धके लिये तैयार करनेकी चेष्टा की गई । फिर कर्मयोग और ज्ञानयोगकी

भी विस्तारके साथ व्याख्याकी गई। गीताज्ञा सब उपदेश इस व्याख्याके अलावा कुछ भी नहीं। पर, अर्जुनका ध्रम और मोह इस सब उपदेशसे भी दूर नहीं हुआ। श्रीकृष्णने जब देखा कि धर्मका यह सब उपदेश, पाप-पुण्यकी यह सब भावना, स्वर्ग-नरककी यह सब कल्पना और मान-अपमानका यह सब विचार भी अर्जुनकी मोहमाया और उसके ध्रमजालको छिन्न-भिन्न नहीं कर सका, तब उन्होंने अन्तमें यह कहना ही पड़ा कि—

“सर्ववर्मान्पित्रयज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥”

अर्थात् ‘सब धर्मोंका पूरी तरह त्याग फरके केवल एक मेरी शरणमें आजा। मैं तुमको सब पापोंसे बचा लूँगा। किसी भी प्रकारकी कुछ भी चिन्ता न कर।’ इस मोहमाया और ध्रमजालमें पड़नेसे पहले भी श्रीकृष्ण पर अर्जुनको इतना भरोसा अवश्य था कि उसने सब सैन्यकी तुलनामें अकेले उनको और घर मी शरक़-रहिन उनको ही अपनी ओर लेना स्वीकार किया था। इस लिये अपने प्रति अर्जुनका कुछ अधिक विश्वास पैदा करनेके लिये लड़ाईके मैदानमें इनने गंभीर उपदेशको आश्रयकता तो प्रतीत नहीं होती। किंव भी इस सब उपदेशका सारांश इतना ही है कि देश, काल, पात्रका विचार फरते हुये धर्मकी अवदेलना अथवा उसका त्याग करनाही पड़ता है। इसलिये लड़ाईके मैदानमें अर्जुनको चन्द्र-यानघव, गुरु-आचार्य एवं घृद्वजनोंकी पूजा या सेवाके सर्वोत्कृष्ट धर्मका त्याग फरना आवश्यक ही था और

धर्म-कर्म, पाप-पुण्य, स्वगं-नरक आदिकी सब भावनाओंसे ऊपर उठना भी अनिवार्य था । जब श्रीकृष्ण सरीखे चतुर राजनीतिक्षण धर्मकी इतनी महिमाका गान एवं बखान करनेके बाद भी अर्जुनको 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' का उपदेश दे सकते हैं, तब यदि गुलामीके गहरे गढ़में पड़े हुये, सब दूषितयोंसे दीन-हीन अवस्थाको प्राप्त और धर्मको मोह-माया एवं भ्रम-जालमें उलझे हुये देशवासियोंसे 'सर्वधर्म-परित्याग' के लिये अपील की जाय, तो कौन-सो अनोखी बात है ? इसमें घबरानेका क्या कारण है ? यह कौन-सा ऐसा नैतिक-पाप है ? देशवासियोंके लिये यह अनिवार्य है । 'सर्वधर्म-परित्याग' का सीधा अर्थ है सब धर्मोंका बहिष्कार या सब धर्मोंकी अवहेलना ।

रात-दिन धर्म धर्म चिल्लाने वाले लोगोंने तो अपने लिये एक बहुत सुन्दर व्यवस्थाकी हुई है और वह यह है कि 'आपत्काले मर्यादा नास्ति ।' अर्थात् आपत्कालमें धर्मकी मर्यादा का कोई बन्धन नहीं रहता । इसीका दूसरा नाम है 'आपद्धर्म ।' सब कहा जाय तो धर्मकी मर्यादाकी परीक्षा आपत्कालमें ही होनी चाहिये । सिरपर आपत्तिके बादल मंडराते रहने पर भी मनुष्यको अपने धर्मपर दूढ़ अवश्य रहना चाहिये, यदि धर्म कुछ ऐसा त्रिकालबाधित है कि उसको कभी छोड़ा नहीं जा सकता । इस आपद्धर्मकी व्यवस्थासे किंवा आपत्तिकालमें धर्मकी मर्यादाका बंधन न रहनेसे यह तो स्पष्ट हो गया कि धर्म त्रिकालबाधित नहीं है । वह ऐसा नहीं जिसमें कि एक मात्राकी

भी कभी कभी नहीं की जा सकती। इस व्यवस्थाके रहते हुये वर्तमान आपत्कालजो देखते हुये यदि धर्मकी मर्यादा (जिसको कि पर्दा कहना ठीक नहीं है) के उल्लंघन करनेकी बात ही जाती है, तो कौन-सा अनर्थ किया जाता है? देशपर छाई हुई आपत्तिये समवन्धमें विज्ञ पाठकोंको स्वर्य ही कुछ विचार करना चाहिये। हमारी हृषिमें सबसे बड़ा आपत्ति तो यह है कि देश हर तरहीं पराधीनताके पंकर्म पड़ा सड़ रहा है। देशको राजनीतिक पराधीनताके कारण हम इनने दीन-हीन समझे जाते हैं कि अपने देशमें और दूसरे देशोंमें भी हमारी मान-मर्यादा बुछ भी नहीं। कुली या कुली-जामें बढ़कर हमारी कुछ हैसियत नहीं। संसार हमको भेड़-बकरियोंसे भी गया-योंता समझता है। आध्यात्मिक हृषिसं हमारी स्थिति और भी अधिक दीन-हीन है। जिस आध्यात्मिकताका हमको इतना अभिमान है, उसका अब दिवाला पिट चुका है। नाममात्रके साधु-सन्तों और वेशधारी महात्माओंकी उगविद्यासे अधिक अध्यात्मवाद क्या है? सामाजिक जीवनकी अवस्थाका चिन्ह किससे छिपा हुआ है? मुसीबतकी मारी हुई विधवाओंका करुण कहानी यहां क्या लिखी जाय? क्या उनके लिये इससे भी अधिक संकटका कोई और आपत्ति-फाल फसी आ सकता है? पुरुष स्वर्य तो ६०-७० वर्षकी आयुमें तीन चार हित्रियोंकी हत्याका स्वर्य घारण होनेके बाद भी किरण किरण विवाह फरनेसे रुकता नहीं और हत्रीके लिये इतनी कड़ी मर्यादा है कि वह घाल-विधवा

होने पर भी मुँहसे विवाह शब्दका उच्चारण नहीं कर सकती और मनमें उसका विचार तक नहीं ला सकती। अद्भूत कहे जाने वाले भाइयोंकी भी वैसी ही संकटापन्न अवस्था है। कहीं तो वे आम सड़कोंपर चल तक नहीं सकते। उनके स्पर्शकी बात तो बहुत दूरकी है, जनका छाया और दृष्टि तकसे परहेज किया जाता है। शिक्षामें सब भारत ही अभी पिछड़ा हुआ है, किन्तु उन विचारोंके लिये आजीविकाका मार्ग तक निर्बाध नहीं। क्या उनके लिये इससे भी अधिक किसी आपत्कालका अल्पना की जा सकती है? क्यों न वे धर्मकी मर्यादाका उल्लंघन करें अथवा दूसरे शब्दोंमें क्यों न वे धर्मके विलम्ब विद्रोह करते हुये उसके सर्वनाशके लिये यत्पत्रान् द्वारा? सामाजिक जीवनका नैतिक-दृष्टिसे जो पतन हुआ है, वह भी पराकाष्ठाको पहुंच चुका है। समाज-की व्यभिचार-लीलाकी साक्षी उस, वेश्यावृत्तिसे मिलती है, जिससे बाधित होकर कितनी ही स्त्रियां अपने सतीत्वको प्रति दिन बेवनेके लिये विवश होती हैं। मन्दिरोंकी व्यभिचार-लीलाका समर्थन तो धर्मके नाम पर ही किया जाता है। इस व्यभिचार लीलाके जारी रहते हुये सामाजिक सदाचारकी धार्मिक मर्यादाकी रक्षाकी आशा रखना वैसा ही है, जैसे कि, कोई बंध्या खी से पुत्रको आशा-रखता हो। समाजके लिये नैतिक दृष्टिसे इससे अधिक आपत्तिका समय और क्या हो सकता है? इसलिये यदि आपदु धर्म की व्यवस्था ठीक हैं और यह भी ठीक है कि इस कालमें, धर्मकी मर्यादाका बन्धन नहीं रह सकता तो फिर क्यों

उसको बनाये रखने की जिहा, हठ या दुराग्रह किया जाता है । उसके सर्वनाशका समय तो स्वरं ही आ पहुंचा है । क्यों पानीकी तेज धाराको पीठसे रोकनेकी व्यर्थ चेष्टा करते हुये अपने जीवनको भी सर्वनाशके संकटमें डाला जाता है ? नीति-प्रत्योगेमें पुरुषको सबसे बड़ा उपदेश ‘आत्मार्थं पृथिवीं त्यजेत्’ दिया गया है । जब कि आत्मरक्षाके लिये समस्त पृथिवीका त्याग किया जा सकता है, तब वह धर्म तो क्या है जिसने हम लोगोंको सभी दृष्टियोंसे रसातलमें पहुंचा दिया है और हमारी आत्म-हानिमें कुछ भी कसर वाको नहीं रखी है । उसको मिटानेके लिये एक घार तो अर्जुनके समान कटिवद्ध होना ही चाहिये ।

यह तो स्पष्ट हो गया कि धर्मकी अवहेलना कोई ऐसा नीतिक-पाप नहीं । अब थोड़ेमें कुछ अन्य आक्षेपों पर विचार कर लेना चाहिये । धर्मके मिटनेकी धात सुनते ही जो सबसे पहिला और बड़ा आक्षेप किया जाता है, वह यह है कि धर्मके मिट जानेके बाद नीतिक-जीवनकी मर्यादा कैसे रहेगी ? सदाचार कैसे सुरक्षित रहेगा ? धर्मका नीतिक बांध टूट जाने पर चारों ओर व्यभिचार कैल जायगा । यह ऐसा आक्षेप है जिसका अतिरिंजित चिन्मनताके सामने इस रूपमें उपस्थित किया जाता है कि उसको देखने वाले एकाएक घवरा जाते हैं । फिर इसके समर्थनमें पश्चिम के जीवनको एकदम नीतिकतासे रहित घता फर उसके समर्थनमें भी यही अतिशयोक्तिसे काम लिया जाता है और लोगोंको यताया जाता है कि यह सब धर्मकी अवहेलनाका परिणाम है ।

हम पूर्व और पश्चिमके सदाचारकी पारस्परिक तुलना नहीं करना चाहते। न तो हम पूर्वके सम्बन्धमें मिस मेयोकी 'मदर-इण्डिया'की दृष्टिसे काम लेना चाहते हैं और न पश्चिमके सम्बन्धमें मिस्टर गौवाके 'अंकल-शाम' की नीतिको काममें लाना उचित समझते हैं। परछिद्रान्वेषणकी दृष्टिसे विचार करने पर सचाई मालूम नहीं की जा सकती। इस लिये सचाईको ही समुख रखते हुये उक्त आक्षेपके सम्बन्धमें कुछ विचार करना अच्छा होगा। पश्चिमके सदाचारके सम्बन्धमें हम लोगोंकी कही हुई बातोंमें उतनी ही सचाई है जितनी कि सचाई साम्यवादी रूपके सदाचारके सम्बन्धमें कही जाने वाली दूसरे देशवासियोंकी बातोंमें रहती थी। पश्चिमके सदाचारको पतित बताने वाले अधिकांश वे लोग हैं, जिन्होंने न तो कभी पश्चिमको देखा ही है और न कभी उसके सम्बन्धमें कुछ अध्ययन ही किया है। वैसे प्रत्यक्ष अनुभव ऐसी सब बातोंके बिलकुल बिरुद्ध है। पश्चिमकी स्त्रियोंका साहस, वशोंकी चंचलता और पुरुषोंका उद्योग देखते हुये उनके सदाचारमें सन्देह करनेकी शुल्काइश नहीं रहती। भारतकी हिन्दु-धर्म-परायण देवी अकेली अपने घरसे बाहर नहीं निकल सकती और पश्चिमकी स्त्रियां हजारोंकी भीड़को पानीकी धाराके समान चीरती हुई वेधड़क निकल जाती हैं। जहां हिन्दु लड़कीको कहीं अकेले या किसी दूसरेके साथ भेजनेमें भी सदा शङ्का बनी रहती है, वहां पश्चिमकी लड़कियां हवाई जहाजों पर अकेले ही उड़ती फिरती हैं और संसारके रिकार्डमें बाजी मारनेकी

हिम्मत रखती है। आज वे सभी क्षेत्रोंमें पुरुषोंकी वरावरीमें खड़ी हो रही हैं। जब कि भारतकी स्त्रियोंकी पहुंच अब भी नहीं, चूल्हा और बद्दोंकी सृष्टि तक ही सीमित है। हिन्दुस्थानी घालक कहीं अकेला छूट जाना ही तो रोकर संग्रालने घालेको भी तंग कर ढालता है, किन्तु पश्चिमके लड़के व्यवनसे ही यिलकुल निर्भीक और अत्यन्त साहसी होते हैं। माता-पिताके संस्कारोंका यह परिणाम है। सदाचारी माता-पिताकी सन्तानमें जो साहस धैर्य, हिम्मत, द्वृढ़ता और चातुर्य होना चाहिये वह अपने यहाँकी अपेक्षा पश्चिमके लोगोंमें कहीं अधिक पाया जाता है। इस लिये यह कैसे माना जाय कि पश्चिमके लोग सदाचारकी दृष्टिमें पिछड़े हुये हैं? फिर यह ता दिनके प्रकाशसे भी अधिक स्पष्ट है कि धर्मकी अवहेलनाके बाद ही इस और टक्कीमें सार्ध-जनिक-सदाचारका दर्जा कहीं अधिक ऊंचा हुआ है। टक्कीके सम्बन्धमें इस विषय पर पीछे पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। उसको यहाँ दोहरानेकी जरूरत नहीं। पर, इतना लिखना आवश्यक है कि टक्कीमें जिस दिन धर्मका अवहेलना की जा सकी, उसी दिन वहाँकी व्यभिचार-लीला पर भी कुठारावात किया जा सका। सुलतान किंवा खलीफाके धार्मिक-राज्यमें इसके विरुद्ध मुंह खोलना राजद्रोह ही समझा जाता था। इसके सम्बन्धमें निष्पक्ष लोग आज यह स्वीकार कर रहे हैं कि इसमें सोनियद्दी राज्यसे पहिले स्त्रियोंकी बहुत बुरी अवस्था थी। उनका पैरकी जूती समझा जाता था। पर, अब यिलकुल काया पलट चुकी

है। रूसी लोग अब स्त्रियोंको अपने बराबर मित्रके समान समझते हैं। उनको सब प्रकारकी सुविधायें, साधन और अवसर प्राप्त हैं। हर क्षेत्रमें वे पुरुषोंके समान ही उन्नति कर सकती हैं। बिना विवाह किये भी स्त्री-पुरुष परस्पर प्रेम होने पर एक साथ रह सकते हैं। इसीसे समझा यह जाता है कि रूसमें व्यभिचार-का नंगा नाच होता होगा। पर, वास्तवमें ऐसा नहीं है। वे बहुत ही संयमका जीवन व्यतीत करते हैं। रूसमें विवाहित जीवन विताने वालोंकी अपेक्षा अविवाहित एवं संयमी जीवन विताने वालोंकी कहीं अधिक प्रतिष्ठा है। इसी लोकमतके कारण व्यभिचार फैलनेकी वहाँ इतनी संभावना नहीं। यह उस रूसकी हियति है जिसमें ईश्वरका अस्तित्व नहीं माना जाता है, जिसमें गिर्जाघरोंको मिटा दिया गया है अथवा उनका उपयोग स्कूलों एवं पुस्तकालयोंके लिये किया जाता है, जिसमें पादरियोंके लिये धर्म आजीविकाका साधन नहीं रहा और जिसने सब प्रकारकी बिड़म्बना, आड़म्बर एवं पाखण्ड और धर्म-कर्मकी सब मोहमायाको नष्ट कर दिया है। इसीसे लोगोंमें पहिले भी अपेक्षा आत्म-विश्वास तो इतना अधिक पैदा हो गया है कि वे अपनी मेहनतकी कंवा अपनी ही पूजा करते हैं। पराश्रित रहना उनके लिये सबसे बड़ा पाप है। प्रत्येक अपनी मेहनतसे अपना निर्वाह करनेमें तल्लीन हैं। इससे बढ़कर सदाचार और क्या हो सकता है?

सदाचार और व्यभिचारके सम्बन्धमें विचार करते हुये यह नहीं भूलना चाहिये कि आचार-विवाह, वेश-भूषा एवं खान-

पान आदिके समान सदाचार एवं व्यभिचारको भावना भी अत्येक देश एवं जातिमें भिन्न भिन्न है। एक ही आचरण है जिस को कुछ लोग कही पर व्यभिचार कहते हैं तो दूसरों जगह उसी-को दूसरे लोग व्यभिचार नहीं मानते। पश्चिमी स्त्रियोंका नंगी शर्दन, नंगी भुजाका पहिरावा हम लोगोंको यहां तक अखरता है कि हम उसीसे पश्चिमके लोगोंके सदाचारपर भी आक्रमण कर चैठते हैं। दूसरी ओर खाली पेट, नंगी पीठ और लम्बे घूँट धाला हमारे देश का एकाक्षी पहिरावा न केवल दूसरे देशवासियोंको ही अखरता है, किन्तु इस देशवासियोंको भी बहुत अधिक अखरता है। हम उसको असम्मय पहिरावा कहते हैं तो वे इसको असम्मय कहते हुये संकोच नहीं करते। हम उनकी तलाककी प्रथाको घृणास्पद कहते हैं तो वे हमारे गृहस्थकी समस्त व्यवस्थाको ही घृणास्पद बताते हैं जिसमें कि स्त्रियोंको दासोंके समान अपना जीवन वितानेके लिये बाधित होना पड़ता है। यही अवस्था खान-पान एवं आचार-विचार की है और सदाचार तथा व्यभिचारके सम्बन्धमें भी यह सबाई शिल्कुल ठीक बैठती है। पश्चिमका 'डांस' हम लोगोंकी दृष्टिमें कितना गहित है और हमारा देवदासी प्रथा, मन्दिरमें पशुओंका बलि और ऐसा ही व्यवहार उनकी दृष्टिमें कितना निन्दनीय है? अपने ही समाजमें लोगोंको एक और विधवा-विवाह में भित्ती आपत्ति है और दूसरी ओर इसी देशमें ऐसे समाज भी हैंजिनमें खोका विधवा रहना आपत्ति-जनक है। साधारणतया हिन्दु-समाजमें माता-पिताकी छः'पोढ़ो

छोड़ कर विवाह किया जाता है, पर ऐसी जातियां भी हिन्दु-समाजमें ही हैं जिनमें कि मायाकी लड़की तक से विवाह करने की आम प्रथा है। काश्मीरके ब्राह्मणोंके आचार-विचारकी कितनी ही बातें दक्षिणके ब्राह्मणोंको धर्म-विरुद्ध एवं अनाचार-पूर्ण देख पड़ती होंगी। आचार-विचारमें इतना भेद रहते हुये किसी समाज, जाति अथवा देशके किसी आचार-विशेषको व्यभिचार कहना या अपनी दृष्टिसे दूसरोंको व्यभिचारी बताना अनुचित, अन्याय-संगत, विवेक-शून्य परं विचार-रहित है। इस लिये पश्चिमको धर्मकी दृष्टिसे नास्तिक कहकर व्यभिचारी बताने वालोंके साथ सहमत होना हमारे लिये संभव नहीं।

पश्चिमको छोड़कर इस आक्षेपके सम्बन्धमें अपनी ही दृष्टिसे विचार करना अधिक अच्छा हागा। इसीसे यह देखना चाहिये कि हमारा धर्म हमको व्यभिचारमें गिरनेसे बचानेमें कहाँ तक सहायक एवं समर्थ हुआ है? जिस देशमें दुष्मुही बच्चियोंके विवाहका समर्थन धर्मके नाम पर होता है और ऐसे विवाहोंको रोकनेके लिये बनाये गये कानूनका विरोध भी धर्मके नाम पर किया जाता है, जिस देशमें पातिका नाम तक न जानने वाली तथा उसका मुंह तक न देखा हुई बाल-विधवाओंके विवाहका धर्मके नामपर निषेध किया जाता है और उनको बलात् वैधव्यके सन्तापमें जलनेके लिये विवश किया जाता है, जिस देशमें विध-चाधोंके साथ कुंचारोंकी इतना अधिक संख्या रहते हुये आग स्था कपासको पास पास रख कर भी कपासके न जलनेकी

मूर्खता-पूर्ण आशा को जाती है और जिस देशमें धर्मके अनेकों वेहदा वंधनोंके कारण ही स्त्रियोंजो इतनी अधिक संख्यामें वेष्यावृत्तिको अपने जीवन-निर्वाहका साधन बनाना पड़ता है, उस देशके निवासी धर्मकी आडमें सदाचारोंहोनेका भी ढोग रचें, इससे अधिन चिडम्बना एवं आत्म-वंतना और क्या हो सकती है ? बाजारों, गलियों, चक्कलो और अड्डों पर होने वाले व्यभिचारको छोड़ भी दें, तो भी धर्मकी भावनाने मनुष्यदो व्यभिचारमें किस प्रकार प्रवृत्त किया है, इसको स्पष्ट करनेके लिये एक ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा ।

वर्णव्यवस्थाके अनुसार मनुष्यका जीवन इन चार द्विसौमें वांटा गया है । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वा 'प्रथ' और संन्यास । पर, आज गृहस्थ-रुपी समुद्रके पेटमें तोनों हा समा गये हैं । क्यों ? इसलिये कि धार्मिक दृष्टिसे सन्तान पंद्रा करना इतना आवश्यक समझा जाने लग गया कि उसके बिना मनुष्य जीवनकी सार्थकता कुछ भी नहीं रहती । मृत्युके उपरा त पुत्र यदि विष्णुदान न करे तो सहगति कैमे हो ? 'पुत्र' शब्दका अर्थ ही यह किया जाता है कि 'पुम्-नरकात् त्रायते-इति पुत्रः ?' अर्थात् नरकसे रक्षा फरने वाला पुत्र है । फिर पितरपक्षमें ज्ञान-पान ती यथायोग्य व्यवस्था भी तो पुत्रके बिना नहीं हो सकती । अपनुनि ८८ हजार वर्षों तक निरन्तर तपस्या फरनेके बाद भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सके थे । इसका कारण नारदजीने यह गताया था कि बिना पुत्रके मुक्ति नहीं मिल सकती । ८८ हजार वर्ष तपस्यामें लगा देने वाला

बूढ़ा मनुष्य पुत्र कहांसे प्राप्त करता ? उसको विवाहके लिये स्त्री कहांसे मिलती ? बताया गया है कि विवाहके पहिले ही कल्पमुनिको पुत्र मिल गया, फिर स्त्री भी मिल गई। ऐसी कितनी ही धार्मिक कथायें पुराणोंमें एवं दूसरे धर्म-ग्रन्थोंमें भी मिलती हैं, जिनमें पुत्रकी आवश्यकताको ८८ हजार वर्षकी निरन्तर तपस्यासे भी कहीं अधिक महत्व दिया गया है। जब कि केवल एक पुत्र पैदा करनेसे ही स्वर्ग-नरककी सब समस्या हल हो जाती है, तब पुत्र पैदा करनेका ही यत्त्व क्यों न किया जाय ? इसी यत्त्वके पीछे पड़ कर मनुष्यने क्या नहीं किया ? विवाह-सम्बन्धी जितनी भी बुराइयां हैं, उनका उद्गम स्थान यह ही यत्त्व किंवा यह ही भावना है। बाल-वृद्ध-बेजोड़ एवं बहु-विवाह सब यहां ही से शुद्ध हुये हैं। एक ओर माता-पिता सन्तानको नरकसे बचानेके लिये इतने आतुर रहते हैं कि वे जलदीसे जलदी उसका विवाह कर देना ही अपना धार्मिक किंवा नैतिक कर्तव्य समझते हैं। इसोसे बाल-विवाहकी प्रथाका श्रीगणेश हुआ। दूसरी ओर मनुष्य निस्सन्तान होनेसे विवाह पर विवाह करता चला जाता है। मृत-स्त्रीकी दाह-क्रियाके बाद वह अभी घर भी नहीं पहुंचा होता कि नये विवाहकी योजनायें बनने लग जाती हैं। वृद्ध-विवाह, अनमेल-विवाह और बहु-विवाहके सूत्रपातका यही क्रम है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यासकी व्यवस्था-नष्ट होकर केवल गृहस्थ रह गया और गृहस्थका भी इतना धैर्यिक नैतिक-पतन हो चुका है कि उस पर पड़े हुये कपड़ेको

उठानेका साहस करना अति-साहस किंवा दुर्साहस ही होगा। धर्मन्ध लोग शान्त-चित्त एवं निष्पक्ष-दृष्टिसे विचार करें कि पुन्नोत्पत्तिकी धार्मिक-भावनासे समाजकी सदाचारकी मर्यादाका किस प्रकार नाश हुआ है और किस प्रकार समाजमें व्यभिचार का संवार हुआ है ? ऐसे कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं। पर, विष्णु पाठकोंके लिये इस सम्बन्धमें कुछ अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं।

हमारा विवार तो यह है कि धर्मका सदाचारके साथ सैद्धान्तिक दृष्टिसे कितना भी सम्भव्य फर्जों न बताया जाता हो, किन्तु व्यावहारिक दृष्टिसे दोनोंका पारस्परिक सम्बन्ध कुछ भी नहीं। वह सैद्धान्तिक व्यवस्था किस ताम की है, जो समाजके व्यावहारिक जीवन पर नियन्त्रण नहीं रख सकती। कागजों किंवा फिलावोंमें सुन्दरसे सुन्दर राजव्यवस्था रहने पर भी यदि राजा या नियामक-सभा द्वारा उसको व्यवहारमें नहीं लाया जा सकता तो उस राज-व्यवस्थाकी कीमत ही फर्ज है ? ऐसां राज सभा या राजा स्वयं अपने नाशको नियन्त्रित करते हैं। राज्यक्रान्तियोंका उद्गम ऐसी ही अवस्थासे होता है। राजाओंकी समस्त शक्ति, शास्त्रारूप एवं सैन्यका पूर्ण-प्रबन्ध, कठोर समन और नयेसे नये स्वेच्छाचार-पूर्ण कानून भी इस प्रकार होने वाली राज्य-क्रान्तिके विगको रोक नहीं सकते। ठोक यही धर्मको सैद्धान्तिक व्यवस्था की अवस्था है। कहा जासकता है कि इस जैसे व्यवस्थाका द्वया दोप है ? व्यवस्था और उनमें, जिनपर उसको

व्यवहारमें पूरा उतारनेकी जिम्मेवारी है, शरीर और आत्माका सह सम्बन्ध है। आत्माके बिना शरीरकी क्या प्रतिष्ठा रह जाती है? सिवा इसके कि उसभों ले जाकर चितामें भस्म कर दिया जाता है, अथवा जमीनमें गढ़ा खोदकर गाड़ दिया जाता है। वैसे शरीर के सम्बन्धमें यहाँ तक माना गया है कि 'नायामात्मा बलहीनेन्म लभ्यः' अर्थात् निर्बल और शक्ति हीन देहमें आत्मा निवास नहीं कर सकता।' ठीक इसी प्रकार वह व्यवस्था फू'क देने लायक है, जो कि समाजके व्यावहारिक जीवन पर नियन्त्रण रखनेमें दिवा-लिया सावित हो चुकी हैं। उसका एक प्रकारसे तो उसी दिन अन्त हो गया, जिस दिन उसकी नियन्त्रण शक्ति नष्ट हो गई। इसी लिये समाजके वर्तमान गहित जीवन को देखते हुये यह भानना पड़ता है कि धर्म उसके सदाचारकी रक्षा करनेमें असुर्य सावित हो चुका है। इसीसे धर्म और सदाचारका गठजोड़ा बलात् बनाये रखना निर्दर्शक है। यह भी एक ऐसी आत्म-चंचना है जिसमें पड़कर मनुष्यने अपनी इतना अधिक हानिकी है कि उसकी क्षति-पूर्ति होना संभव नहीं है। समाजके सदाचारकी रक्षाके लिये यदि धर्म पर्याप्त होता तो मन्दिरों तथा तीर्थ सरीखे धर्म स्थानोंमें और पण्डे, पुरोहित एवं पुजारियों सरीखे धर्म-धिकारियोंमें इतना अनाचार एवं व्यभिचार क्यों फैलता?

बस्तुश्चिति यह है कि धर्मोंकी इन सब व्यवस्थाओंकी यह मर्यादा उस रेखाके समान हैं जो कि लक्ष्मणने सीताकी रक्षाके लिये पंचवटीको कुटियाके चारों ओर खींची थी। वह रेखा

सीताकी रावणसे रक्षा नहीं कर सकी और यह मर्यादा नमाज़के सदाचार की रक्षा करनेमें असफल सिद्ध हो चुकी है। प्राण निकल जानेके बाद शरीरके मोहरमें पढ़े रहना कौन सा बुद्धिमानी है। एक नवीन इतिहास बनानेकी हिस्मतके साथ सीताकी खोजमें निकलना होगा। नये संभारमें असहाय अवस्थामें रहते हुये भी सब सामग्री जंगलों और पहाड़ोंमेंसे ही बटोरनी होगी। पुरानी धर्म-न्यवस्था, पुरानी नमाज़-रचना, पुरानी मर्यादा, पुरानी परम्परा पुरानी भावना, पुरानी कल्पना और पुरानी आकांक्षाओंको एउट दम तिलां-जलि देकर रूसः और टक्कोंके समान नवीन उत्साहके साथ राष्ट्र-निर्माणके कार्यमें लगना ही राष्ट्रीय-भुक्तिका एकमात्र माध्यन है। सीताकी खोजमें राम तथा लक्ष्मणको प्राप्त संकटोंकी कल्पना करती चाहिये और उनके उद्योगकी ओर भी दृष्टिशान करना चाहिये। फिर अपने देशके नवीन इतिहासकी रचना करनेमें तत्पर होनेसे न तो कुछ निराशा होगी, न उत्साह कुछ कम होगा और न लौटकर पीछेकी ओर देखनेकी ही कुछ जरूरत रहेगी।

धर्मप्राण लोगोंको नास्तिकताका भी कुछ कम भय नहीं है। वे यह समझते हैं कि धर्म-लोप होते ही समस्त देशमें नास्तिकता फैल जायगी। नास्तिक शब्दका वह अर्थ माननेके लिये हम जाभी तथ्यार नहीं जिस अर्थमें झेच्छ, काफिर, पतित, भ्रष्ट आदि शब्दोंका प्रयोग किया जाता है। नास्तिक स्पष्ट अर्थमें उसको कहना चाहिये, जिसको अपने पर कुछ भी विश्वास नहीं है अथवा जो आत्मविश्वासको खो चुका है। आत्मविश्वासका अभाव ही

नास्तिकता है। अपनी द्वृष्टिसे रूस, टर्की आदि देशोंको हम भले ही नास्तिक कह लें, किन्तु नास्तिक शब्दको ठीक ठीक व्याख्याको सामने रखते हुये उनको नास्तिक नहीं कहा जा सकता। इस द्वृष्टिसे सकारमें सबसे बड़े नास्तिक हम ही हैं। हमारी इस नास्तिकताका प्रधान कारण हमारा धर्म है। इस धर्मके कारण हमारा अपने पर यत्किंचित् भी विश्वास नहीं रहा। एक साधारणसे पत्रकी दस पंक्तियोंमें पांच बार भगवान्काःनाम लिखा जाता है। बात बातमें भगवान्की दुहाई दी जाती है। अच्छा-बुरा जो कुछ भी होता है, सब भगवान्के नाम पर स्वीकार कर लिया जाता है और कहा जाता है कि भगवान जो कुछ भी करता है, अच्छा हो करता है। क्या करें हमारी किस्मतमें ऐसा ही लिखा है? आत्मविश्वास लोकर हम लोग कितनी मन्त्रतें मैनाते फिरते हैं, कितने ही साधु-सन्तों पवं फकीरोंके पीछे धूमते रहते हैं, और तो और दबों तकके लिये दूसरों पर निम्रेर रहते हैं। हमरा धर्म, धर्मानुष्ठान, पूजा-पाठ इत्यादि सब ऐसा ही है कि उसके द्वारा हमारा आत्म-विश्वास विलकुल नष्ट हो चुका है। इसपर भी हम अपनेको नास्तिक न कहकर दूसरोंको नास्तिक कहते फिरें, तो हमारी बातको मानेगा कौन? क्या इससे भी अधिक अपनेको कुछ धोखा दिया जा सकता है?

इसी प्रसंगामें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि गुलामोंका धर्म ही क्या है। वह सदाचार, पवित्रता, धर्म-कर्म और पूजा-पाठ, किस कामका, जोकि देशको स्वाधीन बनानेके काम नहीं आता।

शेरका स्वाभाविक-धर्म शिकार खाना है, पर सर्कसके पिंजरे और चिड़ियाखानेके कटघरेमें चंद शेर उस धर्मका पालन नहीं कर सकता। देशकी स्वाधीनता ही धर्मका अन्तरात्मा है। बिना उसके धर्म प्राण-रहित शरीरके समान है। 'थदीनाः स्याम शरदः शतम्' अर्थात् सौ घण्टकी आगुमें जभी भी दीन-हीन एवं पराधीन न होनेकी प्रार्थना हिन्दू अपनी सन्ध्यामें सदा ही फरता है। दूसरे सब धर्मों एवं सम्प्रदायोंमें जी ऐसो प्रार्थनायें अवश्य मिलेगी। पर, उन सबको भुला कर आजीवन गुलाम बने रहने की प्रार्थना फरते घालोंकी संख्या धर्माभिमानियोंमें ही अधिक मिलेगी। अपने देशकी स्वाधीनताके लिये उद्योग करने वालों पर धर्मके आधारपर नाना प्रफारके आक्षेप करते हुये ऐसे लोग थकते नहीं, किन्तु स्वयं ही धर्मकी अन्तरात्माकी हत्या करके उसको प्राणहोन एवं सत्यहोन घनान्में उनको तनिक भी लज्जा कभी अनुभव नहीं होती। यदि धर्ममें फिरसे प्राण-प्रतिष्ठा करनेके लिये हम वर्तमान स्थिति एवं अवस्थाएँ बदलनेकी घात कहते हैं और उसके लिये ही धर्मके समस्त आडम्बर, पाखण्ड और चिङ्गनाको मिटाने पर जोर देते हैं, तो हम कौन-सी ऐसी तुराई करते हैं, जिसको सुनते ही ऐसे लोग 'शान्तं पापम्' 'शान्तं पापम्' को रट लगाने लगते हैं।

इस धर्मकी दृष्टिसे तो हम नास्तिकवादको कही अधिक अच्छा समझते हैं। हमारा आनन्दराद केवल राष्ट्र-धर्म है। इस राष्ट्र-धर्मके सम्बन्धमें पृथक् विचार फरता अच्छा होगा।

पूराष्ट्रधर्म या राष्ट्रवाद क्या है ?

—“All the nonsense is going to cease. Harems, veils, lattice windows and all the retrograde heresies belong to an age that has passed and must go. How we can built up a perfect democracy with half the population in bondage ? In two years time every woman must have her face uncovered and work side by side with man, and the man will bear hats. The days when clothes were symbol of a religion has passed. The “ Fez ” which symbolized a faith must go, and all the fanaticism that goes with it. ”

—GHAZI MUTAPHA KEMAL PASHA.

—“यह सब बेहूदगी शीघ्र ही मिट जायगी । हरम, धूंधट, परदेवाली खिड़कियों और पीछेकी ओर लेजानेवाले सब विचारोंका समय बीत गया । इसलिये अब उनका भी अन्त करना होगा । आधी जनताको अन्धकार और गुलामीमें रखते हुये प्रजातन्त्र-शासन-कैसे कायम किया जा सकता है ? दो वर्ष में प्रत्येक स्त्रीको अपने सुंहपरसे धूंधट हटा लेना होगा और मनुष्योंकी बराबरीमें खड़े होकर सब काम करना होगा । मनुष्योंको हैट पहिनने होंगे । वह समय गुजर गया, जब कि कपड़ोंको धर्म का चिन्ह माना जाता था । ‘फैज’ जो धर्म का चिन्ह है, उसको जरूर त्यागना होगा और उसके साथ जो अन्धविश्वास है उस सबको भी मिटाना होगा ।

—गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा

राष्ट्रधर्म या राष्ट्रवाद क्या है ?

राष्ट्र-वाद किंवा राष्ट्र-धर्मके सम्बन्धमें विचार करनेसे पहले वह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हमको 'धर्म' शब्दसे कुछ ऐसी चिढ़ नहीं कि हम शब्द-कोषमेंसे ही उसको मिटा देना चाहते हैं। यदि ऐसा होता तो इस लेखके शीर्षकमें राष्ट्र शब्दके साथ 'धर्म' शब्दका प्रयोग नहीं किया जाता। धर्मकी उस सचाई को हम स्वीकार करते हैं, जो कि सभी धर्मोंमें एक समान पैद जाती है और जिसके सम्बन्धमें किसी भी धर्मानुयायीका मतभेद नहीं है। गणित, विज्ञान और अर्थशास्त्रकी सचाइयोंको किसी भी देशकी किसी भी भाषामें क्यों न लिखा जाय, वे एक-सी रहती हैं। भाषा बदल जाने पर भी वे नहीं बदलतीं। मनुष्यके देह और उसके भीतरकी आत्माको बाह्य-वेशभूषासे बदला नहीं जा सकता। देखने वालोंको शकल-सूरत बदल कर धोखेमें डाला जा सकता है, पर देह और आत्माका वेश-भूषा द्वारा बदल सकना सम्भव नहीं। इसी प्रकार भाषाका परिवर्तन किसी भी विज्ञानकी सचाईमें परिवर्तन पैदा नहीं कर सकता। दो और दो हर एक भाषामें चार ही रहेंगे। वह न पांच होंगे और न तीन

ही। जलको पानी, आव, वाटर आदि चाहो जो कह लो, वह रहेगा पानी ही। उसकी स्निग्धतामें कुछ भी परिवर्तन नहीं पेदा होगा। दूधको पयस्, मिल्क आदि कोई भी नाम क्यों न दे दो, उसकी सफेदी नहीं बदलेगी। इसी प्रकार न्यू घोलना, हिंना नहीं करना, संघमसे जीवन विताना, आत्मिक उन्नतिके लिये यत फरना, चोरी नहीं करना, आहार-विहारको शुद्ध रखना, इन्द्रियोंके वशीभूत होकर विवेक-रहित नहीं होना—इत्यादि ऐसी सचाइयां हैं जिनसे कोई भी इनकार नहीं करता है। उनकी आवश्यकताको बड़ेसे बड़े नास्त्रिक भी स्वीकार द्याते हैं। हम भी उनकी आवश्यकता अनुभव करते हैं। दिवंगतं स्वामी श्रेष्ठा-नन्दंजी महाराजने लेखक छारा लिखित ‘दयानन्द-दर्शन’ की भूमिकोमें विलकुल ठीक ही लिखा है कि “संसारके संग्रंदाय धर्मकी रक्षाके लिये खापन किये गये थे, परन्तु शाज वे ही सम्प्रदाय मूल धर्मको भूलकर उसके गौण मतभेदोंके बादानुवादमें लगे हुये हैं। जिस प्रकार शरीरको जीवित रखनेके लिये अन्न-फलादिके आहारकी आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मिक जीव-नकी रक्षाके लिये भी धर्महर्षी आत्मिक आहारकी आवश्यकता होती है। शरीर-रक्षाके लिये अन्न और फल सुख्य हैं, परन्तु उसी अन्न और फलकी रक्षाके लिये वेत व धाटिकाके इर्द-गिर्द घाड़ लगानी पड़ती है। कैसा सूर्य वह किसान है जो अन्न-फलकी पेदावास्तो भुला कर अन्य किसानोंकी बाढ़ोंसे ही अपनी बाढ़का सुकायिला कर उनका तिरस्कार करता है? इसी प्रकार जीवा-

त्माका मुख्य धर्म प्रकृतिके संसर्गसे छूट कर परमात्मामें खतन्त्र रूपसे विचरण करना है । उसकी रक्षाके लिये जो साम्प्रदायिक विधियाँ नियत की गई हैं वे खेतोंकी बाड़ोंके संदूश ही गौण हैं । कितना मूर्ख वह साम्प्रदायिक पुरुष है, जो गौण नियमोंके विवादमें फंसकर अपने मुख्य धर्मको भूल जाता है ।” हम आत्मिक जीवन और उसके लिये आवश्यक धर्मकी सत्ताको स्वीकार करते हैं । धर्मके सर्वनाशसे हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं कि आत्माके लिये आवश्यक इस धर्मको भी मिटा दिया जायें । पर, वस्तुस्थिति देखी जाय तो इस धर्मको हम लोगोंने पहिले ही भुला अथवा मिटा दिया है । बाकी जो कुछ भी बचा है, वह साम्प्रदायिक पुरुषकी मूर्खताके सिवा कुछ भी नहीं । वह मूर्खता ही इस समय ‘धर्म’ है । हम इस मूर्खताके धर्मको मिटा देना चाहते हैं और उसका इस प्रकार और इतना सर्वनाश कर देना चाहते हैं कि उसकी स्मृति और छाया तक भी बाकी नहीं बचनी चाहिये । धर्मके बहिष्कारसे हमारा यही अभिप्राय है । जहाँ भी कहीं धर्मके विरुद्ध विद्रोह हुआ है वहाँ ऐसा ही किया गया है । इस समय धर्म आत्माका आहार नहीं रहा, वह पेटका आहार और विषय-वास्तवाकी पूर्तिका साधनमात्र रह गया है । धर्मके वर्तमान अनुष्ठान और कर्मकाण्डकी आड़में ही धर्माधिकारी भी खेड, साहूकार जमीदार और राजा बने हुये हैं । उनके राजसी ढाठबाठ, राजसी सवारियाँ और राजसी महल राजाओंके ढाठ-बाठ, सवारियों और महलोंको भी नीचा दिखाते हैं ।” उनकी

जायदादकी कीमत कृती जाय तो उसका हिसाब करोड़ों और मरणों तक पहुंच जायगा। नागों, वैरागियों और उदासियों आदिके अखाड़ोंकी सम्पत्तिका कोई हिसाब नहीं। काशीके विश्वनाथजी, पुरीके जगन्नाथजी, नासिकके कालाराम, मेट्रोके मोनाक्षी और उदयपुरके नाथजी आदिके मन्दिरोंकी सम्पत्तिका कोई पार नहीं। दक्षिणके ऐसे ही एक मन्दिरके पुराने तद्देश-नेको खोलने पर उसके एक हिस्सेमें से अट्टू सम्पत्ति हाथ लगी थी। अभी उस दिन मद्रास कौंसिलमें एक मन्दिरकी सोलह लाखकी प्रतिवर्षकी आमदनीके सुप्रबन्धके लिये एक कमेटी बनानेका चिल स्वीकृत हुआ है। अयोध्याके महत्त्वों तथा मथुरा, नाथद्वारा और गोवर्धनके गुसाइयोंकी धन-दौलत विशाल खजानोंमें भर कर रखी जाती है और उस पर बंदूकका पहिरा बिडाया जाता है। कुम्भके मेलों पर इन धर्मजीवी लोगोंकी जो सवारियां निकलती हैं, उनमें हाथी-घोड़ोंकी साज-सजावट, सोने-चांदीके हौदे-फाठियां, रेशम-जरी-मखमलके वेश-भूषा और लाखोंकी कीमतके जड़ाऊ आभूषण देखकर दाँतों तले अंगुली दथा लेनी पड़ती है। संसारकी सुख-सामग्रीकी कोई ऐसी चीज नहीं, जो इनके पास नहीं है और इस सवका संग्रह धर्मकं नाम पर ही किया गया है। सोने-चांदीके घर्तनोंमें थड़ियासे थड़िया और कीमतीसे कीमती भोजन ये खाते हैं। धाग-धगोचोंसे दूर प्रकारफी सजी हुई कोठियोंमें मखमली गहो-तकियों पर ये समाधि लगाते हैं। सुरंधित तेल, इत्र, पान, तमाखू, भांग, शराब आदि सवका

राष्ट्र-धर्म या राष्ट्र-वाद क्यों है ? - १६१, १७ ११६

ये सेवन करते हैं। इतने ही पर बस नहीं, कस्तूरी, केसर, सोनेके बर्क, मोतीकी भस्मोंका भी इनको भोग चाहिये। अपने शिष्योंकी नववधुओंके साथकी जाने वाली गुसाइयोंकी पाशविक-लीलाका उल्लेख यहाँ क्या किया जाय ? धर्मके नाम पर धर्मगुरुके नाते नव-विवाहिता कन्याका चरित्र ही नहीं बिगड़ा जाता, किन्तु साथमें हजारों रूपयोंकी भूंठ भी ली जाती है। मानो, भोजनके बादकी दक्षिणाके समान यह भूंठ भी इस कुकर्मकी दक्षिण है, जिसके बिना यह धर्मचार पूरा नहीं हो सकता। वह भी समय था जब कि इन धर्मगुरुओंके एक चुम्मन तकके लिये यह सब कारबार होता था। इस पापलीलाके सामने टक्कीके सुलतानके हरम भी क्या थे ? यह मानना होगा कि धर्मकी इस विडम्बना, आडम्बर एवं पालण्डसे तो प्रलयकालीन अवस्था कहीं अधिक अच्छी है और जंगलोंमें नंगे रहने वाले असभ्य एवं अशिक्षित कहे जाने वाले ऐसे धर्मको मानने वालोंसे कहीं अधिक अच्छे हैं, जो कि धर्मके नाम पर पाप और ठगविद्या तो नहीं फैलाते। धर्म व्यक्तिगत जीवनकी केवल उस उन्नतिका साधनमात्र रह सकता है, जो उन्नति राष्ट्रकी उन्नतिमें बाधक नहीं। राष्ट्रकी उन्नतिमें बाधक व्यक्तिगत साधना (१) कितनी भी ऊँची और महान् क्यों न हो, उसको राष्ट्र-धर्मकी दृष्टिसे सहन नहीं किया जा सकता। सब शक्ति लगाकर उसका विरोध तो करना ही होगा।

धर्मनाशके सम्बन्धमें किये जाने वाले आक्षेपों पर विचार करते हुये नास्तिकता एवं व्यभिचारके पैदा होनेके सम्बन्धमें

१८४

विश्वेत्मान टक्कींली प्रगतिके सम्बन्धमें एक घटनाका उत्तराखण्ड-संगमें करना अधिक अच्छा होता । पर, उसको यहां भी देनेकी आवश्यकता होती । इस लिये उसको यहां टी दिया जाता है । एक बार एक अंग्रेज महिलाने किसी तुक्कीं स्कूल-इन्स्पैक्टरसे धर्मजी सत्ताको उठा देनेके सम्बन्धमें बातचीत करते हुये पूछा कि, “जब आप खुदा तकको नहीं मानते तो इसका क्या यह अभिप्राय नहीं कि आपका किसी पर भी कुछ भी विश्वास नहीं है ।” उसने तुरन्त उत्तर दिया कि “आप ऐसा किस प्रकार कहती हैं ?” हम लोग अविश्वासी या नास्तिक नहीं है । हमारा विश्वास अपने पर है, अपने राष्ट्रके निर्माता गाजी पर है और अपने देशके महान् भविष्य पर है । ऐसे प्रत्यक्ष विश्वासके रहते हुये हमको अग्रत्यक्ष विश्वासकी जहरत ही क्या है ?” किर उस महिलाने पूछा कि “देशके नैतिक जीवनकी मर्यादाकी रक्षा किस प्रकार होगी ?” उसने सन्देश-रहित शब्दोंमें उत्तर दिया कि “अपने राष्ट्रके लिये उसको रक्षा करना हमारा सर्वप्रधान कर्तव्य होगा ।” राष्ट्रके महान् भविष्य पर इतना गहरा विश्वास और उसके प्रति अपने कर्तव्यका इतना स्पष्ट ज्ञान होनेपर राष्ट्र-धर्मका स्वयं ही इतना और ऐसा धिकास हो जाता है कि किर साम्राज्यिक-कहरता, भजहवी-पागलपन, धर्मात्म-बृत्ति और किसी कुल या जातमें पैदा होनेकी आकस्मिक घटनाका झूठा अभिमान एक क्षणके लिये भी टिका नहीं रह सकता । किर समाजके नैतिक जीवन किंवा सदाचारकी मर्यादाके

लिये भी इतना चिन्तित नहीं होना पड़ेगा । राष्ट्रके लिये ही उसकी प्रत्येक स्वयं ही रक्षा करेगा । पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक आदिकी भावनायें जो कार्य नहीं कर सकतीं, वह कार्य राष्ट्र-हितकी भावनासे बिना कठिनाईके स्वयं ही होता चला जायगा । इसीसे श्रीकृष्णके उन शब्दोंको, जो कि उन्होंने लड़ाईके मैदानमें अर्जुनके प्रति कहे थे, कुछ बदल कर हम अपने देशवासियोंके प्रति कहना चाहते हैं । वे शब्द ये हैं कि:—

“सर्वधर्मा न्परित्यज्य राष्ट्रं हि शरणं ब्रज ।

तद्वा त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यति मा शुचः ॥”

अर्थात् “सब धर्मों (धार्मिक-अनुष्ठान, कर्म-काण्ड और उनसे होनेवाले पाप पुण्य आदिकी भावना) का परित्याग करके राष्ट्रकी शरणमें आ जाओ । वह ही सब पापोंसे तुम्हारी रक्षा करेगा । इसमें किसी प्रकारका कुछ भी सन्देह और आशङ्का मत करो ।”

अच्छा, फिर राष्ट्र-धर्म है क्या ? जन्मभूमि, देश अथवा राष्ट्रकी स्वतन्त्रता, उन्नति और अभ्युदयको सामने रखकर कर्तव्याकर्तव्यका निर्णय करना राष्ट्र-धर्म है । राष्ट्र-धर्ममें सबसे ऊँचा पद जन्मभूमिका है । वह ही आराध्य देवी हैं । उसके चरणोंमें अपनेको न्यौछावर कर, देना ही साधना किंवा आराधना है । उसके अभ्युदयमें अपनेको लीन कर देना ही उपासना है । पराधीन देशके निवासियोंके लिये अपने देशको स्वाधीन करनेका यत्त करना ही पुरुषार्थ है । यही उनके लिये ईश्वर-भक्ति है, पितृ-पूजा है और सात्र-बन्दना है । बिना इसके

राष्ट्र-धर्म

समस्त धरती पर्यावरण किंवा तीर्थयात्रा और जप, पूजा किंवा तपस्या सब व्यर्थ हैं। शास्त्राचार और लोकाचार भी सब निर्थक हैं। मन्दिर, मस्जिद सरोबे ऐसे सब धर्मस्थान तुच्छ हैं जहाँ कि इस पुरुषार्थके लिये क्रियात्मक उद्योग नहीं किया जाता। जिस धर्मका हम सर्वनाश करना चाहते हैं, वह राष्ट्र-धर्मसे अन्धकारसे प्रकाशके समान विलक्षण विपरीत है। राष्ट्र-धर्ममें दीक्षित राष्ट्रोंको आदर्श मान कर हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम चारों ओरसे ही धार्मिक-अन्धविश्वास एवं उसपर आश्रित सामाजिक-परस्पराके जालमें उलझे हुये हैं। हमारा धर्म, हमारा समाज-शास्त्र, हमारी जातीय-मर्यादा, हमारी कुल-परम्परा और हमारा व्यक्तिगत-जीवन धर्मान्धताके कारण इतना गंदा हो चुका है कि उस सबका राष्ट्र-धर्मको दृष्टिसे अयसे इतिहासक संशोधन करनेके लिये ही उस सबको नये ढांचेमें ढालना ज़रूरी है।

दूसरे देशोंके इतिहासका पिछले पृष्ठोंमें जो उल्लेख किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि चर्तमान युग राष्ट्र-धर्मका युग है। भारतमें इस युगका प्रादुर्भाव हो चुका है। गुरु गोविन्द सिंह, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजीने निश्चय ही देशमें राष्ट्रीयता किंवा राष्ट्र-धर्मका सूत्रपात किया था। मराठोंका उत्कर्ष पद्म सिंहोंका परिवर्तन राष्ट्रीय भावनाएं रंगमें रंगा दुआ था। पर, उस समयसे इतिहास लेखकोंको धार्मिक-वृत्ति उस राष्ट्रीयताको हजम कर गई। सिंहों और मराठोंके समान कई बार राष्ट्रीयताके शाधार पर भिन्न भिन्न संगठन देशमें

राष्ट्र-धर्म या राष्ट्र-चाद क्या है ?

बनाये गये, पर वे सब साम्प्रदायिकताको लहरमें डैटे कि उनकी राष्ट्रीयता बिलकुल नष्ट हो गई और राष्ट्रीय द्वाष्टिसे उनका पूरी तरह नैतिक-पतन हो गया। भिन्न भिन्न समयकी आवश्यकताओंके अनुसार खान-पान एवं रहन-सहन आदिके लिये की गई मर्यादाका पतन होकर छूत छात एवं स्पर्शास्पर्श ही धर्मका प्रधान थंग रह गया। सिखों, मराठों एवं आर्य-समाजका नैतिक-पतन उक्त कथनका समर्थक है। फिर भी निराशाका कोई कारण नहीं। राष्ट्रीयताकी वेगवती लहर इस सब विज्ञ-बाधाओंके रहते हुये भी विशाल रूप धारण कर रही है। स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, लोकमान्य तिलक सरीखे महारुषोंकी राष्ट्रधर्मके लिये की गई साधना एवं बलिदान व्यथे कैसे जा सकता है? आर्य-समाज कितना भी साम्प्रदायिक क्यों न बन गया हो, किन्तु स्वामी दयानन्द द्वारा बखेरे गये राष्ट्र-धर्मके बीज फूटे बिना कैसे रह सकते थे? लोकमान्य तिलककी 'राष्ट्रदेवो भव' की दी हुई दीक्षा फल लाये बिना कैसे रह सकती थी? इस समय महात्मा गान्धीको तो राष्ट्रधर्मकी दृष्टिसे अवतार ही कहना चाहिये।

महात्मा गान्धीने एक सन्त और त्यागीके वेशमें जब देशके राजनीतिक क्षेत्रमें प्रवेश किया था और अपने कार्यक्रममें खादी, अचूतोद्धार, मदिरा-स्थाप, सत्य एवं अद्विता आदिको प्रधानता दी थी, तब पुराने रंग-ढंगके राजनीतिक लोग एक बार ही विस्मय में पड़ गये थे। राष्ट्रीय-भाषा हिन्दीको अपनाने, बाल-विचाहको

वन्द करने, विधवा-विवाहको प्रबलित करने परं अस्पृश्यताके पापको मिटाएँ और हिन्दूमात्रके लिये मन्दिरोंके द्वार खोलने सरीखी उनकी बातोंको सुनकर ऐसे लोग एकदम ही चकरा गये थे। १९३० में अपनी गिरपतारीसे कुछ ही दिन पहिले जब उन्होंने भारतकी नारियोंसे पिकेटिंगके कामको अपने हाथमें होनेकी अपील की थी, तब कौन जानता था कि परदेशी कैदमें बन्द रहने वाली और घरसे बाहिरकी दुनियासे सर्वथा अनभिज्ञ देवियां चण्डी और दुर्गाका रूप धारण करके इजारोंकी संख्यामें जेलकी यातना सहन करनेको उठ खड़ा होंगी। उनके लिये यह समझना कठिन था कि देशको राजनीति या राष्ट्रायताके साथ उनका क्या सम्बन्ध है? आज उनका महत्व उस समयके बड़े बड़े 'राजनीति-धुरन्धर भी स्वीकार कर रहे हैं'। राष्ट्र-धर्म देश, जाति अथवा राष्ट्रके समस्त जीवनसे ही सम्बन्ध रखता है। राष्ट्र-धर्मका सूर्य उदय होनेपर उसकी किरणोंका प्रकाश चारों ओर एक समान पहुचता है। टक्कों और ल्लस आदि देशोंमें जब राष्ट्र-धर्मका सूर्य उदय हुआ तब वहांके गृहस्थ किंवा अन्तःपुर तक उससे नहीं बच सके, हिंत्रयों परं पुरुषोंका पहिराधा तक एकदम बदल गया, विवाहकी प्रथा तक बदल गई, खेलये मैदानों तकमें उसका प्रकाश जा पहुचा, मूर्तियाँ, गिरजाघरों एवं मस्जिदों तककी काया पलटनेमें कुछ समय नहीं लगा थोर तो और गांवों, एवं नगरों तककी व्यवस्थामें परिवर्तन हो गया। उन देशोंके व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवनकी ऐसी कोई दिशा

बाकी नहीं रही, जिसमें उस सूर्यकी किरणोंका प्रकाश नहीं पहुँचा। इसीका नाम है चहुं मुखी-क्रान्ति। भारतमें इस समय इस क्रान्तिका चक्र पूरे वेगके साथ धूम रहा है। देशवासियोंके समस्त जीवन पर उसका प्रभाव पड़े ना अनिवार्य है। यह विश्वास रखना चाहिये कि यह क्रान्ति शीघ्र ही अपना कार्य पूरा कर डालेगी। भारत भी राष्ट्र-धर्मको दीक्षामें पूरी तरह दीक्षित हो जायगा। उसके व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवनकी गंदगी सहजमें धुल जायगी। साधु-सन्तोंका युग उक्तकी मुहुर-मौलियों तथा फकीरों और रुसके पादरियोंके समान भूतमें विलीन हो जायगा। भारतके धर्माधिकारी भी रोमके पोषके समान सत्त्व-हीन रह जायेंगे। धर्म व्यक्तिके खान-पान एवं वेश-भूषाके समान केवल व्यक्तिगत इच्छा और आंबश्यकताका विषय रह जायगा। धर्मके नाम पर होने वाली विडम्बना और आडम्बर सब मिट जायगा। धर्मकी आड़में फैली हुई उर्गविद्याका प्रपञ्च उठ जायगा। धर्मनिवार्ता, मजहबी-पागलपन और साम्रादायिक-कट्टरता सब नष्ट हो जायगी। धर्म एवं जातिके नाम पर पैदा किया गया ऊचं-नीच का अभिमान जाता रहेगा। खान-पान, छूत-छात एवं स्पर्श-स्पर्श की भेद-भावकी दीवारें मिटीमें मिल जायेंगी। वह सब अनुष्ठान तथा पूजा-पाठ उठ जायगा, जो कि इस समय कुछ लोगोंकी आजीविकाओंका प्रधान साधन बना हुआ है और जिसके द्वारा मुझीभर लोग समस्त जनता को अपने हाथकी कठपुतली बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। खियोंपर होनेवाली पुरुषोंकी मनमानीका

राष्ट्र-धर्म

अन्त हो जायगा ॥१॥ शेषवासी पराश्रित न रहकर स्वावलम्बनका पाठ पढ़ने लगते होश यह है कि तब इस देशमें भी निकम्मे धर्मका सर्वनाश होकर सर्व-शक्ति-सम्पन्न उस राष्ट्र-धर्मको स्थापना होगी जिसकी निरन्तर आराधनामें तत्पर दूसरे देश, समाज किंवा राष्ट्र उन्नतिके मार्ग पर बड़ी तेजीके साथ अग्रसर हो रहे हैं और तब यह देश भी उन्नति और प्रगतिके मार्ग पर आरुढ़ होकर दूसरे देशोंके साथ होड़ लगानेमें समर्थ हो सकेगा । निश्चय ही भारत-माता की वह सन्तान अधम हैं जो उसको इस प्रकार सामर्थ्यवान् बना हुआ नहीं देखना चाहती । क्या कोई राष्ट्र-धर्मका विरोध कर अपनेको भारतमाताकी अधम सन्तान कहलाना चाहेगा ॥२॥ यदि नहीं तो आओ सब मिलकर राष्ट्र-धर्मकी स्थापनामें कटि-बद्ध हो जाय और भगवान् तिलकके 'राष्ट्रदेवो भव' आदेशको पूरा करनेके लिये अर्जुनके शब्दोंमें एक-स्वरमें कहें कि:—

“नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत !

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥”

वर्थात् “आपकी कृपासे मेरी मोह-माया और भ्रम-जालके सब चंधन टूट गये । अपने कर्तव्यका मुझको पूरा ज्ञान हो गया । मैं आपके वचनका पूरी तरह पालन करूँगा ।”

भारतके इतिहासमें वह दिन सुवर्णक्षरोंमें लिखा जायगा, जिस दिन राष्ट्र-धर्मकी दृष्टिसे इस कर्तव्यका ज्ञान करके घम उसके पालन करनेमें तल्लीन हो जायेंगे ।
